खण्ड-179, अंक-5
शनिवार, 28 आश्विन, शक संवत् 1878
(20 अक्टूबर, 1956 ई0)

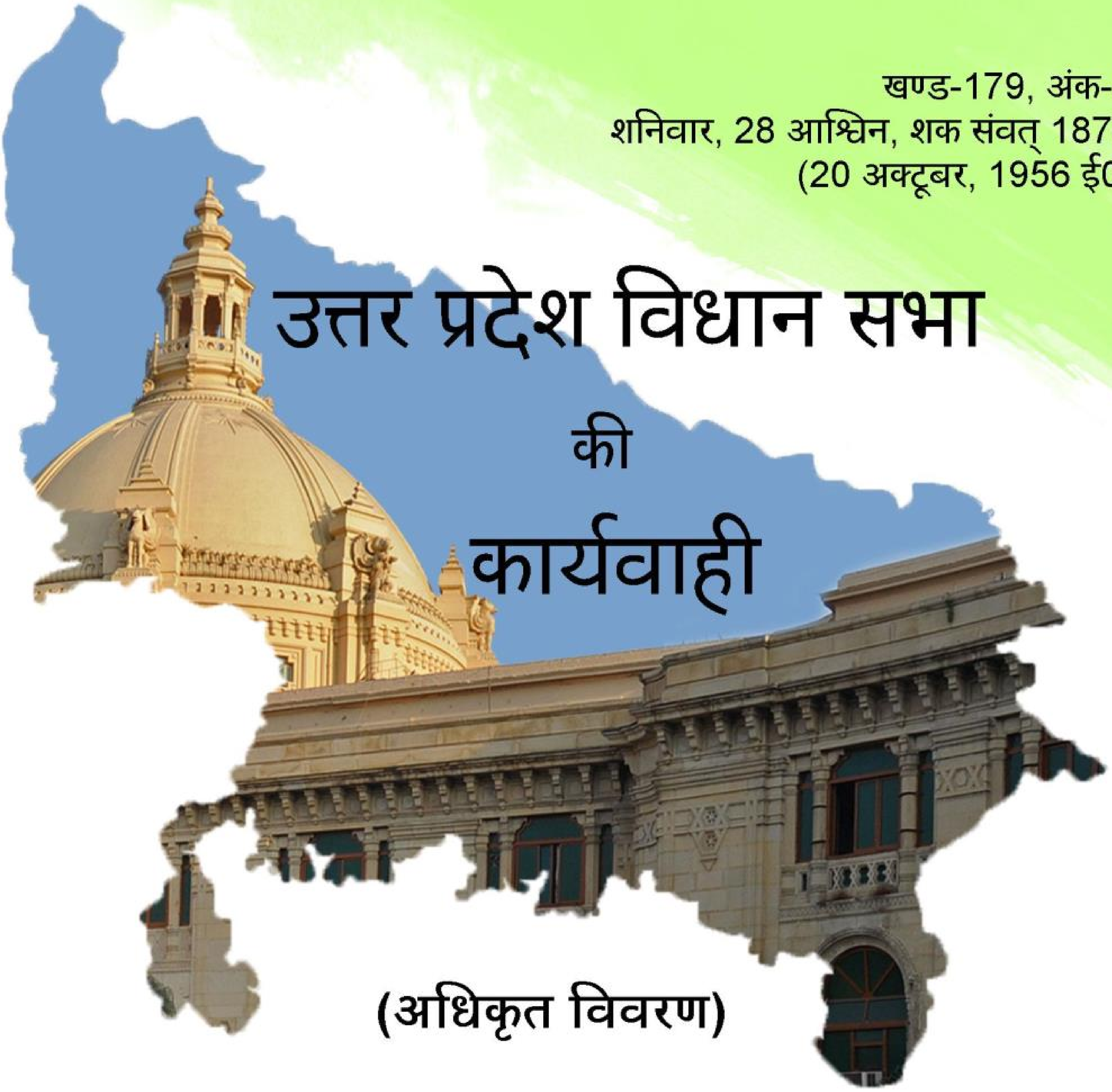

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 179 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २० अक्तूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२१)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन, ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुरसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दलबहादुरसिंह ,श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद, मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद, पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां ,श्री (रामपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकीहादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामाअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
राम सुभगवर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरुप गुप्त, श्री
रामस्वरुप मिश्र विशारद, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री

वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्री कृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

श्री निसार अहमद शेरवानी के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी सदस्यों ने श्री निसार अहमद शेरवानी के निधन के समाचार को दुःख के साथ सुना होगा। यह तो हम लोग जानते थे कि वे इधर काफी दिनों से बीमार थे और यह भी सुनते रहे थे कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं हो रहा है। फिर भी यह अन्दाज नहीं था कि मृत्यु उनको इतनी जल्दी हमसे छीन लेगी। स्वर्गीय शेरवानी इस देश के और विशेष रूप से इस प्रदेश क बहुत ही पुराने और पक्के नेशनलिस्ट कार्यकर्ताओं में रहे हैं। मेरी उनकी तो मुलाकात सबसे पहले १९२१ में बनारस डिस्ट्रिक्ट जेल में हुई थी। उससे पहले वे गवर्नमेंट के पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में थे और जहां तक मैं जानता हूं सुपरिंटेंडेंट के पद पर थे जो कि अच्छा खासा ऊंचा पद समझा जाता था। १९२० में उन्होंने उस ओहदे से इस्तीफा दिया और कांग्रेस क काम में शरीक हुए। उसी सिलसिले में कैद होकर वे बनारस डिस्ट्रिक्ट जेल में भेजे गये थे जहां कि मैं भी उस समय था। उसके बाद जो हमारे आन्दोलन हुए उन सब में उन्होंने भाग लिया। जेल में भी उनको रहने का मौका पड़ा। १९४६ की मिनिस्ट्री में वे कृषि के मंत्री थे। इस विभाग में काम करने में उनको जो सफलता मिली उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि व स्वयं एक सफल कृषक थे। वे खुद फार्मिंग करते थे और इस विद्या का उनको निजी बहुत अच्छा ज्ञान और अनुभव था। फार्मिंग के अतिरिक्त वे उद्योग धंधों में भी बहुत दिलचस्पी रखते थे, विशेष रूप से शक्कर के व्यवसाय में। इधर अपने स्वास्थ्य के कारण सक्रिय राजनीति से तो वे कुछ अलग हो गये थे। उनको अलग होना पड़ा था मजबूर हो कर, लेकिन उनकी सहानुभूति राष्ट्रीय कामों के साथ बराबर थी। यहां जो लोग हैं उनमें से बहुत से लोगों को उनसे निजी तौर से जरूर ही परिचय होगा और उनको उनके निधन से निश्चय ही एक निजी मित्र के उठ जाने का शोक हुआ होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनके परिवार के पास इस सदन की संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अभी कुछ दिन हुए जब समाचार पत्रों में हमें आदरणीय शेरवानी जी की मृत्यु का शोक समाचार मिला तो हम सभी एक बार स्तब्ध रह गये। मृत्यु तो वैसे सभी प्रकार से अपने सामूहिक या व्यक्तिगत आधार पर जो सामाजिक मित्र या सहयोगी होते हैं उनके लिये दुखदायी होती है, लेकिन जब कभी इस प्रकार के अनुभवी राजनीतिक सहकारियों की मृत्यु होती है तब उससे कुछ निजी दुखः का भी आभास होता है। मुझे आदरणीय शेरवानी जी के व्यक्तिगत सामीप्य का तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन एक प्रशासक के रूप में और एक राजनीतिक नेता के रूप में उनकी कार्यविधियों का अध्ययन करने का अवसर अवश्य मिला था। कृषि मंत्री के रूप में उनके कार्य का एक ज्वलंत उदाहरण, हमारे यहां का, तराई का जो कालोनाइजेशन का कार्य है वह हमारे सम्मुख है और शायद यह उनकी एक मुख्य प्रेरणा थी जो वहां पर कालोनाइजेशन का कार्य शुरू किया गया।

मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी के इस प्रस्ताव से पूर्णतया सहमत हूं और अपने दल की ओर से भी आपसे निवेदन तथा प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना का संदेश उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्री शेरवानी जी के असामयिक निधन से हमें बहुत ही खेद है। श्री शेरवानी जी निश्चित रूप से देश के विकास के लिये लालायित रहते थे। मेरा उनसे कई बार साक्षात् भी हुआ है। एक ऐसा अवसर था जब कि मिर्जापुर जिले में सरकारी कृषि फार्म बनाने की योजना चल रही थी तो श्री शेरवानी जी यहां कृषि मंत्री थे। किसानों की तरक्की कैसे हो, किसान अपने अधिकार की सुरक्षा कैसे करें, राष्ट्रीय विकास के काम में राजनीति का समावेश न हो, इन तमाम बातों को वे बहुत ही गहराई में जाकर देखते थे और चाहते थे कि विकास के कामों में, तरक्की के कामों में राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिये। मैं इस अवसर पर ज्यादा न कह कर उनके निधन पर अपना और अपनी पार्टी का शोक प्रगट करता हूं और चाहता हूं कि विकास को राजनीति से अलग रखने का जो प्रयत्न उन्होंने किया सरकार के दूसरे लोग भी उसको ग्रहण करेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, निसार अहमद शेरवानी साहब के स्वर्गवास से हमारे देश और प्रदेश के सार्वजनिक जीवन को जो क्षति पहुंची है वह आसानी से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि शेरवानी परिवार मुसलमानों का, जिन्हें नेशनलिस्ट मुसलमान कहते हैं उनका परिवार था। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा, उन्होंने देश के सभी स्वाधीनता संग्रामों में पूर्ण योग दिया और बलिदान किया। निसार अहमद शेरवानी साहब के सगे बड़े भाई तसद्दुक अहमद शेरवानी साहब, १९३१ में हमारी प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के सभापति रहे हैं और केंद्रीय असेम्बली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको अध्यक्ष पद के लिये खड़ा किया गया था। निसार अहमद शेरवानी साहब के तीसरे भाई फिदा अहमद शेरवानी भी इस प्रकार के देश भक्तों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से थे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी एक चुनाव में रहे थे। इस सार्वजनिक विपत्ति के अलावा मेरे ऊपर तो उनका निधन एक वैयक्तिक विपत्ति भी है चूंकि संयोग से और सौभाग्य से वह मेरे संबंधी थे। मेरी पत्नी बेगम मक़सूद जहां के सगे मौसा थे। इसलिये उनका निधन जहां एक सार्वजनिक विपत्ति है वहां मेरे लिये एक वैयक्तिक विपत्ति भी है।

जो विचार शोक संवेदना के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रगट किये हैं उनका मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)---श्रीमन्, आज हम माननीय शेरवानी जी के निधन पर अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। माननीय शेरवानी जी के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा। उनके संबंध में इतना ही कहना उपयुक्त समझता हूं कि वे एक बड़े राष्ट्र भक्त थे और ऐसे समय पर उन्होंने कृषि जैसे मुख्य विभाग का भार लिया जब कि हमारी नई गवर्नमेंट आजादी के बाद स्थापित हुई। उन्होंने शासन में रह कर और उससे बाहर राजनीतिक क्षेत्र में रह कर या सार्वजनिक क्षेत्र में जो आदर्श प्रस्तुत किये उनका अनुसरण करना ही सही तौर पर श्रद्धांजलि अर्पित करना होगा। इसलिये मैं सभी लोगों के साथ सहमति प्रकट करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे दल की ओर से आप उनके संतप्त परिवार को संवेदना भेज दें।

श्री अध्यक्ष---श्री निसार अहमद साहब शेरवानी की मृत्यु के ऊपर जो शोकोद्गार और जो विचार इस आदरणीय सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने उपस्थित किये हैं और अन्य दलों के नेताओं और अन्य सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं उनके साथ मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। जब मैंने शेरवानी जी के निधन की खबर अकस्मात सुनी और अखबार में पढ़ी तो मैं दौरे पर था, तो मेरे हृदय पर बहुत धक्का लगा। मैं नहीं समझता था कि इतनी जल्दी वे स्वर्गवासी हो जायेंगे। यद्यपि वे कई महीनों से बीमार थे और आशा यह थी कि वे शीघ्र ही अच्छे हो कर हमारे देश के कार्य में लग जायेंगे। लेकिन जो होना था सो हो गया। उनके परिवार से मेरा परिचय सन् १९२१ से ही करीब-करीब है। उनके बड़े भाई श्री तसद्दुक अहमद शेरवानी यह हमारे अच्छे ऊंचे दर्जे के राष्ट्र नेता रहे। उनका परिचय तो प्रत्यक्ष रहा। निसार अहमद साहब का तो उनके जरिये से ही मैं नाम सुनता रहा। लेकिन प्रत्यक्ष उनका परिचय जब से यहां पर वह चुन कर आये और यहां पर मंत्री हुए तब से हुआ। उस परिचय से मैंने यह विशेषता उनमें देखी कि वे बहुत सौम्य स्वभाव के, सरल स्वभाव के और बड़े मिलनसार व्यक्ति थे। राजनीतिक क्षेत्र में जो उनकी सेवायें थीं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। जहां तक उनका व्यक्तित्व था उससे यह प्रभाव पड़ता था कि हर एक आदमी उनसे आजादी से मिल सकता था और सब लोग प्रेम से और स्पष्टतया तथा निर्भीकता से उनके सामने अपने विचार प्रकट कर सकते थे और उनका जवाब भी वे बड़े विस्तार पूर्वक और विचार पूर्वक दिया करते थे और उन्हें समझाने की कोशिश करते थे। वह एक बड़े अच्छे कृषक भी थे। उसका भी अनुभव वे दूसरों को

दिया करते थे और कृषक अच्छा होना किस प्रकार हो सकता था यह भी मंत्री पद के कार्य के साथ-साथ वे लोगों को बताया करते थे। जहां तक भारतीय संस्कृति का संबंध है मैं यह कह सकता हूं कि जिस उच्च आदर्श की प्रतीक हमारी भारत की संस्कृति है, उसके पालन करने का वे सदैव प्रयत्न करते थे। हिन्दू-मुस्लिम एकता, बल्कि सभी जातियों में एकता स्थापन करने के लिए वह अपने चरित्र से प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित करते थे। ऐसे सज्जन पुरुष की मृत्यु पर किस को शोक न हो। सदन का उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करना स्वाभाविक ही है। मैं जो-जो उद्गार सदन में लोगों ने व्यक्त किये हैं और अपनी सहानुभूति प्रकट की है उनके परिवार के लोगों के पास भेज दूंगा और अपनी भी संवेदना उसके साथ भेजूंगा।

अब हम दो मिनट के लिये खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करेंगे।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

प्रदेश में भयंकर बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक काम रोको प्रस्ताव श्री नारायणदत्त जी ने भेजा है:—

"यह सदन विगत ११ अक्तूबर के पश्चात् प्रदेश के पश्चिमी एवं पूर्वी जिलों तथा कुमायूं डिवीजन में हुई भयंकर वर्षा एवं परिणामस्वरूप गंगा, यमुना गंडक, शारदा, कोसी, रामगंगा, हिंडन आदि नदियों में अप्रत्याशित भयंकर बाढ़ से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

इस प्रश्न के सम्बन्ध में सदन में कई बार विवाद हो जाने के बाद यह बात आयी है। इसलिये इसके ऊपर बहस करने के लिये कोई अर्जेन्सी नहीं रह जाती है। जो सिद्धान्त, जो विचार सदन के माननीय सदस्यों ने पहले व्यक्त किये हैं वही विचार दोहरानें का इसके ऊपर प्रयत्न होगा। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि यह काम रोको प्रस्ताव उपस्थित किया जाय।

पश्चिमी जिलों में भूकम्प से हुई क्षति से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा है:—

"यह सदन प्रदेश के पश्चिमी जिलों में विगत पखवारे में भूकम्प के अनेक धक्कों से हुई क्षति, जिसमें अकेले बुलन्दशहर जिले में २७ व्यक्ति मरे, से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के हेतु अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

यह विषय निश्चित है, महत्व का भी है। ऐसी अवस्था में मैं इस सम्बन्ध में नारायण-दत्त जी को इजाजत दूंगा कि अगर वे चाहते हैं कि सदन उस पर विवाद करें तो सदन की अनुमति लेने के लिये प्रार्थना करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मेरा काम रोको प्रस्ताव स प्रकार है:—

"यह सदन प्रदेश के पश्चिमी जिलों में विगत पखवारे में भूकम्प के अनेक धक्कों से हुई क्षति, जिससे अकेले बुलन्दशहर जिले में २७ व्यक्ति मरे, से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के हेतु अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

श्रीमन्, भूकम्प के धक्के तो हम सभी को लगे। यहां लखनऊ में भी मालूम हुये, लेकिन पश्चिमी जिलों में और विशेष कर बुलन्दशहर, मेरठ और अलीगढ़ जिलों के आस-पास

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जो क्षति हुई उसका अन्दाजा उस समय ही लगाया जा सकता था जिस समय कि वास्तव में भूकम्प हुये। यहां तक कि जो सीसमोग्राफिक यंत्र थे उनके अनुसार यह कहा गया कि यह भूकम्प केवल दिल्ली के आसपास लगे और यह भी कहा गया कि क्षति नगण्य है लेकिन जैसे समाचार आते गये उनसे यह स्पष्ट जानकारी हुई कि मकानों की क्षति जो इस भूकम्प के कारण हुई वह सब से अधिक है। और एक ऐसा भूकम्प, जब कि बाढ़ तथा वाटरलागिंग से तमाम उस इलाके के गांव पानी में डूबे हुए थे, होने पर और भी ज्यादा नुक्सान हो गया और अकेले बुलन्दशहर जिले से यह सूचना आई है कि २७ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तो मैं यह चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हम वाद-विवाद कर सकें और वास्तविक क्षति का अन्दाजा भी लगा सकें और भूकम्प पीड़ितों को सहायता देने के सम्बन्ध में जो कार्यवाही सरकार द्वारा की गयी है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें और सुझाव दे सकें।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको कोई आपत्ति है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, भूकम्प आया, इसमें कोई संदेह नहीं। भूकम्प से लोगों का नुक्सान हुआ, इसमें भी कोई संदेह नहीं, जानें गयीं इसमें भी संदेह नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि भूकम्प ऐसे समय में आया जबकि इन जिलों में, जिनमें कि बुलन्दशहर भी है, भूकम्प से भी अधिक विपत्ति बाढ़ के कारण आई। भूकम्प से कुछ जानें गयीं, अफसोस की बात है, लेकिन बाढ़ के कारण जो विपत्ति आयी उससे लाखों आदमियों पर असर पड़ा। ऐसी हालत में हमारे पास ज्यादा सूचना तो नहीं है, इतनी ही है जितनी कि अखबारों में आई, क्योंकि सरकारी अधिकारी सभी उस बड़ी विपत्ति में लगे हैं जो बाढ़ के कारण आयी है। इसलिये यदि कोई वाद-विवाद होगा भी तो जितना कि वाद-विवाद होगा उस हद तक हम सूचना देने में असमर्थ हैं। जब शांति हो जाय, उस समय अन्दाजा हो सकेगा। इस समय केवल इतना ही कह सकूंगा कि जितनी कि बाढ़ से त्रस्त लोगों को सहायता दी जा रही है वैसी ही भूकम्प से त्रस्त लोगों को भी सहायता दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष—जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों कि इसके लिये अनुमति दी जानी चाहिए, वह खड़े होने की कृपा करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—विरोध तो हुआ ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—विरोध उन्होंने किया है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, मैंने किया।

(केवल १४ सदस्य खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष—तो १४ सदस्यों की यह अनुमति है, इसलिये यह सदन की अनुमति नहीं है। क्योंकि इसमें कम से कम ३६ सदस्यों की अनुमति होनी आवश्यक है। तो यह प्रस्ताव गिर गया।

अब बाकी जो मेरे पास काम-रोको प्रस्ताव आये हैं वह कल लूंगा।

प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—बाढ़ के भी कल लिये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष—बाढ़ के बारे में कह ही दिया कि उसको तो मैं लूंगा ही नहीं।

श्री राजनारायण—उसमें कुछ फर्क है।

श्री अध्यक्ष—उनके लिये निर्णय तो अभी नहीं दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—बाढ़ के सम्बन्ध में आपने अनुमति देना तो उचित नहीं समझा, लेकिन बाढ़ से जितना नुक्सान हुआ है और सरकार के द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्य हुआ है इस सम्बन्ध में यदि सरकार कोई वक्तव्य दे सके तो सदस्यों को सुझाव देने का मौक़ा मिल सकेगा और वह ज्यादा उचित होगा।

श्री अध्यक्ष—बिल्कुल सही बात है। आप कुछ प्रश्न कर सकेंगे, लेकिन वक्तव्य पर बहस नहीं होगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस बाढ़ के सम्बन्ध में और साथ-साथ भूकम्प के बारे में भी यदि कोई वक्तव्य देना चाहें, जब सूचनाएं मिल जायं, उसको कब देने का विचार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोशिश करूंगा कि दो चार दिन के अन्दर दे दूं। इस समय जो सूचना है मेरे पास वह सदन के सम्मुख रख दूंगा।

उत्तर प्रदेश शरीर रचना विधेयक, १९५६ पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्शदात्री समिति के नियम ५ के अन्तर्गत मुझे यह सूचना देनी है कि कार्य परामर्शदात्री समिति ने अपनी २० अक्तूबर, १९५६ प्रातःकाल की बैठक में यह निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश शरीर रचना विधेयक, १९५६ पर विचार का निम्नलिखित कार्यक्रम रहे:—

साधारण वाद-विवाद	.. २० अक्तूबर को, यानी आज जब तक कि सदन लंच के लिये उठता है।
द्वितीय तथा तृतीय वाचन	.. २० अक्तूबर, १९५६ को लंच के बाद सांयकाल उठने के समय तक।

अब इसमें माननीय मिश्र जी अपना प्रस्ताव रखेंगे।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि आज उत्तर प्रदेश शरीर रचना विधेयक, १९५६ पर विचार करने तथा उसको पारित करने के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश शरीर रचना विधेयक, १९५६ पर विचार करने तथा उसको पारित करने के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली में नियम पुनरीक्षण समिति द्वारा किये गये संशोधनों के सम्बन्ध में सुझाव

श्री अध्यक्ष—नियमों के संबंध में, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली है उसके सम्बन्ध में मैं एक सूचना देना चाहता हूं। मैंने १८ अक्तूबर, १९५४ को सदन की अनुमति से एक नियम पुनरीक्षण समिति इस आशय से नियुक्त की थी कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली में संशोधनों के सुझाव दे। उक्त समिति ने अपने सुझाव दे दिये हैं जिनकी प्रतिलिपि आज आप की मेज़ पर रख दी गयी है। यह समिति नियमों में संशोधन का सुझाव देने के लिये सदन की अनुमति से ही नियुक्त की गई थी, अतः यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता कि इन संशोधनों को प्रस्तुत करने से पूर्व नियम २०० के अंतर्गत सदन की पुनः अनुज्ञा प्राप्त की जाय।

[श्री अध्यक्ष]

अतः उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधनों के प्रारूप को मैं नियम २०१ के अन्तर्गत, यदि सदन को आपत्ति न हो तो, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दूंगा और वह प्रवर समिति मेरा सुझाव यह है कि जो सदस्य इस समिति के सदस्य रहे हैं, उन्हीं को यह दे दें तो कार्य शीघ्र समाप्त हो जायगा और इसमें मुख्य मंत्री जी भी मौजूद थे, उनका नाम न रहे इस समिति में यह मेरा सुझाव है। अगर सदन को आपत्ति न हो तो कार्य शीघ्र करने का यह एक रास्ता हो सकता है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो सुझाव रखा गया है मेरा उससे विरोध नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि यह जो असेम्बली के नियमों में संशोधन होते हैं इनका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। विधान सभा की कार्यवाही कैसे संचालित हो, एडजर्नमेंट मोशन कब आयें और कैसे आयें, सरकार के ऊपर तथा दूसरे पदाधिकारियों के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव कब आये और गैर-सरकारी प्रस्ताव कब लिये जांय और कब न लिये जायं, इन तमाम बातों से इस नियमावली का संबंध रहता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह जब प्रवर समिति में विचारार्थ जाये तो उसके पूर्व यह प्रकाशित करा दिया जाय और जो लोग इस विधान सभा में नहीं आ पाये हैं और बाहर हैं और वह विधान सभा की पद्धति और प्रणाली से परिचित हैं और अपने देश में हैल्दी डैमोक्रेटिक ट्रेडीशन चलाना चाहते हैं, उनकी सम्मति भी आजाय तो बड़ा अच्छा होगा। किसी दल का इसमें अहित नहीं होगा। चाहे विरोधी पक्ष हो या सरकारी पक्ष हो।

मैं ऐसा समझता हूं कि आज की नियमावली में विरोधी पक्ष के लिये कुछ ऐसी बाधायें खड़ी हो जाती हैं जिससे कि हमें अपने कार्य संचालन करने में बाधा हो जाती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसकी व्यापकता और महत्व को देखते हुये ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करें कि विचारार्थ सब की सम्मति मंगाने के लिये इसको प्रसारित किया जाय, यही मैं निवेदन करूंगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, हमारी तो यही इच्छा है कि जो रूल्स बनें वह अगर अपने समय में ही बन सकें तो ज्यादा अच्छा होगा और जो माननीय राजनारायण जी ने सुझाव दिया है, वह बहुत अच्छा है। लेकिन यहां सब पोलिटीकल पार्टीज के लोग हैं और मैं समझता हूं कि अगर यह तरीका न अपनाया जायगा तो जितनी पार्टीज हैं उन सब की राय ले ली जांय और जल्दी से जल्दी यह काम हो जाना चाहिये और यह रूल्स इसी असेम्बली की लाइफ में ही हो जांय तो दूसरी असेम्बली को भी सहूलियत होगी और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को जो इन चार पांच सालों में दिक्कतें हुई हैं उनको सामने रखते हुये, विचार किया जाय तब हम लोग इंसाफ कर पायेंगे। मेरी इच्छा है कि सेलेक्ट कमेटी जल्दी से अपनी रिपोर्ट दे दें जिससे सदन इस पर विचार कर सके।

मुख्य मंत्री (डा० सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों का समर्थन करता हूं जो अभी माननीय उपाध्याय जी ने कही हैं। हम सब की यह इच्छा है कि नियमावली जितनी जल्दी बन जाय उतना ही अच्छा होगा और हाउस में हर तरह के लोग हैं और कोई कारण मानने का नहीं है कि जो नियमावली बनेगी वह सब के लिये फ़ेयर और न्यायपूर्ण नहीं होगी। माननीय राजनारायण जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उस सम्बन्ध में इतना ही कह सकता हूं कि मैं इस बात का दावा तो नहीं करता कि मुझे सब जगह की जानकारी है लेकिन शायद ही कहीं ऐसा हुआ हो कि किसी व्यवस्थापिका सभा ने अपनी नियमावली पब्लिकली सर्कुलेट की हो और दुनियां के और लोगों ने भी इस विषय में राय दी हो। सदन खुद काम्पिटेन्ट होता है अपने नियमों को बनाने में। इसलिये मैं उनके सुझाव का विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण---काम्पिटेन्ट तो हिटलर भी था अपनी व्यवस्था के लिये।

श्री अध्यक्ष---तो इस सम्बन्ध में तो सब की राय है कि यह प्रवर समिति को दे दी जाय। श्री राजनारायण जी का एक सुझाव है कि और लोगों की भी राय इसमें ले ली जाय। तो नियम में यह कहीं भी नहीं है कि सदन अपने नियम बनाते हुये बिल की तरह कोई सर्कुलेशन उनका करे। प्रवर समिति की ही इसमें गुंजायश है। लेकिन उनकी भावना का खयाल रख के प्रवर समिति खुद इस बात का विचार कर सकती है कि किसी की राय ले या अगर कोई राय देता है तो उस पर विचार कर ले। इस तरह से कोई ऐसा रास्ता हो सकता है कि जिसमें और लोगों की जो महत्वपूर्ण राय हो उस पर प्रवर समिति स्वयं विचार कर ले। यह मैं सुझाव देता हूं लेकिन नियमों के अनुसार सदन की तरफ़ से कोई ऐसी हिदायत नहीं दी जा सकती है कि सब की राय लेनी चाहिये।

जो विचार अभी प्रकट किये गये हैं उनसे मालूम होता है कि यह सदन चाहता है कि इस सदन के इसी कार्यकाल में ये पास कर दिये जायं। तो इसके लिये मैं समझता हूं कि जो अगली बैठक नवम्बर में करने का विचार है उस वक्त तक अगर प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे दे तो हो सकेगा। उसके लिये नेता सदन से मैं बातचीत कर लूंगा कि कब-कब वे बैठकें बुलायेंगे। उसके हिसाब से ही मैं तारीख मुक़र्रर कर दूंगा कि इतने दिन के अन्दर इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिये। अधिक से अधिक जितना समय दिया जा सकता है उतना देने का इसमें प्रयत्न होगा। तो यह स्वीकृत हुआ।

रविवार, २१ अक्तूबर, १९५६ को सदन की बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ़ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार सदन की बैठक रविवार को नहीं होती है, किन्तु विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विधेयकों को शीघ्र पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि दिनांक २१ अक्तूबर, १९५६ को पड़ने वाले रविवार को भी सदन की बैठक निश्चित समय से हो।

अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में इस सम्बन्ध में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पिछली बैठक हुई थी उसमें इतना मैं समझ पाया कि सभी लोगों की यह राय थी कि चूंकि कई छुट्टियां पड़ रही हैं और कार्य हमारे सामने अधिक है इसलिये सदन की बैठक इतवार को भी हो। मैं इसी आशा से इसको पेश कर रहा हूं कि माननीय सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और मेरे विरोध करने का कारण यह है कि इस समय एजेन्डा पर जो विषय रखे गये हैं यदि आप उनका अवलोकन करेंगे तो ऐसा कोई भी विषय प्रतीत नहीं होगा जिसको कि यदि हम इतवार को पास न कर दें तो या तो धरा ही धंस जाय या गगन ही फट जाय। श्रीमन्, इसके अलावा मैं आप का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं उस दिन की तरफ जिस दिन की यह सदन उठ रहा था। उस दिन भी सरकार की ओर से ऐसा ही प्रयत्न किया गया था और जहां तक मेरी स्मरणशक्ति जाती है, आपने कहा था कि यह सदन उठता है और उठेगा और १९ को फिर बैठेगा और १९ को हम बैठ कर आगे के लिये निर्धारित कर लेंगे कि हमारा अगला कार्यक्रम क्या होगा और सदन की कोई सम्मति न तो शनिवार के लिये बैठने के लिये और न रविवार को बैठने के लिये ही ली गई थी। मैं समझता था कि हम १९ को ही बैठेंगे तदनुरूप मैं यहां उपस्थित भी हुआ था। कल मैंने सचिव श्री मित्तल जी से भी फोन पर बात की थी और उनसे मैंने निवेदन किया था कि यह सदन १९ को बैठने वाला था, यह एकाएक २० कैसे हो गया। समाचार पत्रों में यह समाचार आया कि १९ की ख़बर ग़लती से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

निकल गयी थी, सदन २० को ही बैठेगा। अब यह कैसे हुआ? क्या हुआ? यह सब मेरे लिये अंधकार में है। खैर, उस दिन भी मैं इसका विरोधी था कि सदन इतवार को बैठे। शनिवार का कुछ चर्चा जरूर चला था, मगर शनिवार को भी बैठे या न बैठे इस पर सदन का कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया था, जहां तक मैं समझता हूं।

अब श्रीमन् आप देखेंगे कि वित्त मंत्री जी कोआपरेटिव सोसाइटीज विधेयक पुरः स्थापित करेंगे और उसके बाद शरीर रचना विधेयक, जो चल रहा है, आयेगा। इसके बाद तीसरा आइटम है इंटरमीडियेट एजूकेशन विधेयक पर विचार किया जाय। इसमें इतना ही एजेन्डा है और इसके अतिरिक्त और कोई भारी एजेन्डा मुझे नहीं दिखलाई पड़ता और जैसा कि कल मुझे सचिव, विधान सभा ने बतलाया कि सब लोगों को जानकारी करा दी गई है कि २५ तारीख तक ही यह सदन चलेगा। तो उसके बजाय अगर यह सदन २६ तक चल जाय तो कौन सी खराबी हो जायगी यह मेरी समझ में नहीं आया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर कोई रोशनी नहीं डाली। फिर भी श्रीमन्, यह पहला मौका होगा कि इतवार को यह सदन बैठे। कोई ऐसी अहम परिस्थिति होती, कोई ऐसा बड़ा काम होता कि जिससे अनिवार्य रूप में, बाध्य हो कर राष्ट्र का हित या अहित होता, ऐसे कोई संबंध जुड़ जाते तो श्रीमन्, मुझे इतवार को बैठने में कोई आपत्ति न होती, मगर इन छोटे-छोटे कामों के लिये अगर हम एक ट्रेडीशन बिगाड़ेंगे, परम्परा खराब करेंगे कि जब सरकार चाहे एक प्रस्ताव लाकर सरकारी पक्ष की ओर से या किसी और पक्ष को मिला कर उस की सम्पति पहले से हासिल करके किसी भी दिन सदन बैठा ले मैं समझता हूं कि यह ठीक न होगा। इसमें हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं रहेगी। इसलिये मैं आप से निवेदन करता हूं और आप के द्वारा अपने अधिकार की सुरक्षा चाहूंगा, लेकिन खैर, अब तो आप ने इजाजत दे दी, उन्होंने प्रस्ताव उपस्थित कर दिया इसलिये वह निवेदन तो आप के सामने विचारार्थ उपस्थित होगा, नहीं क्योंकि वह संकल्प तो हट गया, तो इसलिये मैं आप के द्वारा ही सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करे और गम्भीरता के साथ सोचे और इसको देखे कि क्या इतवार को बैठना नितान्त आवश्यक है? मैं समझता हूं नहीं है। श्रीमन्, हमने इतवार के लिये पहले से ही अपना कार्यक्रम बना लिया है और वह कार्यक्रम हमारी दृष्टि से छोटे भी नहीं हैं क्योंकि वह कार्यक्रम पहले से ही निश्चित हैं और उस कार्यक्रम का असर भी प्रदेश के जन-जीवन पर पड़ने वाला है, तो हम लोगों के लिये बहुत ही मुश्किल होगी कि इस प्रकार की हठवादिता के सामने हम झुकें। इसलिये हमारा सरकार की हठवादिता के सामने न झुकने का हमारा फैसला अडिग है और अडिग रहेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग छुट्टी के पहले उठने वाले थे तो उस दिन यह प्रस्ताव आया था। मैं समझता हूं सब की सहूलियत के लिये यह निश्चय हुआ था कि हम लोग इतवार को भी बैठने के लिये राजी होंगे। उस दिन हमारे साथी माननीय राजनारायण जी ने यह प्रश्न हाउस के सामने रखा था और कहा था कि हमको इसके खर्चे की तरफ भी देखना चाहिये। अगर हम और एक दिन अधिक बैठेंगे तो हम और अधिक खर्चा हाउस का करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर हम इतवार को भी बैठ जायं तो उसमें कम से कम हमारा २० हजार रुपया की बचत होगी। एक दिन का खर्चा अगर देखा जाय तो हमारे हाउस का करीब २० हजार आता है। तो अगर हम एक दिन बैठ जायें और इतवार को ही बैठ जायं तो इससे कुछ काम भी होगा। इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। हम लोग भी इस प्रस्ताव के लिये राजी हो गये थे। हमेशा के लिये हम इसके हक में नहीं हैं लेकिन उस दिन सभी ने इस सुझाव को माना था और माननीय मुख्य मंत्री जी को हमारे दल की ओर से इशारा भी किया गया था कि आप इतवार लेले तो हमें कोई एतराज नहीं होगा और साथ ही लम्बी छुट्टी लगातार मिल जायं तो उसमें सभी को सुविधा रहेगी। मैं समझता हूं राजनारायण जी भी इसको मान जायेंगे क्योंकि उस दिन करीब-करीब यह फैसला हो चुका था कि इतवार को भी काम के लिये ले लिया जाय। इसलिये जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने हाउस के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो यह संकल्प प्रस्तुत हुआ है उसके समर्थन में हम लोग सभी हैं, परन्तु कुछ वैधानिक शंका उत्पन्न हो गयी है। जबकि हम इतवार के लिये संकल्प उपस्थित कर रहे हैं तो शनिवार भी उसके साथ प्रस्तावित होना चाहिये। यदि हम सदन की स्वीकृति रविवार के लिये ले रहे हैं तो शनिवार के लिये भी इसमें जोड़ना चाहिये क्योंकि शनिवार के लिये वह वैधानिक प्रश्न उठ सकता है। पिछली मर्तबा जब हम उठे थे अगर यह तय कर लिया गया था कि शनिवार को भी हम बैठेंगे और इतवार को भी हम बैठेंगे तो तब यह प्रस्ताव जो आज रखा गया है आवश्यक नहीं है लेकिन जब इतवार के लिये यह आवश्यक हो गया है तो शनिवार का दिन भी इसमें सम्मिलित हो जाना चाहिये तभी यह उचित मालूम होता। इस प्रकार यह वैधानिक शंका सामने आती है और मैं समझता हूं इसको ठीक कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---जहां तक वैधानिक शंका उत्पन्न की गयी है मैं उसका स्पष्टीकरण कर देता हूं। यदि शनिवार, इतवार या दोनों के लिये संकल्प होना आवश्यक रहा है और यदि मैं पूछ लेता रहा कि बैठना है और सदन ने "हां" कह दिया तो वह संकल्प भी सदन का समझा जाता है। यह भी सदन की राय लेने का एक तरीका रहा है। तो उस प्रस्ताव को मैंने इसमें देखा। जहां तक शनिवार का प्रश्न था उसके विषय में किसी को आपत्ति नहीं थी। मैंने कहा था कि अगर १९-२०-२१ को बैठे तो १९-२०-२१ को बैठ सकते हैं। उसके ऊपर श्री राजनारायण जी ने कहा था कि "शनिवार को कभी-कभी सरकार ले लेती है लेकिन रविवार के न जोड़ने से सरकार के कार्यक्रम में कौन सी बाधा पड़ती है"। यह उन्होंने उसके ऊपर रविवार के लिय आपत्ति उठायी थी। इसके लिये अंत में मैंने यह कहा था कि वाराबफात का विचार करके इसमें यह हो जाय कि १९ तारीख के बजाय-उस वक्त तो १९ तारीख का ही ख्याल था-२१ को हो जाय जो रविवार के बारे में था तो उसका संकल्प उस दिन आ जायगा यानी इतवार के लिये निश्चय हम शनिवार को कर लेंगे। शनिवार के लिये राजनारायण जी को आपत्ति नहीं थी। शनिवार और शुक्रवार को यानी १९-२० के बारे में तय हो गया था कि हम लोग बैठेंगे। १९ तारीख को न बैठने का निर्णय बाद को हुआ। माननीय मुख्य मंत्री नेता सदन और मेरे बीच परामर्श हुआ और यह विचार हुआ कि वाराबफात का ख्याल करके यदि उस दिन छुट्टी रहे तो ठीक होगा। लोग वाराबफात में घर जाकर १९ को लौटने में कठिनाई अनुभव करेंगे क्योंकि वाराबफात ज्यादातर रात को मनाते हैं तो लोग वापस कैसे आ सकेंगे। तो एक रोज पहले ही कम कर दिया जाय तो अच्छा हो जाय। यह विचार करके रेसिडुअरी पावर हैं उसका प्रयोग करके १९ के बजाय २० को बैठक कर दी और पहले जो १९ की घोषणा थी उसको रद्द कर दिया। तो यह आपत्ति जो थी वह २१ तारीख के बारे में थी क्योंकि प्रश्न केवल २१ तारीख के विषय में ही रह गया था और पहला जो संकल्प था, एक तरह से वह मंजूर कर लिया गया था क्योंकि उस पर इस सदन की राय ले ली गयी थी यानी १९ और २० के लिये। इसलिये यदि आप समझें कि तारीख २० को संकल्प में उसको जोड़ देने की अब भी आवश्यकता है तो उसको जोड़ा भी जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है लेकिन मैं समझता हूं वह अनावश्यक सा है।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्वाइंट उठा रहा था।

श्री अध्यक्ष---दूसरा प्वाइंट अब नहीं उठ सकता।

श्री राजनारायण---तो क्या आपकी यह रूलिंग हो गयी कि शनिवार को बैठने का फैसला उस दिन हो चुका था? क्योंकि अगर उस दिन प्रस्ताव आता तो शनिवार का भी मैं विरोध करता। उस दिन तो केवल मैंने वस्तु स्थिति को बयान किया था कि पहले शनिवार को तो बैठा गया है लेकिन रविवार को कभी नहीं बैठा गया। लेकिन उसके विषय में कोई प्रस्ताव नहीं आया था। आपने यह कहा था कि १९ को बैठेंगे उस दिन जैसा होगा वैसा प्रस्ताव आ जायगा।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री इसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं ? (कोई संशोधन न होने पर) माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव में और कुछ बढ़ाना नहीं चाहते इसलिये मैं प्रस्ताव को फिर से पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार है---

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार सदन की बैठक रविवार को नहीं होती है, किन्तु विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विधेयकों को शीघ्र पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प किया जाता है कि दिनांक २१ अक्तूबर, १९५६ को पड़ने वाले रविवार को भी सदन की बैठक निश्चित समय से हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ ---

पक्ष में---१७२,

विपक्ष में---३।)

कोआपरेटिव सोसाइटीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---अध्यक्ष महोदय, मैं कोआपरेटिव सोसाइटीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४३८-४४४ पर)

सदन के भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतला दें कि जो पांच छः रोज हम लोग बैठेंगे उसमें कार्यक्रम क्या होगा क्योंकि अभी तो शरीर रचना विधेयक लिया जा रहा है और चालू है, इसके बाद कौन सा लिया जायगा, यह जानना चाहेंगे लोग।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, हमारा अनुरोध तो सदन से यह है कि शरीर रचना विधेयक और इंटरमीडियट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक का जिक्र तो है ही आज के कार्यक्रम में, इसके अलावा एक कोआपरेटिव सम्बन्धी बिल लिया जायगा और एक बहुत ही आवश्यक विधेयक है श्रम विभाग के सम्बन्ध में जो अभी नहीं आ सका है। हम चाहते हैं कि वे कम से कम जरूर पारित हो जायं।

श्री अध्यक्ष---क्या आप इंटरमीडियट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, अभी नहीं लेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसका जिक्र तो आज के कार्यक्रम में भी है।

श्री अध्यक्ष---जिक्र तो है लेकिन शायद इसको आप अभी न लेना चाहें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---नहीं, लेना चाहेंगे। मेरा मतलब है कि शरीर रचना विधेयक, इंटरमीडियट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, कोआपरेटिव सोसाइटीज विधेयक और उसके बाद लेबर सम्बन्धी विधेयक लिया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---कब तक यह सदन बैठेगा, इसका भी कुछ अन्दाजा हो जाय तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष---यह सदन कब तक बैठेगा, इसकी सूचना भी आप सदन को दे देंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एकाध दिन में इसकी सूचना सदन को दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष---(श्री पालीवाल से) क्या आप इस सम्बन्ध में कुछ पूछना चाहते हैं ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---अध्यक्ष---महोदय,एक सरकारी विज्ञप्ति मिली दिनांक १५ अक्तूबर की जिसमें यह कहा गया है कि २४-२५, और २६ अक्तूबर जो पहले सरकारी दिवस रखे गये थे उनमें से २४-२५ अक्तूबर को असरकारी दिवस से हटा कर सरकारी दिवस कर दिया गया है। इसके संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई उल्लेख नहीं किया। इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि असरकारी दिवस को भी काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और उसके सामने यह लिखा है कि उसके बाद लेंगे। तो यह बता दिया जाय कि इसके बदले मे कब असरकारी दिवस देगें ताकि सदन को मालूम हो सके और वह इस पर विचार कर सके कि असरकारी कार्यक्रम क्या है ?

श्री अध्यक्ष---पहले एक दफा यह तय हो चुका था कि २४, २५ और २६ को असरकारी दिन होगा। इसके पहले दो दिन असरकारी कार्य के बाकी रह गये थे २६ को भी असरकारी दिन होता है लेकिन २४-२५ जो असरकारी दिन है उसे सरकारी कार्य के लिये ले लिया गया है चूंकि ये दो तीन बिल जिनका जिक्र अभी आपने किया इनको जल्दी पारित कराना है। इसलिये दो असरकारी दिन उसमें से काट कर २४-२५ तारीख को सरकारी कार्य के लिये दे दिया गया है, तो उनके पूछने का मतलब यह है कि २४-२५ ये दो दिन जो असरकारी कार्य में से काट दिये गये हैं उनकी एवज में कौन से दिन दिये जा सकते हैं ? इसका स्पष्टीकरण सरकार दे सकती है तो दे दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, यह तो एक बहुत पुराना कर्जा हमारे ऊपर चला आ रहा है। हम जरूर इसको अदा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कब तक अदा कर सकेंगे यह बताना अभी मुश्किल होगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सदन खतम होने के पहले असरकारी दिवस दे दिये जायं।

*उत्तर प्रदेश शरीर रचना विधेयक, १९५६ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---अब माननीय स्वास्थ्य सभा सचिव के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश शरीर रचना विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा। उस दिन माननीय श्री तेज प्रताप सिंह जी भाषण दे रहे थे।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस विधेयक को देखने से ऐसे कुछ मालूम होता था कि सरकार डेस्टीट्यूट्स अर्थात् जो गरीब हैं, बेघरबार हैं, बेरोजगार हैं और दरिद्र हैं जिनके न कहीं रहने का ठिकाना है, और जो बीमार हैं, हर तरीके से संतप्त हैं, उनके शरीर की रक्षा के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसके शीर्षक से ऐसा कुछ मालूम होता था लेकिन इसके भीतर जाने और पढ़ने से ऐसा ज्ञात हुआ कि यह बिल केवल शव प्राप्ति के लिये रखा गया है, ऐसे व्यक्तियों के शव की प्राप्ति के लिये जिनका कोई वारिस या सम्बन्धी न हो और ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने लिख कर यह घोषित कर दिया हो, अस्पतालों में या और जगह कि उन के शव को उन की मृत्यु के बाद शरीर रचना सम्बन्धी अन्वेषण के लिये किसी संस्था को दे दिया जाय। तो मैं इसके द्वारा एक जरूरी बात सरकार से कहना चाहता हूं कि जहां हम लावारिसों के शव की प्राप्ति करके उससे लाभ उठाने का बिल बनाते हों वहां उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि डेस्टीट्यूट्स होम आदि बनाने के लिये भी हम कोई बिल यहां उनके दुर्दशा से रक्षण के लिये प्रस्तुत करें।

इसके सम्बन्ध में माननीय पालीवाल जी ने जो संशोधन पेश किया है कि इसको एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन उसमें जो कहा गया था कि इस को ३० सितम्बर सन् ५६ तक के लिये निर्दिष्ट किया जाय, उसकी जगह मैं चाहता हूं क्योंकि अब ३० सितम्बर तो बीत गई इसलिये वह अवधि ३० अक्तूबर तक कर दी जाय और

---

*३१ अगस्त, १९५६ की कार्यवाही में छापा गया।

† ६ सितम्बर, १९५६ की कार्यवाही से क्रमागत।

[श्री तेजप्रतापसिंह]

उसके अन्दर वह अपना प्रतिवेदन सदन के सामने प्रस्तुत करे। वैसे यह बात पहले ही मान ली गई होती तो ३० सितम्बर तक ही रिपोर्ट समिति की आ सकती थी लेकिन मैं अब माननीय पालीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वह ३० अक्तूबर का सुझाव मान लेंगे अब एक प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई व्यक्ति अस्पताल में या किसी सार्वजनिक स्थान में मर जाता है तो एक प्राधिकारी जो नियुक्त किया जायगा, उसके शव को उसके सुपुर्द कर दिया जायगा, वह उसके चार्ज में होगा और धारा २ की उपधारा (२) में बताया गया है कि वह अनक्लेम्ड कब होगा ? उसमें कहा गया है कि अगर किसी शव के सम्बन्ध में कोई ऐसी याचना नहीं करता है कि यह शव हमारे सम्बन्धी का है तो वह अनक्लेम्ड समझा जायगा, लेकिन मैं समझता हूं कि यह विधान का की नहीं है, क्योंकि सवाल यह है कि आखिर कितने दिन यह शव रखा रहेगा जब तक वह इंतजार करेगा कि उसे कोई क्लेम करे और कितने दिन तक यह क्लेम करने की छूट दी जायगी, मैं समझता हूं इस विधि को और इस अवधि को बिल में खोलना चाहिये था, क्योंकि दिक्कत यह हो सकती है कि रूल्स बाद में बनें और स्पष्टीकरण बाद में हो और लोगों को यह मालूम न हो सके कि कितने दिन तक वह शव प्राधिकारी के अधिकार में रहेगा और कब तक वह संबंधियों को मिल सकेगा।

दूसरे यह स्पष्टीकरण इस बिल में कहीं नहीं है कि जहां हम शव प्राप्ति का अधिकार लेते हैं वहां हम यह जिम्मेदारी भी प्राधिकारी को सौंपें कि वह मृतक के संबंधियों को तलाश करे और उन्हें सूचना दें कि ऐसा शव अमुक सार्वजनिक स्थान में या अस्पताल में है अस्पतालों में तो रजिस्टर वगैरा में कुछ चर्चा हो सकती है लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं कि जो किसी अन्य सार्वजनिक स्थान में मर सकते हैं, लोग सफर में या रेल में भी मर जाया करते हैं, बसेज पर भी अक्सर मर जाते हैं और इसी तरह से अन्य स्थानों में भी मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी हालत में वह सूचना देने की जिम्मेदारी यदि हम प्राधिकारी पर नहीं छोड़ते हैं तो मृतक के संबंधियों को कोई जानकारी मृत्यु की नहीं हो सकती और इस प्रकार याचना की दिक्कत हो सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में विचार करना बहुत ही आवश्यक है कि जहां हम शव को लेने का अधिकार प्राधिकारी को सौंपते हैं वहां उसकी यह भी जिम्मेदारी रहे कि वह शव का उस मृत व्यक्ति के संबंधियों को भी सूचना दे। अब सवाल यह होता है कि मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है। प्राधिकारी कैसे समर्थ हो सकता है कि वह यह जान सके कि वह कौन सा व्यक्ति है, कहां का निवासी है और कौन उसके सम्बन्धी हैं ? लेकिन ऐसा भी संभव है कि इस मृत व्यक्ति के पास कोई चिट्ठी पत्र या कागजात मिलें जिससे सम्बन्धी का पता चल सकता है। मैं समझता हूं कि यह जिम्मेदारी सौंपना उस प्राधिकारी के ऊपर बहुत ही आवश्यक होगा यहां यह चीज छूटी हुई है। यदि प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाता है तो इस पर अच्छी तरह से विचार हो सकेगा और जो गड़बड़ी हो सकती है इसके संशोधन में वह नहीं रह सकेगी।

दूसरा एक सवाल इस धारा २ की उपधारा २ में यह भी उठता है कि नियत समय के लिये जो शव रखा रहेगा। जिसके अन्दर कोई अभियाचना कर सकता है तो इस बीच में उस मृत शरीर की रक्षा कैसे होगी। आगे धारा ६ में दिया हुआ है जब कोई शंका इस तरह की उठ खड़ी हो कि फलां व्यक्ति जिसकी अभियाचना की है वह सम्बन्धी उस मृत व्यक्ति का है या नहीं तो दूसरे प्राधिकारी को वह मामला सुपुर्द कर दिया जाय और उसका डिसीजन फायनल होगा और इस बीच जब तक डिसीजन न हो तब उस प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उस शव की रक्षा करे। यह बहुत ही उचित व्यवस्था धारा ६ में रक्खी गई है, क्योंकि अगर सारा बाडी डिके कर जाता है तो उसका सम्बन्धी सड़े शव का क्या करेगा। बड़ी भद्दी बात यह होगी। धारा ६ में इसके लिये ध्यान रक्खा गया है लेकिन धारा २ में जहां अभियाचना के लिये समय निश्चित किया गया है वहां उस शव की रक्षा कैसे होगी, किस के ऊपर जिम्मेदारी होगी, इस पर कोई बात साफ नहीं कही गई है। यदि यह प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाता है

तो यह चीज वहां साफ हो जायगी। अभियाचना के लिये जो समय निर्धारित किया जायगा उस बीच तो शव की रक्षा की जिम्मेदारी किस पर होगी और किस प्रकार होगी इसको भी स्पष्ट रूप से धारा २ की उपधारा २ के अन्तर्गत स्पष्ट कर दिया जायगा तो यह भी एक कमी इससे दूर हो सकेगी।

तीसरे धारा ५ में तमाम बातें रक्खी गई हैं। यदि जेल में मृत्यु हो जाती है, अथवा अस्पताल में या सार्वजनिक स्थान में हो जाती है तो उसके बारे में जो प्राधिकृत पदाधिकारी है उसको रिपोर्ट दे दी जायगी कि फलां व्यक्ति मृत हो चुका है। वह फिर वैधानिक रूप से कार्यवाही करेगी किसी संस्था को सुपुर्द कर देगा। लेकिन एक सवाल उठता है। वह मुझे जहां तक याद है माननीय रामेश्वर लाल जी ने एक प्रश्न सुझाव के रूप में उठाया था। कोई ऐसा महापुरुष हो सकता है, महान् व्यक्ति राजनैतिक या आध्यात्मिक नेता हो सकता है जिनका कुटुम्ब —जिसको हम कुटुम्ब मानते हैं दुनियादारी में —वह न रहा हो लेकिन उनका एक बड़ा कुटुम्ब हो जाता है —एक बड़ा दल उनका कुटुम्ब बन जाता है अथवा आध्यात्मिक नेता होने के नाते उस धर्म के अनुयायी उसका कुटुम्ब बन जाते हैं —ऐसे ऊंचे व्यक्ति के लिये कोई इसमें गुंजाइश नहीं रखी गयी है कि वे बड़े कुटुम्ब वाले लोग यदि अभियाचना करें तो वे शव को प्राप्त कर सकें मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उचित होगा कि महान् व्यक्तियों के मृत शरीर को लेने के लिये कोई इसमें एक प्राविजन होता जिससे संतुष्टि उनके धर्मावलंबियों को हो सकती या राजनैतिक पार्टियों को हो सकती। इस तरह से यह एक खामी रह जाती है जिस पर कि माननीय मंत्री जी को गौर करना चाहिये और मैं समझता हूं कि यह प्रवर समिति को अगर सुपुर्द कर दिया जाता तो वहां पर यथेष्ट रूप से, अच्छी तरह से इस प्रश्न पर भी विचार किया जा सकेगा। चौथे धारा ७ में दंड व्यवस्था रखी गयी है, अध्यक्ष महोदय, यदि कोई मृत शरीर के लेने में अथवा किसी पदाधिकारी को सुपुर्द किये जाने में अथवा किसी सार्वजनिक संस्था को दिये जाने में यदि रुकावट डालता है तो उसको दंड दिया जाय और वह दंड होगा पांच सौ रुपये तक का। मैं समझता हूं कि यह पांच सौ रुपये तक का दंड बहुत बड़ा दंड होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह विषय खंडों पर विचार करते वक्त आ सकता है।

श्री तेजप्रतापसिंह—मैं सिर्फ इतना ही संकेत मात्र करना चाहता हूं कि ऐसी सारी समस्याएं जिनका मैंने संकेत किया उन पर विचार एक प्रवर समिति में ही हो सकता है। इसलिए मैं माननीय पालीवाल जी द्वारा उपस्थित संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे और मैंने जो सुझाव रखे हैं उन पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करने की कृपा करेंगे।

श्री बसन्तलाल शर्मा (श्री बहराइच)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मेरी समझ में यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। जब कि हमारे प्रदेश में विकास की बहुत अच्छी प्रगति हो रही है और जगह-जगह मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं और आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में भी सर्जरी की व्यवस्था की गयी है तो शवों की बहुत ही आवश्यकता बढ़ गयी है और शवों के प्राप्त करने में जो कठिनाइयां हो रही हैं वह एक बड़ी समस्या है। देखने में यह आता है कि आजकल मेडिकल कालेजों में जो शव लाये जाते हैं उनके लाने का एक बहुत ही अजीब ढंग है। जो इस काम के लिये नियुक्त हैं वह लोग किस प्रकार से शव प्राप्त करते हैं। कहीं बहते हुए और कहीं खरीद कर शव लाते हैं। उसकी कीमत भी देनी पड़ती है। तो यह जो कठिनाई है और जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है वह बहुत ही आवश्यक उद्देश्य है। किन्तु इस बिल की भाषा और इसका शीर्षक, इसकी शब्दावली अगर गौर से देखी जाय तो उसमें कई जगह ऐसी त्रुटियां हैं जिनमें बहुत ही संशोधन की आवश्यकता है। साथ ही जो धाराओं की व्यवस्था की गयी है शव के क्लेम करने के लिए वह जरा बहुत साफ नहीं है।

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

सार्वजनिक स्थान का जिक्र किया गया। ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि कोई भिखारी किसी के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए जाता है और हार्ट फेल हो कर मर जाता है। तो न वह सार्वजनिक स्थान ही है, न कोई क्लेम करने वाला ही है। लेकिन इस बिल के द्वारा उस शव को प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिलता। इसके अलावा किसी के खेत में या किसी बाग में कोई ठहरा हुआ है तो वह सार्वजनिक स्थान भी नहीं होता है और वह व्यक्ति मर जाता है। उसका शव अनभिग्रहीत रहता है तो उसमें भी इस बिल के अन्दर अधिकार प्राप्त नहीं होता। साथ ही अगर कोई राजनीतिक नेता जिसके लिए सारे देश की जनता याचना कर सकती है उसके शव को प्राप्त करने की इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी ही किसी मठ या किसी मंदिर या धार्मिक स्थान के गुरु या महन्त के सम्बन्ध में भी कोई व्यवस्था इसके अन्दर नहीं है कि उसका शव उसके शिष्यों और अनुयायियों को कैसे मिल सके जो कि उसका दाह संस्कार कर सकें।

यह त्रुटियां इस बिल के अन्दर स्पष्ट हैं। इनका दूर करना बहुत ही आवश्यक है। परन्तु माननीय पालीवाल जी के प्रस्ताव का मैं विरोध इसलिये करता हूं कि इसके अन्दर जो संशोधन आये हैं उनके द्वारा यदि वे संशोधन ज्यादा आवश्यक समझे जायेंगे स्वीकार हो जायेंगे तो वह त्रुटियां जो कि प्रवर समिति में जाकर दूर हो सकती हैं उनकी दृष्टि से, वे इन संशोधनों से भी दूर हो सकती हैं। अतः मैं पालीवाल जी से प्रार्थना करूंगा कि इस महत्वपूर्ण छोटे से बिल को पास करने में अधिक समय न लगायें और अपना प्रस्ताव वापस ले लें ताकि यह जल्दी पास हो जाय और जो आवश्यकता है इस बिल की वह पूरी हो सके।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका जो शीर्षक है उसके ऊपर मान्यवर, आपने भी अपना थोड़ा सा संकेत किया था और यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश की राजभाषा हिन्दी हो चुकी है फिर भी यह प्रथा ऐसी चली आ रही है कि जो बिल या विधेयक यहां बनाया जाता है वह पहले अंग्रेजी में तैयार होता है और फिर उसका अनुवाद किया जाता है। इसके कारण बहुत ही त्रुटियां हिन्दी की शब्दावली में आ जाती हैं अंग्रेजी में जो विधेयक है उसमें अनाटोमी लिखा है और उसका अनुवाद शरीर रचना किया गया है। मैं समझता हूं कि यह गलत है। इस बिल का जो उद्देश्य है उसमें लिखा है "राज्य के मेडिकल कालेजों के प्राधिकारी मनुष्यों के मृत शरीरों को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं।" तो यह बिल इस बात का अधिकार देता है कि शव को प्राप्त किया जा सके। अतः 'शव प्राप्तिकरण' इसका नाम होता तो अच्छा होता। लेकिन अगर यह भी न रखा जाता और अनाटोमी का अनुवाद ही होता तो जो गवर्नमेंट की प्रेस्क्राइब्ड हिन्दी डिक्शनरी है उसमें अनाटोमी का अनुवाद रचना शारीर है। तो अगर इसका नाम उत्तर प्रदेश रचना शारीर विधेयक होता तब भी ठीक होता, लेकिन इसमें शरीर रचना बहुत ही भ्रामक शब्द है। पता नहीं यह प्रथा कब दूर होगी कि पहले अंग्रेजी में विधेयक बनाया जाता है और तब उसका अनुवाद हिन्दी में होता है। मैं यह नहीं कहता कि अंग्रेजी में न बने। उसका भी बनना आवश्यक है, क्योंकि ऊंचे अदालतों में अभी अंग्रेजी के ही बिल काम में आते हैं। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि पहले हिन्दी में ओरिजनली विधेयक बने तब उसका अनुवाद अंग्रेजी में हो। इन सुझावों के साथ मैं माननीय पालीवाल जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक उपस्थित किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय बसन्त लाल से इत्तफाक करता हूं कि इस विधेयक का नामीकरण उपयुक्त नहीं है।

उपयुक्त नामीकरण जो उन्होंने उपस्थित किया है इसे यदि सरकार स्वीकार कर ले तो जो नाम विधेयक में दिया हुआ है उससे तो उपयुक्त है। इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय पालीवाल जी ने यह प्रस्ताव किया कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। उनका मंशा यह था कि इस विधेयक पर विचार करने के लिये समय मिले और इत्तफाक

यह हुआ कि इस बीच में काफी छुट्टियां आयीं और मैं समझता हूं पालीवाल जी ने और दूसरे सदस्यों ने जिन्होंने इस विधेयक की महत्ता को समझा है उन्होंने इसके ऊपर गौर किया होगा और अब आज के दिन यह जरूरत नहीं मालूम होती कि इसको फिर प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय ताकि इसको परिमार्जित किया जावे। मैं समझता हूं इस विधेयक का तात्पर्य यह है कि हमारे प्रदेश में मेडिकल साइंस की जो शिक्षा बढ़ रही है मेडिकल कालेज और आयुर्वेदिक कालेज खुल रहे हैं, वहां पर अनाटोमी बढ़ाने के लिये शव प्राप्त नहीं हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जाय, उसमें सहायता देने के लिये यह विधेयक उपस्थित किया गया है माननीय बसन्त लाल जी ने कुछ ऐसी बातें कह दीं दो जिन्हें मैं समझता हूं जो अभिप्राय इस विधेयक का था वह खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि बड़े आदमियों का और महन्तों का शव कैसे प्राप्त किया जायगा। इनको प्राप्त करने का सवाल ही कैसे पैदा होता है जब तक कि वे खुद मरने से पहले वसीयत नहीं कर जाते हैं कि हमारा शव शरीर रचना पढ़ाने के लिये दिया जाय ? तो मंशा यह है कि जहां अनाटोमी पढ़ायी जाती है वहां शव कैसे प्राप्त हों और चूंकि अपने देश में अधिकतर यह प्रथा है कि शरीर को या तो भस्म किया जाय या दफनाया जाय इस तरह से शव कम प्राप्त होते हैं। हां जो लोग अपने शरीर को मरने से पहले दान न कर सकें तो उस जरूरत को तो लावारिस शरीरों से पूरा किया जा सकता है और उसी को सहायता प्राप्त करने के लिये यह विधेयक उपस्थित किया गया है। मैं समझता हूं यह बहुत आवश्यक है। और इतना समय भी गुजर गया है इसलिये जो प्रस्ताव प्रवर समिति में भेजने का है उसको प्रस्तावक महोदय वापस ले लेंगे और इस छोटे से आवश्यक विधेयक को पास करने में सहायता करेंगे।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल का शीर्षक जब पढ़ा तो ऐसा मालूम हुआ कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अब तरक्की करते करते ब्रह्मा जी का स्थान ग्रहण कर रहे हैं और वह अब उत्तर प्रदेश में शरीर की ही रचना करने का काम उठाये हैं।

श्रीमन्, मुझे पूर्ण विधेयक पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि जिन संस्थाओं में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा दी जाती है उनमें चीड़-फाड़ करने के लिए, हर एक चीजों की जानकारी करने के लिए मृत शरीर की कमी मालूम पड़ती है और उनको शरीर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसलिए यह विधेयक लाया गया कि उनको आसानी से शरीर मिल सके और उससे वह शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस विधेयक में, जैसा माननीय बसन्तलाल जी ने भी जिक्र किया है, भिखमंगों साधु-सन्यासियों, ऐसे लोगों के लिए कहीं यह नहीं है कि वह मरेंगे तो उसका वारिस कौन होगा और कैसे वह शरीर प्राप्त कर सकेगा। यह सारी चीजें इस विधेयक में देखने में कम पायी जाती हैं। इस विधेयक में खास संबंधियों के लिये जैसे पत्नी, पति, माता, पिता वगैरा उसके आ गये हैं लेकिन उससे संबंधित जो और संबंधी हैं उनके न रहने पर उनसे वह शरीर कैसे दूसरे संबधी को प्राप्त हो सकेगा तो वह आब्जेक्शन करेंगे तो क्या होगा ? कई एक चीजें ऐसी हैं। इसलिये मैं माननीय पालीवाल जी का जो प्रस्ताव है कि वह प्रवर समिति को भेजा जाय और वहां से जल्दी से जल्दी वापस आये उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, यदि यहां इस विधेयक की उपयोगिता तथा इस विधेयक के द्वारा जो मुसीबत आ सकती है इन दोनों को ध्यान में रखा जाय तो मुझे यह विधेयक कुछ अनावश्यक सा प्रतीत होता है। विधेयक में जो उद्देश्य और कारण बताये गये हैं उसमें केवल एक बात निश्चित है कि मृत शरीर की कमी महसूस हो रही है मेडिकल कालिज में, या ऐसी संस्थाएं हैं जो कि शरीर के अवयव के बारे में समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिये उसका एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं। अगर इस विधेयक की तमाम धाराओं का अच्छी तरह से अवलोकन किया जाय तो मुझे एक जगह ऐसी गंध मिलती है जिसके पालन करने से मौलिक रूप से नहीं कार्य रूप से इस विधेयक के भीतर जो मृत शरीर की कमी महसूस हो रही है वह दूर की जा सकती है वह यह है कि ऐसे लोग जो अपने मरने के पूर्व ही यह घोषित कर दें कि हमारा शरीर जलाया

[श्री राजनारायण]

न जाय या हमारा शरीर ऐसे काम के लिये मेडिकल संस्थाओं को दे दिया जाय तो उस शरीर को ये संस्थाएं प्राप्त कर लें। यह एक ऐसी बात है जिस पर मैं समझता हूं कि किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती चाहे आज कोई सनातन धर्मावलम्बी हों हिन्दू हों। या चाहे कोई दूसरे मजहब के मानने वाले हों, या चाहे कोई रिलीजन इज दि ओपिम आफ दि पीपुल (धर्म जनता के लिये नशा है) की बात को मानने वाले हों, या धर्म को एक बकवास मानने वाले हों, सबके लिये स्वतंत्रता है कि अगर कोई व्यक्ति जो अपने ही पर अपने को वैज्ञानिक विश्लेषण के लिये अपने शरीर को खपा देना चाहता हो तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि वह खुद चाहता है कि हमारा शरीर जीवित रहते हुये समाज की सेवा करे और मरने के बाद प्रयोगशालाओं में हमारे शरीर का जैसे वैज्ञानिक लोग चाहें, मेडीकल कालेज जानने वाले चाहें, उपयोग करें जिससे समाज की तरक्की और विकास हो। इसलिये इस बात में किसी को मतभेद नहीं होना चाहिये और न हो सकता है और यदि किसी को मतभेद है तो मैं समझता हूं कि यह उसका दुराग्रह होगा। इसलिये अगर मान लिया जाय कि यह विधेयक कानून की शक्ल में न आया हो तो उस पर भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से कुशल व्यक्ति हैं जो वर्तमान आवश्यकता को देखते हुये यह महसूस करते हैं कि मरने के बाद उनके शरीर का उपयोग अस्पतालों तथा मेडीकल संस्थाओं में हो तो उनको करना चाहिये।

मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं मगर मैं समझता हूं कि समाज में आप जिनको प्रभुता प्राप्त है, ऐसे लोगों को ऐसा करना चाहिये जिनसे दूसरे लोग प्रेरणा लें और वह स्वतः ही समझें कि यह कोई समाज का काम है तभी वह अपने को ऐसे काम के लिये दे रहे हैं और वह पहले ही घोषणा कर रहे हैं कि मरने के बाद हमारे शरीर का प्रयोग इस तरह से हो।

मुझे आज तक यह जानकारी नहीं हो पाई है कि हमारे प्रदेश में ऐसे कितने लोग हैं जो इस काम को पूरा करने के लिये इस तरह की घोषणा कर चुके हैं या इच्छा रखते हैं कि प्राण निकल जाने के बाद उनके शरीर का अस्पतालों में या प्रयोगशालाओं में जैसा कि मेडीकल साइंस जानने वाले चाहें, प्रयोग किया जाय। यों परिपाटी के अनुसार जब इस विधेयक पर हम सामान्य वाद-विवाद में आते हैं तो जितने दोष और विशेषतायें इसकी हैं उनके संबंध में मैं इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में जितने सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं अगर उनके विचारों का क्रम से विश्लेषण करके देखा जाय तो एक आपत्ति तो धार्मिक दृष्टिकोण से की जा रही है और एक आपत्ति ऐसे लोगों की तरफ से की जा रही है कि नेताओं के शरीर की मरने के बाद धर्म के मुताबिक क्रिया कर्म करने के संबंध में। ये दो मौलिक आपत्तियां आ रही हैं। क्योंकि हिन्दुस्तान में जो परिपाटी और परम्परा रही है उसमें एक तरीका ऐसा है जो पिंड-दान में विश्वास करता है और मरने के बाद जो हिन्दू रिवाज रहा है उसके अनुसार इस तरह से दाह संस्कार करने में विश्वास करता है और जो ऐसे लोग हैं जब वे इस विधेयक की धाराओं को पढ़ते हैं तो उत्तराधिकार का सवाल भी उनके सामने प्रस्तुत हो उठता है। यदि इसके दूसरे खंड को देखा जाय तो "संबंधी" से तात्पर्य मृतक के निम्नलिखित सम्बंधी, अर्थात् पत्नी, पति, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई या बहन तथा इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो मृतक से पिता, पितामहादि क्रमीय एकरक्तता की दशा में छः पीढ़ी तक अथवा सपिन्ड एकरक्तता की दशा में बारह पीढ़ी तक। फिर इसी में जो (ख) है उसमें देखा जाय तो . . . . .

श्री अध्यक्ष--खंडों पर विचार प्रारम्भ कर दिया आपने ?

श्री राजनारायण--जो मूल आते हैं श्रीमन्, जो विधेयक के प्राण हैं।

श्री अध्यक्ष--विधेयक के सिद्धान्तों पर ही बोलिये।

श्री राजनारायण---सिद्धान्त ही पर आ रहा हूं। तो यह जो विधेयक का स्वरूप तैयार किया गया है वह ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से धार्मिक प्रणाली का विरोध करेगा क्योंकि जो लोग कानून पढ़ते होंगे या कानूनी पेशे में लगे होंगे वे हिन्दू ला, मुस्लिम ला, इन तमाम नियमों में जायंगे तो उनको इसके बारे में जानकारी हासिल होगी कि हिन्दू ला के मुताबिक किस तरह से उत्तराधिकार का सिद्धान्त आता है और मुस्लिम ला के मुताबिक किस तरह से उत्तराधिकार का सिद्धान्त आता है। उसी व्यवस्था को उठा कर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस विधेयक की धारा में रखने की चेष्टा की है। उसी के साथ-साथ बहुत से लोगों को इसका विरोध भी है। तो पक्ष और विपक्ष, दोनो की बात पर गौर करने के बाद हम इस नतीजे पर आते हैं कि ऐसी दशा की कल्पना की जाय जिसमें यह विधेयक न हो और इस विधेयक के न रहते हुये भी व्यापक प्रचार से इस तरह का वातावरण उत्पन्न किया जाय जिससे स्वतः लोग अपने शरीर को इस पुनीत कर्म के लिये देने को प्रेरित हों। जो आज विकास करने के लिये इस विधेयक को नितान्त आवश्यक समझते हैं, शीघ्रातिशीघ्र इसका पास होना अत्यावश्यक समझते हैं, मैं समझता हूं कि उनकी भी आवश्यकता की पूर्ति होगी और जो इसमें कोई धार्मिक दृष्टिकोण से बाधा डालते हैं उनकी आवश्यकता की भी पूर्ति होगी। सरकार बहुत सी अनावश्यक बातो का प्रचार करवाती रहती है। अगर सरकार इसे आवश्यक समझती है तो उसके कई विभाग हैं उनसे इस विषय का प्रचार कराये। और सरकार के कुछ सम्मानित विशिष्ठ पुरुष स्वतः एक्ज़ाम्पिल इज़ बेटर दैन प्रिसेप्ट,उदारहण बनें। शिक्षा मौखिक रूप से देने के बजाय कानून की भाषा में कानून बद्ध करने के बजाय अगर वह अग्रसर होंगे उसका ज्यादा फल होगा।

अब मैं सदन के कुछ सम्मानित सदस्यों ने राजपुरुषों तथा लोक प्रिय नेताओं के बारे में शंका प्रस्तुत की है उन पर अपना मत व्यक्त करना चाहूंगा। बहुत से ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिनका कि कौटुम्बिक सम्बन्धी कोई नहीं रह गया है किन्तु अगर देखा जाय तो एक माता के गर्भ से पैदा होने वाले दो सगे भाइयों में जितना प्रेम परस्पर होता है उससे ज्यादा प्रेम एक समान विचार रखने वाले दो विभिन्न माताओं के पेट से पैदा होने वाले व्यक्तियों में होता है और यहां तक कि सहर्ष एक दूसरे के लिये अपने प्राणों का उत्सर्ग तक कर सकते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति के मरने के बाद भी जिस व्यवस्था में उसकी में उसकी आस्था थी उसके अनुसार उसका दाह संस्कार करें तो उसके रास्ते में रुकावट पड़ती है इस विधेयक के द्वारा। अब इस रुकावट का समाधान सरकार कैसे करेगी, करना भी चाहती है या नहीं यह सब कुछ स्पष्ट नहीं है। आज जैसी परिपाटी चली हुई है उसको देखते हुये यह कहा जा सकता है कि यद्यपि वह अच्छी परिपाटी नहीं है उसके बड़े खतरनाक नतीजे निकल रहे हैं और पता नहीं क्यों ध्यान लोगों का उस ओर नहीं जा रहा है लेकिन वह स्पष्ट है क्योंकि कोई राज पुरुष उस परिपाटी के अनुसार इस विधेयक में जो मृत शरीर प्राप्त करने के लिये सम्बन्धी माने गये हों वे हों या न हों मगर उनके लिये हमेशा गुंजायश हो जाय करती है। ऐसी डिस्क्रिमिनेशन विभेद की नीति आज यह सरकार चला रही है। कानून के सामने राजनीति के सामने अर्थनीति के सामने और समाजनीति के सामने भी हर व्यक्ति समान है, इसका बड़ा प्रचार होता है किन्तु आज देखा जा रहा है कि जो सत्तासम्पन्न हैं उनके लिये कानून का प्रयोग दूसरे तरह से होता है उनके लिये विशिष्ट परिस्थितियां पैदा कर दी जाया करती हैं शासक वर्ग की ओर से। श्रीमन्, इसी सदन के सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं कि लोगों ने अनशन किये, भूख हड़ताल की।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप असंगत हो रहे हैं।

श्री राजनारायण---ठीक है श्रीमन्, उसे छोड़ता हूं। श्रीमन् ऐसे लोग जो डर कर विरोध कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---"डर कर विरोध कर रहे हैं" मैं समझता हूं यह शब्द किन्हीं सदस्यों के विषय में कहना अनुचित है।

श्री राजनारायण—ठीक है, श्रीमन् मेरा भाव शासन से डर कर नहीं है। मैं स्वतः अपने को करेक्ट किये लेता हूं। जो इस भाव से कर रहे हैं यानी वह किसी से डर नहीं रहे हैं, मगर इस भाव से मैंने कहा कि वह स्वतः अपने भाव से भयभीत हो रहे हैं, किसी और शक्ति से भयभीत नहीं हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही था। तो ऐसा भय जो है अपने अंदर का जो स्वतः भयभीत करता है, इस विधेयक के विपक्ष में जाने को प्रेरित करता है कि ऐसी कोई धारा रखवाई नहीं कि गड़बड़ हो गया। ऐसा हो सकता है कि बड़े-बड़े महापुरुष हों और उनका कोई संबंधी न हो, उनका अंत क्या होगा? क्या उनको अंत में चीरफाड़ के घर में जाना पड़ेगा। बड़े बड़े नेता जब अनशन करते हैं तो उन पर कोई मुकदमा नहीं चलता लेकिन छोटे पर चल जाया करता है, तो इसलिये यहां पर एक दंड की व्यवस्था है। यह दंड की व्यवस्था ५०० रुपये तक की गई है। तो ऐसा अवसर आने पर कि अपने किसी मित्र की मृत्यु पर अगर हम बहुत दुखी हैं वियोग में और उसका शरीर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस के लिये हमें ५०० रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। धनी, संपन्न व्यक्ति तो अपनी इस अभिलाषा की पूर्ति कर सकता है। क्योंकि वह तो उस शरीर को दाह संस्कार के लिये ले जायगा और ५०० रुपया जुर्माना दे लेगा, मगर जो सही मानों में मानव हैं, शुद्ध मानव हैं और किसी कारणवश आज उनके पास पैसा नहीं है, वह दंडित होंगे। वह अपनी इस इच्छा की पूर्ति नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था यहां पर होनी चाहिये जिसके द्वारा कि इस नियम को सर्वसम्मत समान रूप से लागू कर सकें और करा सकें। दंड की जो व्यवस्था है मैं उसका विरोधी हूं। मैं नहीं चाहता कि इस तरह से दंड की व्यवस्था हो और इस के साथ-साथ अस्पताल या कारावास या ऐसे सार्वजनिक स्थान में मरने के बाद जो शरीर प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है, उसमें भी बहुत बड़े संशोधन की आवश्यकता है।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता और केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक को वापस लेकर, हमने जो सुझाव उसके सामने प्रस्तुत किये हैं उन पर विचार करे और यदि सरकार हठवादिता पर तुली तो मैं पालीवालजी के प्रस्ताव का समर्थन करूंगा और मैं चाहूंगा कि पालीवाल जी ने जो इसको प्रवर समिति में ले जाने की बात की है और उसमें जो तेजप्रताप जी ने तिथि के बारे में संशोधन किया है कि वह ३० अक्तूबर कर दी जाय, उसको माना जाय। मैं समझता हूं कि पालीवाल जी यहां नहीं हैं लेकिन उनको यह तिथि मानने में कोई आपत्ति न होगी। वह भी इसे मानेंगे और माननीय तेजप्रताप जी कह रहे हैं कि इसको वह मानते हैं। तो मैं उसका भी समर्थन करूंगा।

श्री अध्यक्ष—आप शंका क्यों करते हैं। वह उल्टे दिमाग के तो नहीं हैं कि ३० सितम्बर को कह दें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह सरकार ऐसी उल्टी है और इसकी खोपड़ी ऐसी औंधी है कि पता नहीं किस समय किसको उल्टा कर दिया करती है। इसलिये मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह सरकार पर अपने मत का प्रभाव डालें कि सरकार इस विधेयक को वापस ले और यदि माननीय मंत्री इस विधेयक को वापस नहीं लेते हैं, हमने जो सुझाव व्यवहार रूप में व्यवहृत होने के लिये सरकार के सामने प्रस्तुत किये हैं यदि सरकार उनको नहीं मानती है, तो तमाम सम्मानित सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वह पालीवाल जी के संशोधन का समर्थन करें, क्योंकि यहां पर जो यह तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है कि जितने संशोधन आये हैं उनमें बहुत सी अच्छी बातें जो होंगी वह मान ली जायंगी, इस बारे में मुझे संदेह है। ऐसा देखा गया है कि पता नहीं क्यों उस समय कुछ प्रेस्टिज सरकार के रास्ते में आकर खड़ी हो जाया करती है, एक जो तथाकथित सम्मान जो है वह सरकार के सामने आकर खड़ा हो जाया करता है। हमारे दृष्टिकोण से यदि सरकार इसको सम्मान न माने तो सरकार का ज्यादा सम्मान होगा। इस तथा कथित सम्मान को सामने रखकर यह सरकार चाहती है कि जन-कल्याणकारी जो सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत होते हैं सरकार उनको नहीं

माने। सरकार यह जानती है कि अगर वह दूसरे लोगों के संशोधन को मान लेंगे तो सरकार हेय हो जायगी और दूसरे लोग सुपीरियर हो जायेंगे कि दूसरे लोगों का संशोधन झक मारकर सरकार को मानना पड़ा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार हमारे निवेदन को माने और न मानने पर हमारा पूर्ण समर्थन श्रीकृष्णदत्त पालीवाल जी के संशोधन के साथ है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तुत विधेयक है मैं उसका समर्थन करता हूं और पालीवाल जी के संशोधन का विरोध करता हूं। पालीवल जी के संशोधन का कोई अर्थ मैं समझता हूं कि अब नहीं रह गया है। मैं एक दृष्टांत इस विषय का देता हूं कि हमारे यहां १०७ का मुकदमा चला। उसमें एक साल के लिये नेक चलनी की बात थी तो वह मुकदमा करीब-करीब दो वर्ष तक चलता रहा फिर दोनों तरफ से दरख्वास्त पड़ी कि हमारे लिये एक साल की नेकचलनी की बात थी और दो साल तक यह मुकदमा चलता रहा इसलिये यह मुकदमा खारिज कर दिया जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि कि पालीवाल जी ३० सितम्बर तक की मियाद चाहते थे और आज २० अक्तूबर हो गया है। वह तो ३० सितम्बर तक की मियाद चाहते थे अब उससे बहुत अधिक समय हो गया है। जितना भी उनको सोचने का मौका था वह सोच सकते थे और वह समय उनको मिल गया। अब इसको और आगे चलाना किसी तरह से आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। यह कोई विवादग्रस्त विषय भी नहीं है।

जहां तक हमारे राजनारायण जी का सम्बन्ध है वह तो खरगोश के भी सींग जमा देते हैं उनके लिये कोई बात कहना नहीं है। लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं मालूम होती है।

श्री राजनारायण—प्वाइंट आफ आर्डर, मैं समझता हूं कि वह सींग जमा लेते हैं और फिर उन सींगों से उनको मारते हैं यह तो उचित नहीं मालूम होता है?

श्री अध्यक्ष—यह दोनों बातें काल्पनिक हैं।

श्री राजनारायण—मैं समझता हूं कि यह अनपार्लियामेंट्री है। इसे निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, जो अनपार्लियामेंट्री है उसको मैं निकाल देता हूं।

श्री राजनारायण—आपने एक बार कहा था कि 'झक मारना' अनपार्लियामेंट्री है?

श्री अध्यक्ष—आपने अभी फिर इस शब्द का प्रयोग किया था। उसको वापस नहीं किया आप कहते हैं कि सरकार को झकमार कर यह कार्य करना पड़ा। अगर आप किसी व्यक्ति से कहें कि तुमको झकमार कर यह काम करना पड़ेगा तो मैं उस पूरे वाक्य को निकाल दूंगा। लेकिन आप सरकार से कहते हैं कि सरकार को यह काम झकमार कर करना पड़ा तो यह क्रोध के आवेश में नहीं होगा। यह शांति का ही निवेदन हो सकता है। 'झक मारना' शब्द हर जगह अनपार्लियामेंट्री नहीं है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से यह कहेंगे कि 'आपको झकमार कर यह काम करना पड़ेगा' तो यह अनपार्लियामेंटरी होगा। उस वाक्य के संदर्भ और उसे वाक्य के साथ-साथ कार्यवाही से निकालना पड़ेगा।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—यह जो प्वाइन्ट आफ आर्डर राजनारायण जी ने उठाया था यह उचित नहीं है। मैं तो उनको दृष्टांत दे रहा था। उनकी प्रशंसा कर रहा था कि उन की वक्तृता और वाक्शक्ति इतनी प्रबल है कि वह खरगोश के भी सींग जमा सकते हैं। इसलिये जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि इस विधेयक में कोई विवाद की बात नहीं है मैं समझता हूं कि इस विधेयक के द्वारा उन लाशों की जिनका कोई पुरसांहाल नहीं था उनकी कदर की जा रही है। हमारी सरकार ने उनके मरने के बाद भी कदर की जो कि डेस्टीट्यूट्स थे। इससे हम समाज कल्याण के रूप में कुछ कर सकते हैं और माननीय राजनारायण जी जैसे लोगों को और भी मौका मिल सकता है कि वे समाज के काम आ सकें। इस प्रकार उपकार

[श्री ब्रजभूषण मिश्र]

करने का एक और द्वार खुल जाता है। इसमें जो आपने शंका उठाई कि मरने के बाद क्रिया कर्म कैसे होगा उसके बारे में इसमें साफ तौर पर दिया हुआ है---

"उसके अनभियाचित शरीर पर कब्जा कर लेगा तथा उसे शरीर रचना-शास्त्र सम्बन्धी परीक्षण या चीरफाड़ के लिये अपेक्षा करने वाली चिकित्सा संस्था को सौंप देगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में प्राधिकृत पदाधिकारी जबकि यह मालूम हो कि मृतक का कोई सम्बन्धी जीवित है और वह नियत अवधि के भीतर ऐसे न मांगे, मृत शरीर को मृतक के धर्म से सम्बद्ध ऐसी धार्मिक अथवा सार्वजनिक संस्था को सौंप देगा जो नियत की जाय।"

तो चीरफाड़ के बाद शरीर का संस्कार उसी प्रकार से हो सकता है जिस प्रकार से उसके मजहब या धर्म में होता हो। इसलिये राजनारायण जी ने जो शंका उठाई वह मेरी समझ में नहीं आयी।

इस विधेयक के नामकरण के सम्बन्ध में अवश्य यह बात है कि इसका हिन्दी में जो अनुवाद हुआ है उससे अवश्य इसका भाव व्यक्त नहीं होता। मैं समझता हूं उसके बजाय शव परीक्षा आदि कुछ ऐसा नाम रख दिया जाय।

चूंकि इस विधेयक में कोई देर करने वाली बात नहीं है इसलिये पालीवाल जी का जो संशोधन है वह अनावश्यक है। मैं उस संशोधन का विरोध करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अजीत बहादुरी मिश्र (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, उस दिन माननीय पालीवाल जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया था और उसके सिलसिले में जो बातें उन्होंने कहीं उनमें से कुछ बातों को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा था कि इस विधेयक को उपस्थित करके जनता की धार्मिक भावना को आघात पहुंचाया जा रहा है और आज माननीय राजनारायण जी ने भी वही बात फिर दुहराई और कहा कि धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक दृष्टिकोण से पिंडदान का प्रश्न ऐसा होता है। अगर गौर से विधेयक को पढ़ा जाय तो यह साफ हो जाता है कि यह विधेयक उन्हीं मृत शरीरों से सम्बन्ध में रखता है जिनका उल्लेख धारा ५ में किया गया है। उसमें लिखा हुआ कि:---

"किसी ऐसे व्यक्ति के अनभियाचित शरीर की दशा में जो:---

(क) किसी अस्पताल या कारावास में मरे; अथवा (ख) किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान में मरे, जो उसका स्थायी निवासस्थान न हो; अथवा (ग) अपने शरीर को शरीर रचना सम्बन्धी परीक्षण तथा चीरफाड़ के निमित्त लिखित रूप से समर्पित करने के पश्चात् मरे. . . .

खंड २ में यह भी लिखा गया है कि इसकी भी जांच की जायगी कि उसका कोई सम्बन्धी है या नहीं। इसमें ६ पीढ़ी और १२ पीढ़ी तक के संबंधियों तक का उल्लेख किया गया है। इनमें से जो भी सम्बन्धी यदि कोई जीवित होगा जिनका उल्लेख खंड (२) में किया गया है, अगर वह शव की मांग करेगा कि यह शव उसको मिलना चाहिये तो उनको वह अवश्य मिल जायगा। इस विधेयक का सम्बन्ध तो उसी मृत शरीर से होगा जो "अनक्लेम्ड" होगा, जिसके लिये कोई भी सम्बन्धी न आये तो उसके लिये क्लेम करे कि यह उसके सम्बन्धी का मृत शरीर है। इसमें पिंडदान का भी कोई प्रश्न नहीं उठता है जिसका कि जिक्र श्री ब्रजभूषण मिश्र जी ने किया। इसमें दिया गया है कि यदि कोई भी सम्बन्धी शव परीक्षण के बाद भी आवे और उसके लिये क्लेम करे तो शरीर का अवशेष उसको दे दिया जायेगा। यदि वह बाद को भी आवे तो वह अपने धर्म और विश्वास के अनुसार उसके शव की अन्त्येष्ट क्रिया कर सकता है। इसलिये न तो कोई पिंडदान का प्रश्न उपस्थित होता है और न कोई धार्मिक प्रश्न ही उपस्थित होता है।

एक बात की तरफ और उल्लेख किया गया है। हमारे साथियों ने भी इसका उल्लेख किया और यह कहा कि कोई ऐसा लोकसेवी नेता हो सकता है जिसका शरीर इस तरह से चीरफाड़ के लिये ले लिया जाय तो हो सकता है कि जो उनके अनुयायी हैं या जो उनके विशेष सम्बन्धी हैं उनके दिल को ठेस लगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसा समझता हूं कि कई लोकसेवी नेता ऐसे हैं जैसे माननीय राजनारायण जी और और लोग भी हैं और जो हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं, वे इस बात को मानते हैं कि यह शरीर नश्वर है मृत्यु के बाद यदि यह किसी के काम आवे तो वे इसका स्वागत ही करेंगे। जिसका जिक्र अभी माननीय राजनारायण जी ने किया कि सरकार इसका प्रचार करे और लोग भी प्रचार करें कि इस तरह के शव परीक्षण के लिये लोग अपना मृत शरीर समर्पित कर दें ताकि इसका सही उपयोग किया जा सके तो मैं समझता हूं कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस प्रकार के उपयोग के लिये अपने मृत शरीर को समर्पित कर देंगे। इस तरह का प्रचार करना बहुत ही उचित होगा और मुझे पूरा इत्मिनान व विश्वास है कि बहुत से लोग इस कार्य में सहयोग देंगे। इस विधेयक के उद्देश्य में लिखा है उसको ध्यान से पढ़ें तो मालूम होगा कि हम लोग प्रचार करते हैं और मांग करते हैं कि सरकार प्रान्त में अधिक से अधिक मेडिकल कालेज खोले और कई खुल भी रहे हैं लेकिन कठिनाई एक हो रही है जैसा कि इस विधेयक के "एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स" में लिखा हुआ है कि शरीर-रचना सम्बन्धी परीक्षण तथा चीरफाड़ के प्रयोजनों के लिये शव की प्राप्ति में बड़ी कठिनाई होती है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक था कि हम एक विधेयक लाते। जहां तक इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का अभिप्राय है वह यही हो सकता है कि हम इसको और परिष्कृत रूप में लावें। इसके लिये बहुत से संशोधन उपस्थित किये गये हैं। और विवाद के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंच सकेंगे कि इसमें कहां कहां संशोधन होना आवश्यक है और कहां संशोधन किया जा सकता है। यह विधेयक बहुत ही महत्व का है और इसकी बहुत ही आवश्यकता रही है। ऐसी हालत में इसको पास करने में देर करना उचित नहीं होगा।

एक बात की तरफ मैं अवश्य इस सदन का और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस विधेयक के जो रचयिता हैं उनके द्वारा इसकी भाषा की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इस विधेयक का शीर्षक जो "उत्तर प्रदेश शरीर रचना विधेयक" है, वह बिलकुल ही गलत और अशुद्ध है, पूर्णतया अशुद्ध है। शुरू शुरू में जब हमलोगों ने इसके शीर्षक को देखा तो यही समझा कि शरीर रचना के सम्बन्ध में कोई कानून बनाया जा रहा है लेकिन जब यह विधेयक को पढ़ा तो मालूम हुआ कि इसमें तो दूसरी ही बात है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि जो विधेयक बने उसकी शब्दावलि की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। जब हम लोग इस विधेयक के खंडों पर बहस करेंगे, तब इस पर विवाद होगा और इस सम्बन्ध में विशेष बातें कही जायंगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय पालीवाल जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका विरोध करता हूं।

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बनारसीदास)---अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सदन के सामने पेश किया गया है उसका मकसद बिलकुल साफ़ है कि हमारे प्रदेश में मेडिकल कालेजेज, यूनानी और आयुर्वेदिक ऐसी बहुत सी संस्थायें हैं कि जहां विद्यार्थियों को शारीरिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है और शारीरिक विश्लेषण परीक्षा के लिये मृत शरीर प्राप्त हो सकें। सदन के जितने माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं सब ने ही इस उद्देश्य से अपनी सहमति प्रकट की है। मुझे केवल श्री राजनारायण जी के भाषण से कुछ आश्चर्य हुआ, यद्यपि उन्होंने कोई असहमति प्रकट नहीं की है और उन्होंने यह माना है कि परीक्षण के लिये शवों की आवश्यकता है लेकिन वह इसलिये कानून की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं समझते और वह उपदेश के द्वारा ही समझते हैं कि यह हो सकता है लेकिन जो सलाह देते हैं वह स्वयं इस उपदेश पर नहीं चलते। बेहतर यह है कि उपदेश केवल जुबान से ही न हो बल्कि कौल व फेल से भी कहने वाले के वह चीज हो, यह सुझाव श्री राजनारायण जी की

[श्री बनारसीदास]

तरफ से आया और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सारी बुद्धि उनके पास है, जहां तक केवल सलाह देने मात्र की बात है, मैं उनको अपनी ओर से कोई सुझाव नहीं देता बल्कि जो सुझाव उन्होंने रखा है उसी को ज्यादा सफल बनाने की रीति मैं उनको बता रहा हूं। जब वह स्वयं यह मानते हैं कि हम इस बात की मिसाल पेश करें तो वह स्वयं इस बिल के उद्देश्य से सहमत हैं। मैं आशा करता हूं कि इस बिल के अनुसार हमें लाशें मिलेंगी और कुछ समय के बाद आगे समाज में इस प्रकार के व्यक्ति भी अवश्य पैदा होंगे कि जो इस तरह की बिल लिख दें, जीवन काल ही में, कि हमारी मृत्यु के बाद हमारा शव ऐसे कामों में लाया जाय।

माननीय पालीवाल जी ने जो प्रवर समिति में भेजने के बारे में संशोधन पेश किया है उसकी अवधि के बारे में तो अभी माननीय तेजप्रताप सिंह ने कहा और उसका समर्थन किया और मैं समझता हूं इस बिल पर माननीय सदस्यों ने काफी दिलचस्पी ली है और कई क़ीमती सुझाव भी दिये हैं और ३५ संशोधन भी इस पर प्रस्तुत किये गये हैं, सदन की दिलचस्पी इससे ज्यादा और क्या साबित हो सकती है। जैसा कि अभी श्री मेहरोत्रा जी ने कहा कि अनायास ही सदन के सदस्यों को मौका मिला कि वह इस बिल पर अपने विचार प्रकट करें और सुझाव दें और ऐसी परिस्थिति में बहुत से सदस्यों ने इसका लाभ उठाया और अपने-अपने संशोधन दिये। मैं इस बात से अवश्य सहमत हूं कि इस बिल के शीर्षक से थोड़ा सा भ्रम पैदा हुआ, यही सही बात है कि मूल विधेयक अंग्रेजी भाषा में तैयार हुआ और अनुवादकों ने इस तरह का अनुवाद किया। जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि सरकार ने तो ब्रह्मा जी का काम ले लिया, वास्तव में उन्होंने ठीक ही कहा है सरकार तो निर्माण का कार्य करती ही है, ब्रह्मा जिस प्रकार संसार का निर्माण का कार्य करता है, "दै" शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है दान, देना आदि, तो सरकार तो निर्माण का कार्य करती ही है जिस प्रकार ब्रह्मा करता है और यदि वह इसका अर्थ आगे समझें तो लोगों को यह विचार बनाने में मदद देंगे कि यह निर्माण और रचना का काम है और लोग उदारतापूर्वक इसमें सहायता दें।

यह जो कहा गया कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय तो प्रवरसमिति को सुपुर्द इसलिए किया जाता है कि उस पर अधिक विचार करने का मौका मिले। परन्तु इस पर विचार का काफी मौका मिल चुका है और जैसा कि राजनारायण जी ने कहा इसमें कोई सरकार के सामने प्रेस्टीज का सवाल नहीं है, संशोधनों को इस तरह से स्वीकार न करे ऐसी सरकार की आदत भी नहीं है और जैसे कि कोई काम्पलेक्स होता है या डर होता है वह बात भी नहीं है लेकिन समानता, बन्धुत्व और समाजवाद की बात और मातम हो या खुशी हो सर्वदा ही चाहे श्राद्ध हो या शादी हो जिस प्रकार एक ही प्रकार का मंत्र पढ़ने की आदत कुछ पंडितों की है ऐसे ही कुछ लोगों की याद आ गई है। एक विधेयक पर समाजवाद का व्याख्यान और दूसरे विधेयक पर भी समाजवाद और समानता का व्याख्यान। मैं नहीं समझ पाया कि कहां इस विधेयक के अन्दर कुछ लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है, गरीबों के अधिकार छीने जा रहे हैं। डेमोक्रेसी में सरकार जो भी कार्य करती है वह सदन की इच्छा से करती है और सदन की इच्छा कानून के जरिये प्रकट होती है। आज लाशों के मिलने में कुछ कठिनाई होती है लेकिन फिर भी कुछ लाशें तो मिल ही जाती हैं। शिक्षण संस्थाओं को ही मिलती हैं लेकिन उसके लिये कोई कानून नहीं है। सदन की उसके पीछे कोई सैंक्शन नहीं है तो आवश्यक है कि सदन की सैंक्शन हो। यह विधेयक तो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव है। कोई भी अधिकारी जिसकी यह अथारिटी दी जायगी वह इस कदर विवेकहीन नहीं हो सकता कि लाश के प्राप्त करने में किसी प्रकार का आन्दोलन खड़ा करे या किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करें।

विधेयक में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि जिसकी मृत्यु जेल में अस्पताल में हो या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान के अन्दर हो और कोई कुटुम्बी न हो, कोई बिल न लिखा हो उस सूरत में प्राधिकृत पदाधिकारी मृत शरीर पर कब्जा कर लेगा। एक दोस्त ने भी

यही सलाह दी कि यह प्राधिकृत पदाधिकारी की ड्यूटी होनी चाहिए कि उसके संबंधी को सूचना दे तो इस विधेयक के अन्दर यह लिखा है यदि यह मालूम हो कि उसका सम्बन्धी जीवित हैं और यह नियत अवधि के भीतर ऐसे कारणों से शरीर की अभियाचना नहीं कर सका है जो उसके वश में न थे, तो मृत शरीर को मृत से सम्बद्ध ऐसी धार्मिक अथवा सार्वजनिक संस्था को सौंप देगा जो नियत की जाय। आज भी क्या होता है ? आखिर अगर कोई सार्वजनिक स्थान के अन्दर मरता है और उसका सम्बन्धी नहीं आता तो सेवा समिति और आर्य समाज या इस प्रकार की दूसरी अन्य संस्थायें उसके शरीर की दाह संस्कार करती हैं। अगर समाज सेवाओं का कार्य जो आज बड़ी-बड़ी सार्वजनिक संस्थायें करती हैं उनको सरकार लेती चली जाय तो जो समाज सेवा का क्षेत्र है वह बड़ा सीमिति हो जायगा। कहा गया कि यदि कोई धार्मिक नेता हो या राजनैतिक नेता हो तो क्या होगा ? आखिर वह भी कहीं न कहीं रहेगा। वह किसी मित्र के यहां रहेगा, किसी और जगह जा कर रहेगा। इस सम्बन्ध में बहुत से संशोधन पेश किये गये हैं। मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि इस प्रकार का संशोधन स्वीकार कर लिया जाय कि जो मित्र या परिचारिका हो उसे दे दिया जाय। यदि हम किसी संस्था के रूप में संशोधन स्वीकार करते हैं तो इसमें कानून को अमल के अन्दर लाने में बड़ी कठिनाई हो जायगी। इस प्रकार का कोई मकसद इस विधेयक को लाते समय नहीं था। राजनीतिक नेता या कोई धार्मिक नेता या जिनका कोई सम्बन्धी न हो उनकी लाश को लावारिस माना जाय। यह सही है कि उनका परिवार बहुत बड़ा है लेकिन जैसा मेरे एक दोस्त ने कहा यह भी सही चीज है कि कोई भी ऐसा आदमी जिसने अपना जीवन देश के लिये दिया इस प्रकार के व्यक्ति के शरीर को देने में कोई भी आपत्ति किसी को नहीं हो सकती और जनता की तरफ से अगर कोई ऐसी मांग हो तो कोई भी अधिकारी इस प्रकार का विवेकहीन नहीं हो सकता कि उनकी इच्छा के खिलाफ उस लाश को ले लें।

मैंने अर्ज किया कि यह विधेयक ज्यादा ऐडमिनिस्ट्रेटिव है। कहा गया कि पांच सौ रुपये का जुर्माना रखा गया है। जुर्माना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या मकसद है ? जब कोई कानून लाते हैं यदि उसके पीछे कोई सैंक्शन न हो, उसके पीछे कोई शक्ति न हो तो कानून की जरूरत क्या है ? फिर तो उसके लिये संस्थाएं हैं। जब गवर्नमेंट किसी भी कानून को लाती है तो कानून न मानने की सूरत में क्या दंड दिया जायगा इसके लिए अवश्य कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए वर्ना सरकार का कोई मकसद नहीं होता उस विधेयक को प्रस्तुत करने का। यदि हम इसमें से इस व्यवस्था को निकाल देते हैं कि कोई सजा दी जाय तो इस विधेयक के लाने का क्या मकसद होता है। पांच सौ का जुरमाना कोई आवश्यक नहीं। पांच सौ भी हो सकता है और बहुत से ऐसे कानून हैं जिनमें हजार, दो हजार, पांच हजार रुपये तक के अधिकार हैं। लेकिन जो फैसले हुए हैं अगर उनका औसत देखें तो कभी भी उनमें पूरे अख्तियारात का इस्तेमाल नहीं होता। आमतौर से दो हजार का अगर अख्तियार है तो पांच सौ रुपये, सौ रुपये, जैसी आवश्यकता होती है जुर्माना किया जाता है।

यह जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है यह एक ऐसा विधेयक है जिसमें किसी भी वाद विवाद या इसके सिद्धान्तों पर मैं समझता हूं किसी भी प्रकार के मतभेद की गुंजायश नहीं मालूम होती। उसमें माननीय सदस्यों ने जो संशोधन पेश किये हैं, उनमें इस बिल को कारगर बनाने में इस बिल को ज्यादा उपयोगी बनाने में सहायक होंगे यथास्थान उनको अवश्य स्वीकार किया जायगा। लेकिन इस विधेयक पर काफी विचार किया जा सकता है। इसलिये मैं श्री पालीवाल जी के इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जिस प्रकार सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को स्वीकार किया जाय।

श्री राजनारायण—नाम के बारे में ?

श्री अध्यक्ष---वह तो आगे जब संशोधन खण्डों में प्रस्तुत किये जायं, तो उसमें आप नाम बदल सकते हैं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शरीर रचना विधेयक, १९५६ एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन ३० अक्तूबर, १९५६ तक प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शरीर रचना विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

परिभाषायें। २---(१) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में:

(क) "प्राधिकृत पदाधिकारी" से तात्पर्य है धारा ५ के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी,

(ख) "चिकित्सा संस्था" से तात्पर्य है कोई अस्पताल या चिकित्सा संस्था अथवा शैक्षिक संस्था (medical or teaching institution) जो शरीर-रचना-शास्त्र संबंधी परीक्षण एवं चीरफाड़ या दोनों के निमित्त, सरकारी गजट में विज्ञप्ति करके इस रूप में, राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित स्थापित, संधारित अथवा अभिज्ञात (established, maintained or recognized) हो,

(ग) "संबंधी" से तात्पर्य है मृतक के निम्नलिखित संबंधी अर्थात् पत्नी, पति, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई या बहिन तथा इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो मृतक से :---

(क) पिता/पितामहादि क्रमीय एकरक्तता (lineal consanguinity) की दशा में ६ पीढ़ी तक अथवा सपिन्ड एकरक्तता (Collateral consanguinity) की दशा में बारह पीढ़ी तक, अथवा

(ख) इस खंड में निश्चित रूप से (specifically) उल्लिखित किसी सम्बन्धी के साथ अथवा उपर्युक्त पीढ़ियों तक के किसी भी सम्बन्धी के साथ विवाह होने के कारण, सम्बद्ध हो।

ऐक्ट संख्या, २९, १९२५।

स्पष्टीकरण---पद "पिता/पितामहादि क्रमीय तथा सपिन्ड एकरक्तता" का अर्थ वही होगा जो इंडियन सक्सेशन ऐक्ट, १९२५ में पद "lineal and collateral consanguinity" को दिया गया है।

(घ) "नियत" से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है, तथा

(ङ) "राज्य सरकार" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

(२) किसी भी मृत व्यक्ति का शरीर अनभियाचित (unclaimed) समझा जायगा यदि उस व्यक्ति का कोई भी संबंधी न हो, अथवा उस अवधि के भीतर, जो तदर्थ नियत की जाय, उसके किसी भी संबंधी द्वारा उसका शरीर अभियाचित न किया जाय।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (क) की पंक्ति १ में अंक "५" के स्थान पर अंक और शब्द "४ और ५" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमान् जी, प्राधिकृत अधिकारी का और उसके कार्यों का उल्लेख धारा ४ और पांच दोनों में है। "प्राधिकृत अधिकारी" से तात्पर्य धारा ४ और ५ दोनों धाराओं के प्राधिकृत अधिकारी से होता है न कि केवल धारा ५ के प्राधिकृत अधिकारी से। इसलिये मैं समझता हूं कि बिल में यह बात रह गयी थी। इसलिए यह आवश्यक है कि यहां धारा ५ के स्थान पर धारा ४ और पांच दोनों होना चाहिए।

श्री बनारसीदास--माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जयराम वर्मा ने जो संशोधन पेश किया है मैं धारा ४ को इसमें शामिल करना अनावश्यक समझता हूं। धारा ४ में यह लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी अस्पताल या जेल में हो और धारा ५ की उपधारा (१) के भाग (क) में स्वयं लिखा है कि अगर किसी अस्पताल या कारावास में मरे, प्राधिकृत अधिकारी के जितने कार्य हैं वह तो धारा ५ के अन्दर ही, एक जगह शामिल कर दिये गये हैं और जहां पर यह संशोधन पेश किया वहां पर परिभाषा दी गई है। तो वह परिभाषा के अन्दर धारा ५ ही बहुत काफ़ी होती है जिसमें सारे उसके कार्य आ जाते हैं। इसलिए दफा ४ का भी मक़सद पूरा हो जाता है दफ़ा ५ से। इसलिये इसमें लाने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--क्या आप वापस ले रहे हैं।

श्री जयराम वर्मा--श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि धारा ४ में धारा ५ के प्राधिकृत पदाधिकारी का उल्लेख नहीं है। वह तो केवल इतना है "जो उसे धारा ५ में उल्लिखित रीति से निस्तारित करेगा" धारा ५ में जो पदाधिकारी है उसके लिये सिर्फ़ संकेत इस बात का है "धारा ५ में उल्लिखित रीति से निस्तारित करेगा।" इसमें मैं समझता हूं यहां पर धारा ४ भी रख दी जाय। लेकिन अगर इस पर मंत्री जी राजी नहीं हैं तो मैं इसे वापस कर लूंगा।

श्री बनारसीदास--अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय वर्मा जी ने कहा धारा ४ में स्वयं यह लिखा है "उसे धारा ५ में उल्लिखित रीति से निस्तारित करेगा"। तो इसलिए धारा ५ में वह सारे कार्य लिखे हैं और प्राधिकृत पदाधिकारी की जो परिभाषा की गई है उसमें धारा ५ ही का उल्लेख है। इसलिए ४ का लाना असंगत होगा।

श्री अध्यक्ष--माननीय जयराम वर्मा जी आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री जयराम वर्मा--जी हां।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयराम वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (क) की पंक्ति २ में शब्द "अधीन" तथा शब्द "प्राधिकृत" के बीच शब्द "कार्य सम्पादन हेतु" जोड़ दिये जायं।

श्रीमान् जी, जिस तरह से इसमें शब्दों का गठन है उससे अर्थ जरा साफ नहीं होता। "प्राधिकृत पदाधिकारी" से तात्पर्य है धारा ५ के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी। अब अगर "के अधीन कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी" हो जाय तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मैंने यह शब्द बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

श्री बनारसीदास---अध्यक्ष महोदय, जहां इस धारा (क) में प्राधिकृत पदाधिकारी की व्यवस्था की गई है तो प्राधिकृत पदाधिकारी जब मुकर्रर किया जाता है बहरहाल उसका कोई न कोई कार्य तो है। वह कार्य आगे चल कर के डिफ़ाइन कर दिया गया है और उसमें जब हम यह शब्द लगाते हैं "कार्य सम्पादन हेतु" तो यह जरा रिडन्डेंट हो जाता है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की जरूरत है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी शब्द ही यह स्पष्ट करता है कि किसी कार्य के लिये जो आगे चल कर धारा ५ और ४ में डिफ़ाइन किया गया है। वह तो उसमें दिया गया है वहां उसका कार्य है, जिस कार्य के लिए उसको मुकर्रर किया जा रहा है। तो इन शब्दों को बढ़ाना यहां पर आवश्यक नहीं है। इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री जयराम वर्मा---मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवा दो बजे हमको ठीक बैठना चाहिये और २ बजकर २५ मिनट हो रहे हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी इसको स्वतः मानना चाहिए कि सरकारी पक्ष की है। तो चूंकि आज ही यह विधेयक पास होना है, अगर इस तरह से १०-१० मिनट का समय गवां देंगे तो हमको बोलने का समय कम रह जाता है। इसलिए सरकारी पक्ष के लोगों को कम समय बोलने के लिये दिया जाय और ज्यादा समय विपक्षी लोगों को मिले।

श्री उपाध्यक्ष---कोरम पूरा करने के लिये सब सदस्यों को प्रयत्न करना चाहिए।

श्री राजनारायण---परसेंटेज देख लिया जाय, श्रीमन्। हम लोग ज्यादा हैं।

श्री जयराम वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति ४ के अन्त में शब्द "प्रकाशित" बढ़ा दिया जाय और पंक्ति ५ का शब्द "प्रकाशित" निकाल दिया जाय।

श्रीमन् जी, यह शब्द "प्रकाशित" जिस स्थान पर रखना चाहिए था वहां न रख कर अनुचित स्थान पर रख दिया गया है। उसको उचित स्थान पर रखने के लिए मैंने संशोधन पेश किया है। आशा है कि यह स्वीकार होगा।

श्री बनारसीदास---उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति ४ के अन्त में शब्द "प्रकाशित" बढ़ा दिया जाय और पंक्ति ५ का शब्द "प्रकाशित" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से अपने इस संशोधन को कुछ परिवर्तित रूप में उपस्थित करना चाहता हूं। मैं इस तरह चाहता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (ग) की पंक्ति २ में जो संबंधियों के नाम आये हैं, मैं इसी में कुछ संशोधन करना चाहता हूं। मैं कुछ और इसमें बढ़ाना चाहता हूं। "पत्नी, पति, माता", इसके बाद "पिता, पुत्र, पुत्री"-- ये "भाई बहिन" ये निकाल देना चाहता हूं और उसके स्थान पर फूफा, मामा, श्वशुर, बहनोई, श्याला, फूफा का लड़का, मामा का लड़का, भांजा, मित्र, अनुयायी या शिष्य" रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--यह संशोधन आप भेज दें। मगर इसमें तो कई नई बातें हो रही हैं।

श्री जयराम वर्मा--इसमें सिर्फ संबंधियों का नाम है, जोकि भाग (ग) में...

श्री उपाध्यक्ष--मगर आप अपने संशोधन को यहां भेजने की कृपा करें।

श्री जयराम वर्मा--मैं इस संशोधन को फिर से पढ़ देना चाहता हूं जिससे कि और लोग जान लें। खंड २ के उपखंड (१) के भाग (ग) की पंक्ति २ इस प्रकार रख दी जाय कि "पत्नी, पति, फूफा, मामा, श्वशुर, बहनोई, श्याला, फूफा का लड़का, मामा का लड़का, भांजा, मित्र, अनुयायी या शिष्य"

श्रीमान् जी, इसमें खंड (ग) में उन संबंधियों का उल्लेख है जो लाइनियल या कोलेटरल कौंसैंगुनिटी में नहीं आते हैं और वह आवश्यक नहीं है। जिनको किसी मृतक से संबंधी के नाते प्रेम होता है और मृतक के शरीर की अपने मत के या धर्म के अनुसार अन्त्येष्टि क्रिया करना चाहते हैं। इसलिये मैंने यह बहुत से संबंधी गिना दिये हैं। यह ऐसे हैं जो लाईनियल कौंसैंगुनिटी में नहीं आते हैं और कोलेटरल कौंसैंगुनिटी में आते हैं और वह यह है कि इसमें पत्नी नहीं आती, पति नहीं आता, इसमें पिता, पुत्र, पुत्री और भाई दिया हुआ है और पिता, पुत्र तथा पुत्री इसमें आते हैं। भाई को लेटरल कौंसैंगुनिटी में नहीं आता। बहनोई इसमें आता है। यह सम्बन्धी रख दिये गये हैं, इनका रिपीटीशन हुआ है और (क) में आया है, इसलिये यहां रखने की जरूरत नहीं थी। इसलिये मैं चाहता हूं कि वहां से इनको निकाल दिया जाय और उनकी जगह पर यह बढ़ा दिया जाय "फूफा, मामा, ससुर, बहनोई, श्याला, फूफा का लड़का, मामा का लड़का, भांजा, मित्र, अनुयायी या शिष्य तो फिर कोई शंका, जो कुछ लोगों की है कि नजदीकी संबंधी न होने से मृतक की अन्त्येष्टि क्रिया में कठिनाई पैदा होगी और प्राधिकारी बिला किसी अधिकार के या नियमों के खिलाफ़ क़ब्ज़ा कर लेंगे, वह दूर हो जाती है और कोई धार्मिक आशंका नहीं रह जाती है यदि यह संबंधी आ जाते हैं। जब यह नहीं होंगे तो मृतक के शरीर को चीरफाड़ के लिये या शरीर रचना संबंधी अध्ययन के लिये लिया जा सकेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है और आशा है कि सभा सचिव इसे स्वीकार करेंगे।

श्री बनारसीदास--उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन जयराम जी वर्मा ने पेश किया है उसका मतलब पूरा हो जाता है यदि गौर के साथ में धारा २ के उपखंड (ग) के भाग (ख) को देखा जाय तो वह इस प्रकार है कि "इस खंड में निश्चित रूप से उल्लिखित किसी सम्बन्धी के साथ अथवा उपर्युक्त पीढ़ियों तक के किसी भी सम्बन्धी के साथ विवाह होने के कारण, संबद्ध हो।" इसमें मामा, फूफा तथा साले भी आ जाते हैं, फूफा का भाई भी आ जाता है। इसलिये इसमें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जयराम वर्मा--श्रीमान् जी, इसमें फूफा कैसे आयगा यह मेरी समझ में नहीं आया कि किस संबंधी के विवाह के कारण फूफा आ जायगा, फूफा कहीं नहीं आता है। अगर आप माता की बात लेते हैं तब भी कोई दूसरा नहीं आता है। माता के विवाह के कारण पिता का संबंध हो जाता है। जो ऊपर सम्बन्धियों का उल्लेख है उनमें कोई वह सम्बन्धी जो मैंने बढ़ाने की कोशिश की है नहीं आता है। पिता से माता आ सकती है, फूफा से फफी

[श्री जयराम वर्मा]

आ सकती है। इसलिये मैंने फूफी को नहीं रखा है। मामा से मामी आ सकती है, इसलिये मैंने मामी को छोड़ दिया है। फूफा ऐसा है जो किसी में नहीं आता है, न लाईनियल कौंसैंगुइनिटी में आता है न कोलेटरल कौंसैंगुइनिटी में आता है। लेकिन फूफा, मामा और बहनोई, ये हैं बड़े नजदीकी। बहन को वहां रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोलेटरल कौंसैंगुइनिटी में आ जाती है। तो जिन सम्बन्धियों का रेपीटीशन हुआ है उनको रखना जरूरी नहीं है और जो मेरे बढ़ाने की बात कही है उनको बढ़ा कर सब सम्बन्धियों की पूर्ति हो जाती है। इसलिये मेरे संशोधन को मान लेना चाहिये।

श्री बनारसीदास—मुझे फिर यह निवेदन करना है कि लाइनियल कौंसैंगुइनिटी और कोलेटरल कौंसैंगुइनिटी का जहां तक सम्बन्ध है, यदि उसमें बुआ आती है तो बुआ के सम्बन्धी हो जाने के कारण फूफा भी आ जाता है। इसी तरीके से यदि माता आती है तो माता का भाई भी आ जाता है क्योंकि पिता आता है। इसलिये पिता के विवाह के द्वारा जो सम्बन्ध हुआ उसमें लिखा है कि उपर्युक्त पीढ़ियों तक के किसी भी सम्बन्धी के साथ अन्योन्य एकरक्तता की दशा में ६ पीढ़ी तक अथवा सपिन्ड एकरक्तता की दशा में बारह पीढ़ी तक। तो ६ पीढ़ी और १२ पीढ़ी तक के सम्बन्धी आ गये। यह बड़ा व्यापक क्लाज है। जो वर्मा जी चाहते हैं वह सब आ गया। इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण—मामा कैसे आता है?

श्री बनारसी दास—वह इसलिये आया कि माता का भाई है और पिता का जब विवाह हुआ उसकी बहन के साथ तो वह सम्बन्धी हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री जयराम वर्मा—मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह जो लाइनियल और कोलेटरल कौंसैंगुइनिटी की वजह से दिक्कत पड़ रही है अगर आप इंडियन सक्सेशन ऐक्ट को देखें तो बिल्कुल साफ हो जाता है। वह ऐक्ट मेरे सामने मौजूद है। मैंने उसका अच्छी तरह से अध्ययन किया है। इसमें माता से मामा नहीं आता है। इसी प्रकार फूफा भी नहीं आता। मेरे विचार में इसको अभी रोक दिया जाय, वोट के लिये पुट न किया जाय और आगे चला जाय। इस बीच में आप स्वयं इसे देख लें और मंत्री जी भी अपने सलाहकारों से राय ले लें और फिर जो ठीक हो वह कर दिया जाय।

श्री बनारसीदास—उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में काफी विचार किया गया है। जैसा मैंने अर्ज किया था, मामा तो वही होगा जो पिता का साला होगा। यानी जब पिता की शादी हो गयी तो मामा आ गया। इसके बारे में हमने कानूनी सलाहकारों से सलाह ले ली है। इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिये यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसका फ़ैसला तो सदन को ही करना चाहिये और इस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है। मैं इस पर राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (ग) की पंक्ति २ इस प्रकार रख दी जाय :—

"पत्नी, पिता, माता, फूफा, मामा, श्वशुर, बहनोई, श्याला, फूफा का लड़का, मामा का लड़का, भान्जा, मित्र, अनुयायी या शिष्य।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (ग) की पंक्ति २ के अन्तिम शब्द "तथा" के पहले शब्द "ससुर, मामा या उपस्थित सेवक" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन्, इससे मिलता जुलता एक संशोधन अभी वर्मा जी ने उपस्थित किया था लेकिन वह अस्वीकृत हो चुका है। उससे थोड़ा सा भिन्न मेरा संशोधन है। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का वही विचार होगा। लेकिन श्रीमन्, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरे संशोधन के सम्बन्ध में वह आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है और जिसके सगे सम्बन्धियों की व्याख्या इस क्लाज में की गई है तो फिर उसके करने की क्या आवश्यकता थी। और जहां तक आपके कानूनी सलाहकारों का सम्बन्ध है उनका कहना है कि इसमें सब आ जाता है और उसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है तो फिर हमारी समझ में नहीं आता कि उस मृतक व्यक्ति के अन्य सम्बन्धियों की व्याख्या जो इसमें की गई है वह क्यों की गई है। मैं समझता हूं कि कानूनी सलाहकार और भी बहुत से हैं। आपके कानूनी सलाहकारों की सलाह में क्या नुकसान उठाना पड़ा है इसके बहुत से प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत हैं। बहुत से ऐसे मामले हैं जिन्हें आपके कानूनी सलाहकारों ने उचित ठहराया था लेकिन उसका अनौचित्य साबित हो जाता है। इसलिये जरूरत इस बात की पड़ती है कि कानूनी मामलों में ज्यादा से ज्यादा सफाई की जाय और इसीलिये इस शंका के संकेत के कारण ही हमने यह प्रस्ताव रखा है कि ससुर, मामा या जो सेवक हो वह इसमें बढ़ा दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस से क्लाज पर बहुत भार पड़ने वाला नहीं है। मामा और ससुर तो जैसा कि इस क्लाज में जिनका जिक्र है उसमें नहीं आता है।

सेवक का जहां तक प्रश्न है, जैसा इसके पढ़ने से इसकी मंशा मालूम होती है उस सम्बन्ध में भी हमारा एक प्रश्न है जिस पर हमने विचार किया है लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। उसमें है कि एक मरीज है और उसकी मृत्यु हो जाय और अगर कोई उसका सम्बन्धी पास नहीं है तो एक नियत अवधि जो सरकार निश्चित करेगी उसके अन्दर यदि वह क्लेम नहीं आया तो उस लाश को प्राधिकारी लेकर उस संस्था को दे देगा जिसको उसकी आवश्यकता है। यदि उस व्यक्ति का कोई सेवक मौजूद है, उसके परिवार के किसी व्यक्ति को रेप्रेजेंट करता है, उसकी सेवा सुश्रुषा करता है, उसका अपना आदमी है, घर बहुत दूर है और इस हालत में वह व्यक्ति उसके कुटुम्बी से भी ज्यादा प्रिय है अगर एसे स्थान पर उस सेवक को यह अधिकार हो कि उस लाश को ले सके तो उचित होगा और इसी प्रयोजन से मैंने यह संशोधन रखा है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के स्वीकार करने में बहुत ज्यादा अड़चन नहीं होगी।

श्री बनारसीदास---उपाध्यक्ष महोदय, मामा, ससुर आदि के बारे में अभी सदन के सामने निवेदन कर चुका हूं और उसके बारे में मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। इसमें एक शब्द सेवक रखा है। सेवक शब्द के जरिये थोड़ी कठिनाई हो सकती है। एक संशोधन आगे आयेगा उसमें परिचारक शब्द है मैं उसको स्वीकार करूंगा। "मित्र और परिचारक" इस प्रकार का संशोधन धारा २ की उपधारा के अन्दर मौजूं मालूम होता है और उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। उससे आपका मतलब भी पूरा हो जायगा और कोई कठिनाई भी नहीं होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री रामेश्वरलाल---मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---श्रीमन्, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (ग) की पंक्ति २ में शब्द "बहिन" और "तथा" के बीच में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं---

"फूफा, फूफी, मामा, मामी या इनके वंशज, गुरु या चेला।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीचन्द्र]

श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने एकरक्तता के बारे में बतलाया। इसके साथ-साथ जिस प्रकार से अपने भाई बहिन होते हैं उनसे अधिक प्रायः अपने फूफी या मामा के लड़के और लड़कियां भी होते हैं और उनके वंशज का इस विधेयक में कहीं जिक्र नहीं है। इसके साथ ही गुरु और चेला की बात है। इसमें जितने, कुल ६ संशोधन हैं, उनमें जितनी बातें कही गई हैं, वह सब की सब इसमें आ जाती हैं और इस को एक आध शब्द का परिवर्तन करके मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो स्वीकार कर सकते हैं। मेरे विचार से जो विधेयक में रिश्ते नातेदार या और सम्बन्धी या एकरक्तता से जो संबंधित हैं, जो सम्बन्धी दिये गये हैं वह इस में नहीं हैं इसलिये उनका आना भी अत्यन्त आवश्यक है।

श्री बनारसीदास—उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं और इस पर सदन का पहले ही फैसला हो चुका है। जहां तक गुरु का सवाल है, उसके बारे में आगे एक संशोधन आने वाला है, मैं उसको स्वीकार करूंगा और इसलिये इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड (२) के उपखंड (१) के भाग (ग) की पंक्ति २ में शब्द "बहिन" और "तथा" के बीच में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"फूफा, फूफी, मामा, मामी या इनके वंशज गुरु या चेला"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मदनगोपाल वैद्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं उसमें एक शब्द "अथवा" जोड़ना है इसलिये उसको मैं थोड़ा संशोधित रूप में उपस्थित कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (ग) के अन्त में उपखंड (क) व (ख) के स्थान पर (अ) व (ब) रख दिया जाय तथा उपखंड (ख) के अन्त में शब्द "अथवा" जोड़ने के बाद नया उपखंड (स) निम्न रूप से बढ़ा दिया जाय—

"(स) गुरु शिष्य परम्परा में तीन पीढ़ी तक"

उपाध्यक्ष महोदय, इस खंड २ के उपखंड (१) को क, ख, ग, घ, और ङ के रूप में विभाजन किया गया है। उसके बाद (ग) का अलग विभाजन किया गया है (क) और (ख) के रूप में। तो इससे एक भ्रम उत्पन्न होता है। इसलिये इसको स्पष्ट करने के लिये (ग) का एक भिन्न विभाजन किया गया है। उसको (अ) और (ब) में बांट दिया गया है। उसके बाद जो एक नया उपखंड बढ़ाया गया है उसको पहले उपखंड के साथ मिलाने के लिये शब्द "अथवा" जोड़ दिया जाय और इसलिये उसके अन्त में शब्द "अथवा" बढ़ा दिया गया है। इसके ऊपर के उपखंडों में गुरु-शिष्य परम्परा का कोई स्पष्टीकरण नहीं था इसलिये साफ करने के लिये यह किया गया है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसको स्वीकार करेगी।

श्री राजेश्वर लाल—श्रीमन्, मैं श्री मदनगोपाल वैद्य जी के संशोधन में संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं जहां उनका संशोधन है कि "गुरु-शिष्य परम्परा में तीन पीढ़ी तक" मैं चाहता हूं उसके आगे इतना और बढ़ा दिया जाय" यदि वह गृहस्थ जीवन में नहीं हैं" मुझे शंका हो रही है कि जहां पर वैद्य जी यह कहते हैं कि गुरु-शिष्य परम्परा में तीन पीढ़ी तक सम्बन्धी माने जायं। वैद्य जी इस विधेयक को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यदि गुरु और चेला पारिवारिक जीवन में हैं और उनके भी सम्बन्धी हैं जैसे कि १२ सम्बन्धी बताये गये हैं कि वह उस तरह से माने जायेंगे तो फिर उनमें और गुरु या चेला के जो निजी सम्बन्धी होंगे उनमें क्लेश हो जायगा। चेला कहेगा कि मैं उत्तराधिकारी हूं और उनके घरवाले सम्बन्धी कहेंगे कि मैं उत्तराधिकारी हूं। हो सकता है कि एक दूसरे की मर्जी के खिलाफ काम कर दें। जिससे हो सकता है कि

उनके परिवार वाले या चेले के संबंधियों को क्षति पहुंचे और सरकार के काम में भी बाधा उपस्थित हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो संशोधन मदनगोपाल जी वैद्य ने उपस्थित किया है उसके आगे वह मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री मदनगोपाल वैद्य---यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री बनारसीदास---जो संशोधन श्री मदनगोपाल वैद्य ने उपस्थित किया है वह मुझे स्वीकार है। रामेश्वर लाल जी के संशोधन को उन्होंने अस्वीकार किया है और मुझे भी वह स्वीकार नहीं है। अगर इसमें किसी प्रकार से कोई आपत्ति करेगा तो वह मामला प्राधिकारी के पास जायगा और वह तय करेगा। इसमें कोई बड़ा लिटिगेशन होने की सम्भावना नहीं है।

श्री मदन गोपाल वैद्य---जिस रूप में मैंने अपना संशोधन उपस्थित किया है उसको मैं उसी रूप में रखना चाहता हूं और उसमें रामेश्वरलाल जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसको मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (ग) के अन्त में उपखंड (क) व (ख) के स्थान पर (अ) व (ब) रख दिया जाय तथा उपखंड (ख) के अन्त में शब्द "अथवा" जोड़ने के बाद नया उपखंड (स) निम्नरूप से बढ़ा दिया जाय :---

"(स) गुरु-शिष्य परम्परा में तीन पीढ़ी तक"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अब रामेश्वरलाल जी के संशोधन पर भी राय ले ली जाय जो उन्होंने संशोधन पर संशोधन किया है ।

श्री बनारसीदास---मैं समझता हूं जब आपने मूल संशोधन पर राय ले ली तो उस संशोधन पर राय लेने की आवश्यकता नहीं है वह संशोधन पर संशोधन तो स्वयं ही गिर गया।

श्री उपाध्यक्ष---राय लेने में कोई हर्ज नहीं है ।

प्रश्न यह है कि श्री मदनगोपाल वैद्य के संशोधन में इतने शब्द और जोड़ दिये जायं---"यदि वह गृहस्थ जीवन में न हो"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बसन्तलाल शर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) के अन्त में एक नया भाग (च) निम्न रूप से रख दिया जाय---

"(च) शव का तात्पर्य मनुष्य के शव से है" ।

मेरा इस संशोधन के रखने से तात्पर्य यही है कि शव प्रत्येक प्राणी का हो सकता है इसलिये उसके बारे में स्पष्टीकरण हो जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये मैंने यह रक्खा है कि शव का तात्पर्य मनुष्य के शव से है ।

श्री बनारसीदास---मुझे यह संशोधन स्वीकार है ।

श्री रामेश्वर लाल---मान्यवर, मैं माननीय बसन्तलाल जी के संशोधन का विरोध करता हूं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे निवेदन करूंगा हो सकता है कि मैं अनभिज्ञता में विरोध करने के लिये खड़ा हो गया होऊं। मेडिकल कालेज या जो वैद्यक के प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जहां कि शरीर रचना सम्बन्धी शिक्षा दी जायगी उनके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल मनुष्य के शरीर की रचना की जानकारी प्राप्त करें वह दूसरे पशुओं के शव की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है आज भी और आने वाले जमाने में भी विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को किसी विशिष्ट प्रकार के जीवों की शरीर रचना के सम्बन्ध में जानकारी

[श्री रामेश्वरलाल]

प्राप्त करने की आवश्यकता हो इसलिये किसी प्रकार का भी प्रतिबन्ध इसके ऊपर लगाया जाना ठीक प्रतीत नहीं होता। मेरे विचार से तो इसका व्यापक अर्थ ही रक्खा जाना चाहिये। इसी दृष्टिकोण से मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि इस पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार किया जायगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के वर्तमान युग में पशुओं जैसे बकरा, बकरी, भैंस और बैलों आदि को लोग मार-मार खा जाते हैं। बड़े हमदर्द बने हैं उनके। माननीय बसन्तलाल जी ने जो परिभाषा शव की रक्खी है मैं समझता हूं कि वह ठीक है और रामेश्वरलाल जी ने जो विरोध किया है वह व्यर्थ दिखता है। इसलिये बसन्तलाल जी का संशोधन उचित है।

श्री जयराम वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस विधेयक भर में कहीं भी "शव" शब्द के प्रयोग नहीं हुआ है इसलिये यह प्रश्न पैदा नहीं होता कि "शव के अर्थ मनुष्य के शव हैं" इसलिये यह संशोधन बिलकुल निरर्थक है। मैंने जो संशोधन पेश किया है कि 'शव' रख दिया जाय। जब माननीय सभासचिव उसको मान लेंगे तब तो इसको मानना भी ठीक होगा। इसलिये इस समय यह संशोधन बिलकुल निरर्थक है।

*श्री पद्मनाथसिंह (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन उपस्थित हुआ है, मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह इसलिए नहीं है कि इंटरप्रिटेशन का जो तरीका जुरिसप्रुडेंस के ला का होता है वह पूरे ऐक्ट के अभिप्राय से हुआ करता है। पूरे ऐक्ट में मृत शरीर को शव कहने की आवश्यकता नहीं है और जो चीर-फाड़ के कार्य कालेजेज में होते हैं उसमें और पूरे ऐक्ट में जो बात कही गयी है वह केवल शव की बात ही कही गयी है चाहे "शव" शब्द का प्रयोग न करके मृत शरीर ही कहा जाय तो भी न तो उस संशोधन की आवश्यकता है जो उपस्थित किया गया है और न मृत शरीर के लिये "शव" कहने की ही आवश्यकता है जैसा कि श्री जयराम वर्मा जी चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि पूरे ऐक्ट में कोई उपस्थित न हो और पूरे ऐक्ट में ऐसा शब्द या शब्दों का कोई ऐसा समूह नहीं आना चाहिये जो न केवल व्यर्थ सा हो बल्कि जिसके आने से आगे कभी कम्पलिकेशन पैदा हो सके। इसलिये मैं जो संशोधन यहां आया है उसका विरोध करता हूं और जिस तरह से यह विधेयक में है वह काफी स्पष्ट है।

श्री बसन्तलाल शर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है वह एक साधारण सा है जिसका विरोध अभी श्री रामेश्वर लाल जी, श्री जयराम वर्मा जी व श्री पद्मनाथ सिंह ने किया है। मैं समझता हूं कि मेरे साथियों ने इस विधेयक के उद्देश्य को देखने का प्रयत्न नहीं किया। इसके उद्देश्य में लिखा हुआ है "राज्य के मेडिकल कालेजों के प्राधिकारी मनुष्यों के मृत शरीरों को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं।" तो मनुष्य के मृत शरीर के लिये इसके उद्देश्य में साफ़ लिखा हुआ है इसलिये इसकी परिभाषा में मनुष्य के मृत शरीर की जगह "शव" कर देने का तात्पर्य है क्योंकि जब यह बिल पास हो जायगा और जब यह अधिनियम की शक्ल में आ जायगा तब तो यह उद्देश्य उसमें से निकल जायगा उद्देश्य तो बिल में ही छपता है, अधिनियम में तो छपता नहीं। अधिनियम में तो केवल धारायें रहती हैं। अधिनियम में तो हर बात का स्पष्टीकरण रहना चाहिये ताकि उसका गलत इंटरप्रिटेशन न हो सके। दूसरी चीज जो श्री जयराम वर्मा जी ने मनुष्य के मृत शरीर रखने की बात कही है, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मनुष्य के मृत शरीर से ही शव का मतलब होता है और फिर जब कि हमारे साहित्य में एक शब्द "शव" के ही इस्ते-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माल से काम चल जाता है तो क्यों दो शब्दों का प्रयोग करें ? इसीलिये मैंने यह संशोधन दिया है। जहां तक संशोधन की बात है कि इस शब्द का प्रयोग पूरे बिल में नहीं है लेकिन श्री जयराम वर्मा जी ने तो आगे चल कर जगह-जगह 'शव' शब्द का ही प्रयोग किया है। मैं आशा करता हूं कि इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको जरूर स्वीकार किया जाय।

श्री बनारसीदास---उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक शाब्दिक संशोधन है। वैसे तो अध्यक्ष महोदय, स्वयं भी शाब्दिक संशोधन को स्वीकार कर सकते हैं लेकिन यह स्पष्टीकरण के लिये उपस्थित किया गया है ताकि आगे चल कर कोई गलतफहमी न पैदा हो। जहां तक श्री जयराम वर्मा जी ने कहा कि इस बिल में "शव" शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया है, जहां कहीं भी शब्द आया है "मृत शरीर" ही आया है। तो हो सकता है कि उनके भी ऐसे संशोधन जो "मृत शरीर" के स्थान पर "शव" रखने के हैं यदि उपयुक्त लगा तो उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। चूंकि परिभाषा के अन्दर यह संशोधन आना आवश्यक था जिसकी वजह से उन्होंने यह संशोधन दिया है। उसके आशय को समझते हुये मैंने उसे स्वीकार कर लिया है और उनका भी जो संशोधन है "शव" के सम्बन्ध में आयेगा उस को भी मैं स्वीकार कर लूंगा। इसमें कोई हानि नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) के अन्त में एक नया भाग (च) निम्नरूप से रख दिया जाय---

"(च) शव का तात्पर्य मनुष्य के शव से है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति १ में शब्द "शरीर" के स्थान पर शब्द "शव" रख दिया जाय।

श्री बनारसीदास---मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति १ में शब्द "शरीर" के स्थान पर शब्द "शव" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द "उस व्यक्ति का कोई भी सम्बन्धी न हो" तक निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "यह विश्वास हो जाय कि उसका कोई वारिस नहीं है" रख दिये जायं और पंक्ति ३ में शब्द "तदर्थ" के पश्चात् तथा शब्द "नियत" के बीच में "स्थान परिस्थिति अनुकूल" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन्, आप यदि खंड २ के उपखंड (२) को देखेंगे जो मैं आप की आज्ञा से पढ़ दूं तो वह इस प्रकार है कि "किसी भी मृत व्यक्ति का शरीर अनभियाचित समझा जायगा यदि उस व्यक्ति का कोई भी संबंधी न हो, अथवा उस अवधि के भीतर , जो तदर्थ नियत की जाय, उसके किसी भी संबंधी द्वारा उसका शरीर अभियाचित न किया जाय"। मैं चाहता हूं कि "उस व्यक्ति का कोई भी सम्बन्धी न हो" यह निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "यह विश्वास हो जाय कि उसका कोई वारिस नहीं है" रख दिया जाय। इसका फैसला कि उस व्यक्ति का कोई भी वारिस नहीं है प्राधिकारी करेगा, तो यदि यह रख दिया जायगा कि "उस व्यक्ति का कोई भी सम्बन्धी न हो" तो इसी बिल की अन्यत्र धारा में जो दिया है कि ऐसे व्यक्ति को प्रमाण प्रस्तुत करने के लिये समय दिया जायगा कि वही उसका वारिस है और ऐसा निर्णय होने तक शव सड़ने से रक्षित रखा जायगा, तो इसका सीधा सम्बन्ध यही मालूम होता है कि प्राधिकारी काफी छानबीन करेगा। इस बात की कि कोई सीधा सम्बन्धी

[श्री रामेश्वरलाल]

उसका है या नहीं। मैं चाहता हूं कि कि जब प्राधिकारी को पूरा विश्वास हो जाय कि उसका कोई वारिस नहीं है तभी वह कोई दूसरा कार्य करे। जिस तरह से भी वह विश्वास प्राप्त कर सके कि अब उसका कोई उत्तराधिकारी या वारिस नहीं है उस के बाद वह आगे कदम उठाये।

दूसरी बात जो मैंने चाही है वह यह है कि जो अवधि नियत की जाय वह 'स्थान परिस्थिति अनुकूल" नियत की जाय, यह मैंने इसलिये रखा है कि स्थान और परिस्थिति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है जैसे खंड ५ में वर्णित है कि कोई अस्पताल में मरे या जेल में वहीं मरे जैसे देवरिया का कोई आदमी मेरठ, अलीगढ़ या आगरे की जेल में है या दक्षिण यू० पी० का कोई आदमी नैनीताल या भवाली के सेनीटोरियम में है और लम्बी अवधि या गरीबी के कारण कोई उसके घर का आदमी वहां नहीं है तो ऐसे केसेज में स्थान और परिस्थिति का भी प्रभाव पड़ेगा, कोई आदमी दो या ढाई सौ मील की दूरी पर है तो प्राधिकारी के लिये यह लाजमी होना चाहिये कि वह इस बात को समझ कर अवधि निश्चित करे, अगर कोई व्यक्ति जेल के अन्दर मरता है या किसी दूर की जगह में मरता है तो क्लेम करना कठिन होगा इसलिये इस कठिनाई को दूर करने के लिये ही मैं यह "स्थान और परिस्थिति अनुकूल" शब्द जोड़ना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारी मन्शा को समझ गये होंगे और उनको यह स्वीकार करने में बहुत कठिनाई न होगी।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामेश्वरलाल जी के संशोधन का विरोध करता हूं। इस संशोधन के जरिये ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि अगर कोई शक हो या ऐसी स्थिति आ जाय कि सर्दी में एक शख्स को लावारिस समझ कर उस के शव को चीर फाड़ के लिये दे दिया जाय तो उस परिस्थिति से बचने के लिये वह यह संशोधन रखना चाहते हैं। लेकिन जो संशोधन उन्होंने रखा है उसका अर्थ बिलकुल उल्टा निकलता है। अगर वे उसकी रोकथाम करना चाहते हैं तो जो संशोधन उन्होंने रक्खा है इस संशोधन को मानने से उसकी रोकथाम नहीं होगी बल्कि वह जो चाहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत हो जायगा।

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा जो पहले उपखंड में रक्खा गया है कि यदि उस व्यक्ति का कोई सम्बन्धी न हो तो इसका निर्णय जो अधिकारी होगा उसको पूरे तौर से करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ऐसा न हो कि बाद में कोई सबन्धी निकल आये। लेकिन अगर ये शब्द रख दिये जायेंगे "यह विश्वास हो जायगा कि उसका कोई वारिस नहीं है" तो फिर विश्वास के ऊपर बात आ जाएगी। विश्वास किसका होगा—अथारिटी का होगा। अथारिटी का विश्वास गलत हो या सही हो उसके निर्णय पर, उसके विश्वास पर बाद में कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। बहुत से ऐसे अधिनियम हैं जिस में अथारिटी को यह अख्तियार दिया गया कि वे सोच विचार कर के अपना निर्णय दें। जब वह अथारिटी निर्णय कर देती है, अपने विश्वास से, तो उस विश्वास को अदालत में फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता। अदालत अपने दिमाग को उस अधिकारी के दिमाग की जगह नहीं रख सकती। अधिकारी का विश्वास सही हो या गलत हो वही मान्य होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि विधेयक में जो शब्द हैं उनसे अधिकारी बंध जाता है। उसको सोचना पड़ेगा कि मैं बहुत सोच समझ कर इस निर्णय पर आऊं कि मृतक व्यक्ति का कोई सम्बन्धी नहीं है। अगर 'विश्वास' रक्खा जायगा तो जल्दी में भी विश्वास हो सकता है, देर में भी हो सकता है। एक दफा फैसला कर दिया अपने विश्वास पर तो मामला वहीं खत्म हो जायगा। मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे माननीय मित्र का जो तात्पर्य है उस की इस संशोधन से पूर्ति नहीं होती और शिथिलता आ जाती है।

उनके दूसरे शब्द "स्थान और परिस्थिति अनुकूल" हैं उनसे भी कोई खास विशेषता नहीं है। जो शब्द यहां रक्खे गये हैं उनसे अधिकारी पर काफी रोकथाम है। अधिकारी को

ही ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई है। उस जिम्मेदारी को वह स्थान और परिस्थिति को देख कर ही काम में लाएगा। मैं निवेदन करूंगा कि ये जो शब्द माननीय रामेश्वर लाल जी ने यहां बढ़ाने के लिये रखे हैं उनसे उनका जो लक्ष्य व तात्पर्य है उसकी पूर्ति नहीं होती। मैं उनसे सहानुभूति रखता हूं। जल्दी में कार्य न हो जिससे मृतक के शव उसकी चीरफाड़ कर दी जाय। यह नाजुक मसला है। उस अधिकारी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। कोई भी सम्बन्धी हो वह नहीं चाहेगा कि उसके मृत सम्बन्धी की मर्जी के बिना या उसकी जानकारी अथवा पूछताछ के बिना चीर फाड़ के लिये लाश दे दी जाय। जिम्मेदारी यहां अधिकारी के ऊपर रखी गयी है। अधिकारी बाध्य हो जाता है कि उस जिम्मेदारी को परिस्थिति और समयानुकूल निभाये। मेरे विचार में मेरे माननीय मित्र जो शब्द वे संशोधन द्वारा बढ़ाना चाहते हैं उनसे उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री बनारसीदास—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री काटजू ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। जो शब्द इस उपधारा के अन्दर रक्खे गये हैं वे ज्यादा उपयुक्त मालूम पड़ते हैं। इसलिये जो संशोधन माननीय रामेश्वरलाल जी की तरफ से पेश किया गया है उसको मानने में मैं असमर्थ हूं।

श्री रामेश्वरलाल—मान्यवर, मैंने अपने संशोधन के विपक्ष में माननीय काटजू जी का भाषण बड़े गौर से सुना। लेकिन इस नतीजे पर पहुंचा कि माननीय काटजू जी ने जो खंड २ का उपखंड २ है उसको स्वयं ही नहीं समझा है। परिभाषा यह की गयी है कि "विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में किसी भी मृत व्यक्ति का शरीर अनभियाचित समझा जायगा यदि उस व्यक्ति का कोई संबंधी न हो, अथवा उस अवधि के भीतर, जो तदर्थ नियत की जाय, उसके किसी भी सम्बन्धी द्वारा उसका शरीर अभियाचित न किया जाय।"

एक व्यक्ति जो मर जाता है, चाहे वह जेलखाना हो, अस्पताल हो या सार्वजनिक स्थान हो मर जाने के बाद यदि उसके सम्बन्धी वहां नहीं हैं और एक निश्चित अवधि जो सरकार द्वारा पता नहीं कब तय की जायगी उस अवधि के अन्दर उसका कोई सम्बन्धी है और वह शव को क्लेम नहीं करता है कि यह शव हमको मिलना चाहिए, हम उसके उत्तराधिकारी हैं, तो प्राधिकारी इस शव को उन संस्थाओं को दे सकता है। यह खंड २ का मतलब है। मैं नहीं समझता कि जो यह धारा है इसमें कहां साफ़ है कि प्राधिकारी खोजबीन करने के बाद यह पता चला कर कि उसका कोई उत्तराधिकारी है या नहीं तब वह ऐसी व्यवस्था करेगा। इसमें साफ है कि यदि उसका कोई सम्बन्धी है और वह क्लेम नहीं करता है, एक निश्चित अवधि के अन्दर मांग नहीं करता है तो वह लाश जप्त कर ली जायगी। मैं यही चाहता हूं कि यदि निश्चित अवधि होती भी, दो दिन की, तीन दिन की, एक हफ्ते की, दो हफ्ते की तो सदन को विचार करने का मौका होता कि यह उपयुक्त अवधि है या नहीं। यह यहां नहीं है। मैं नहीं समझता कि यह जो अधिनियम है कोई ऐसा अधिनियम है जिसमें बड़ा वाद-विवाद हो और उस पर बड़े-बड़े कानूनी सलाहकारों द्वारा विचार करने का विषय हो, क्यों नहीं माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर देते कि क्या अवधि होगी। यदि नियत अवधि होती तो शंका करने की आवश्यकता न होती। हो सकता है, जैसा कि कानूनी सलाहकार सलाह दिया करते हैं, दो दिन की अवधि नियत करदें। मैं समझता हूं कि भुवाली सैनेटोरियम में, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती या बलिया का आदमी अगर मर जाता है तो वहां से उसके सम्बन्धियों को सूचित करने में और बुलाने में, और पहुंचने में या तो लाश सड़ जायगी या सरकार उसको जहां भी चाहेगी सुपुर्द कर देगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर अवश्य विचार करेंगे। जब नियत अवधि यहां नहीं है तो स्थान और परिस्थिति की विशेषता वहां होनी चाहिये क्योंकि अपना प्रान्त बहुत वृहत्त है और आप के यहां इतने सैनिटोरियम और अच्छे अस्पताल हैं जहां पर हो सकता है कि एक गांव के आदमी को

[श्री रामेश्वरलाल]

एक कोने से दूसरे कोने मे जाना पड़े। कौन जानता है कि दैवयोग उसे मरना भी पड़े। इसलिए मैंने स्थान और परिस्थिति को रखा है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री मेरे संशोधन के पहले रूप से प्रभावित नहीं हैं, तो दूसरे भाग में जो मैंने स्थान और परिस्थिति की जो बात रखी है इस पर पुनः विचार करें।

श्री बनारसीदास—उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन उपधारा (२) के अन्दर जो पेश किया गया है इसका ज्यादा सम्बन्ध इस विधेयक की धारा ५ से है जिसमें लिखा गया है कि खंड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में प्राधिकारी को जब कि यह मालूम हो कि मृतक का कोई सम्बन्धी जीवित है और वह नियत अवधि के भीतर ऐसे कारण से शरीर की अभियाचना नहीं कर सका है जो उसके वश में न थे, मृत शरीर को मृतक के धर्म से सम्बन्ध ऐसी धार्मिक अथवा सार्वजनिक संस्था को सौंप देगा जो नियत की जाय। इसमें विषय का सवाल नहीं आता। नियत अधिकारी को मालूम होना चाहिए। विश्वास भी उसके बाद ही होता है। पहले तो जानकारी होती है। विश्वास तो बाद में होता है। यह तो नियत अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। वह जरूर कोशिश करेगा। मालूम करने की। विश्वास भी यदि आप उसमें रख लेते हैं तो जैसा काटजू साहब ने कहा वह छूट जाता है मालूम करने से।

हो सकता है कि जानकारी उसके विश्वास को गलत साबित करे। परिस्थिति का जहां तक सवाल है धारा ११ के अनुसार नियम बनाये जायंगे और जैसा कि नियम हैं सदन के सामने पेश किये जायंगे, १४ दिन के अन्दर। तो नियम आपके सामने आयंगे। तो बहरहाल जब नियम बनेंगे तब सारी परिस्थितियों पर गौर किया जायगा। और फिर यह विधेयक तमाम प्रदेश के अन्दर तो लागू नहीं किया जायगा और न इसकी जरूरत होगी। जैसा इसके अन्दर लिखा है ऐसे क्षेत्र में लागू किया जायगा जहां इसकी आवश्यकता हो इसलिये यह कैसे कह सकते हैं कि भुवाली के अन्दर लागू किया जायगा, जहां कोई मेडिकल कालेज नहीं है। हो सकता है मेडिकल कालेज में इसको लागू न करें। तो यहां ऐक्ट के अन्दर इतने सारे विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब नियम धारा ११ के अनुसार सदन के सामने आयंगे तो उस वक्त में आप अपने विचार पेश कर सकते हैं उसके बाद में देखा जायगा। पहले से यह सोच लेने से कोई मदद नहीं मिलेगी। इसलिये मैं रामेश्वरलाल जी के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। आशा है वह उसे वापस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द "उस व्यक्ति का कोई भी सम्बन्धी न हो" तक निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "यह विश्वास हो जाय कि उसका कोई वारिस नहीं है" रख दिये जायं और पंक्ति ३ में शब्द "तदर्थ" के पश्चात् तथा शब्द "नियत" के बीच में "स्थान परिस्थिति अनुकूल" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मदनगोपाल वैद्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मुझे पेश करना है उसे किंचित परिवर्तन के साथ पेश करना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "सम्बन्धी" के बाद शब्द "मित्र अथवा परिचारक" रख दिये जायं।

इस विधेयक के अन्दर खंड २ सब से महत्वपूर्ण धारा है। इसके अन्दर अनभियाचित शरीर की परिभाषा की गई है और इसी परिभाषा के आधार पर सारा विधेयक खड़ा किया गया है। इस परिभाषा के अन्दर ऐसा था कि अगर केवल सम्बन्धी ही उसकी लाश को मांगे तभी वह लाश उनको दी जायगी और मित्र या परिचारक को नहीं दी जायगी। यह इसके अन्दर एक बड़ी भारी कमी थी। इसको व्यापक बनाने के लिये

सम्बन्धी के साथ मित्र तथा परिचारक को भी जोड़ा गया है ताकि अधिक शिकायत न हो और उसके मित्र और परिचारक को असन्तोष न हो । इसलिये यह शब्द बढ़ाये गये हैं और उसकी परिभाषा को पूर्ण करने की कोशिश की गई है ।

श्री बनारसीदास—उपाध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में तो मैं पहले निवेदन कर चुका हूं यह संशोधन मुझे स्वीकार है ।

श्री शिवनाथ काटजू—श्रीमन्, मैं विशेष रूप से इस संशोधन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । इस पर गौर करने की जरूरत है । आज कल जिस तरह से समाज की व्यवस्था हो रही है और जैसा कि भविष्य में भी होगा उसमें कहीं-कहीं सम्बन्धी से अधिक मित्र का स्थान हो जाता है । यह मैं मानता हूं कि इस विधेयक में व्याख्या नहीं है कि मित्र कौन है कौन नहीं है । यह भी एक जटिल प्रश्न हो सकता है । लेकिन इसके साथ यह देखना पड़ेगा जहां पर सम्बन्धी की जो कुछ परिभाषा की गई है वह रिश्तेदारी को देखते हुए की गई है । लेकिन बहुत सारे ऐसे सम्बन्धी हो सकते हैं जैसे गुरु, शिष्य । अगर शिष्य खड़ा हो और वह कहे कि उसके गुरु का मृतक शव है, तो आप शिष्य की नहीं सुनेंगे और शिष्य को बिल्कुल उठाकर.....

श्री बनारसीदास—आप इसका विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं ।

श्री शिवनाथ काटजू— मैं यह कहता हूं कि इसका समर्थन करते हुए यह निवेदन करूंगा कि इसमें मित्र के लिये कोई न कोई स्थान आपको रखना चाहिये ।

श्री बनारसीदास—मित्र तो इसमें मान लिया ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "सम्बन्धी" के बाद शब्द "मित्र अथवा परिचारक" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ में शब्द "शरीर" के स्थान पर शब्द "शव" रख दिया जाय ।

श्री बनारसीदास—वह तो पहिले ही मैं मान चुका हूं, यह भी स्वीकार है । इसे मानने से बेहतर यह होगा कि आगे जहां पर यह शब्द "शरीर" आया है वहां "शव" मान लिया जाय, इसके लिए जनरल संशोधन आ जाय, तो ज्यादा उचित होगा ।

श्री जयराम वर्मा—इसके शीर्षक में "शरीर" की जगह पर "शव" रख दिया तो गड़बड़ हो जायगी । इसमें दो तीन जगहें ऐसी हैं, इसलिए जनरल नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ में शब्द "शरीर" के स्थान पर शब्द "शव" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

३—राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, ऐसे क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रचलित हो अथवा उसके किसी भाग के निमित्त एक या एकाधिक ऐसे पदाधिकारी प्राधिकृत कर सकती है जिनके पास धारा ४ के अधीन प्रतिवेदन (Report) दिया जायगा तथा जो उक्त धारा के अधीन कार्य करने के निमित्त समक्ष होंगे ।

धारा ४ के अधीन कार्य करने के निमित्त पदाधिकारियों को अधिकृत करने का राज्य सरकार को अधिकार ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

४---जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी अस्पताल या जेल में हो जाय तथा उसका शरीर अनभियाचित रहे तो यथास्थिति ऐसे अस्पताल या जेल का अवधायक प्राधिकारी (authority in-charge) तत्काल प्राधिकृत पदाधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा जो उसे धारा ५ में उल्लिखित रीति से निस्तारित करेगा ।

श्री जयराम वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ की पंक्ति २ में शब्द "शरीर" के स्थान पर शब्द "शव" रख दिया जाय ।

श्री बनारसीदास---यह स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ की पंक्ति २ में शब्द "शरीर" के स्थान पर शब्द "शव" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेश्वरलाल---मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि खंड ४ की पंक्ति ४ के शब्द "सूचना" के पश्चात् शब्द "कारण सहित" बढ़ा दिये जायं ।

श्रीमन्, मैं यह आवश्यक समझता हूं, जैसा कि यह खंड है, उसमें हमारे इस संशोधन की आवश्यकता है । संशोधन में यह व्यवस्था की गयी है कि जेल में मरने वाले या अस्पताल में मरने वाले व्यक्ति की, जो अस्पताल या जेल का अधिकारी है, वह प्राधिकारी को सूचना देगा । यह इसलिए है कि प्राधिकारी सूचना पाने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही करने के बाद शव को प्राप्त करले । मैं समझता हूं कि अस्पताल या जेल में कोई व्यक्ति चेचक, प्लेग या कुष्ठ रोग से मरता है तो चीर-फाड़ की प्रयोगशाला में ऐसे शवों की आवश्यकता नहीं होती । मैं ज्यादा इसपर भाषण देना नहीं चाहता । मैं तो चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन का तात्पर्य समझेंगे और उम्मीद है कि वह इसे स्वीकार भी करेंगे ।

श्री बनारसीदास---उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ पाया कि "कारण सहित" की क्या आवश्यकता है । इसमें यह है, "जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी अस्पताल या जेल में हो जाय तथा उसका शरीर अनभियाचित रहे तो यथास्थिति ऐसे अस्पताल या जेल का अवधायक प्राधिकारी (अथारिटी इन-चार्ज) तत्काल प्राधिकृत पदाधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा ।

तो जेल का सुपरिन्टेन्डेन्ट या मेडिकल आफिसर इन-चार्ज सूचना देगा किसी भी अथारिटी को कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी, इसमें कारण क्या देगा ? मृत्यु की सूचना देगा । तो फिर यह प्राधिकृत अधिकारी का काम होगा कि धारा ५ के अनुसार वह किसी धार्मिक संस्था को देता है और उनको वह स्वयं निस्तारण कराता है या सम्बन्धी को देता है या किसी भी इंस्टीट्यूशन को देता है तो यहां पर किसी जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट या मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट को कारण देने की क्या आवश्यकता है ? इसलिये इस संशोधन की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं ।

श्री राजेश्वरलाल---मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ की पंक्ति ४ के शब्द "सूचना" के पश्चात् शब्द "कारण सहित" बढ़ा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५—(१) प्राधिकृत पदाधिकारी, उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी ऐसे व्यक्ति के अनभियाचित शरीर की दशा में जो:—

(क) किसी अस्पताल या कारावास में मरे; अथवा

(ख) किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान में मरे, जो उसका स्थायी निवास स्थान न हो; अथवा

(ग) अपने शरीर को शरीर-रचना संबंधी परीक्षण तथा चीरफाड़ के निमित्त लिखित रूप से समर्पित करने के पश्चात् मरे;

उसके अनभियाचित शरीर पर कब्जा कर लेगा तथा उसे शरीर रचना शास्त्र संबंधी परीक्षण या चीड़फाड़ के लिये अपेक्षा करने वाली चिकित्सा संस्था को सौंप देगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में प्राधिकृत पदाधिकारी, जबकि यह मालूम हो कि मृतक का कोई संबंधी जीवित है और वह नियत अवधि के भीतर ऐसे कारणों से शरीर की अभियाचना नहीं कर सका है जो उसके वश में न थे, मृत शरीर को मृतक के धर्म से संबद्ध ऐसी धार्मिक अथवा सार्वजनिक संस्था को सौंप देगा जो नियत की जाय।

(२) किसी ऐसे व्यक्ति का अनभियाचित शरीर, जिसने अपनी मृत्यु से पूर्व यह घोषित कर दिया हो कि उसका शरीर रचना संबंधी परीक्षण अथवा चीड़फाड़, अथवा दोनों, के काम में न लाया जाय, प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा मृतक के धर्म से संबद्ध ऐसी धार्मिक अथवा सार्वजनिक संस्था को सौंप दिया जायगा जो नियत की जाय।

(३) प्राधिकृत प्राधिकारी—

(क) मृतक की मृत्यु के कारण के विषय में कोई संदेह होने पर तथा अन्य किसी स्थिति में जब उसकी राय में ऐसा करना इष्टकर हो, अनभियाचित शरीर को कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा १०४ में तदर्थ निर्दिष्ट रीति से निस्तारित करेगा; ऐक्ट ५, १८९८।

(ख) ऐसी दशा में जब किसी चिकित्सा संस्था के अवधायक प्राधिकारी को शरीर रचना संबंधी परीक्षण या चीरफाड़ या इन दोनों कार्यों के निमित्त अनभियाचित शरीर की अपेक्षा न हो तो, उस शरीर का निस्तारण ऐसी रीति से कर देगा जो नियत की जाय।

श्री जयराम वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "शरीर" के स्थान पर शब्द "शव" रख दिया जाय।

श्री बनारसीदास—जी हां, स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "शरीर" के स्थान पर शब्द "शव" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति १ में शब्द "जो" के स्थान पर शब्द "जहां" रख दिया जाय । मैं समझता हूं कि मंत्री जी को ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है और मुझे आशा है कि वह इसको कबूल ही कर लेंगे ।

श्री बनारसीदास—यह तो, श्रीमन् जी, शाब्दिक सा संशोधन है और मैं यहां पर "जो" को ही उचित समझता हूं क्योंकि इसमें लिखा है कि किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान में मरे जो उसका स्थायी निजी निवास-स्थान न हो । तो इसमें "जो" ही ज्यादा उचित मालूम होता है । यह तो रिलेटिव है, प्रोनाउन है, यह स्थान के लिये आता है, इसलिये इसकी जरूरत नहीं मालूम होती है ।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमान जी, आप देखेंगे कि खंड ५ जो है वह इस प्रकार है । मैं आपकी आज्ञा से उसको पढ़ देना चाहता हूं ।

"प्राधिकृत पदाधिकारी, उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी ऐसे व्यक्ति के अनभियाचित शरीर की दशा में जो—

(क) किसी अस्पताल या कारावास में मरे, अथवा

(ख) किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान में मरे, जो उसका स्थायी निवास स्थान न हो, अथवा

(ग) अपने शरीर को शरीर रचना सम्बन्धी परीक्षण तथा चीरफाड़ के निमित लिखित रूप से समर्पित करने के पश्चात् मरे,

इसके आगे मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं जिससे माननीय सदस्यों को इस उपखंड की मंशा ज्ञात हो जाय । अब खंड ५ के उपखंड (ख) में "जो" के स्थान पर शब्द "जहां" रखना चाहता हूं वह किसी ऐसे स्थान पर मरे जो उसका स्थायी निवास स्थान न हो । मैं यह कहना चाहता हूं कि लखनऊ में निवास करने वाला व्यक्ति स्टेशन पर मर जाता है, जिसको मैं समझता हूं कि वह सार्वजनिक स्थान है, वह किसी का निजी स्थान नहीं है, यह मैं कतई और निश्चित रूप से मानता हूं । लेकिन अगर वह लखनऊ से बाहर किसी कस्बे में मर जाता है तो उसका "जो" के साथ तात्पर्य होगा जहां वह मरता है, वह स्थान "जहां" लिख देने से उस स्थान को डिमांसट्रेट करेगा जहां सार्वजनिक स्थान है, इसलिये मैंने रखा है, इसमें कोई अड़चन नहीं पड़ती है । मैं नहीं समझता कि मंत्री जी को मैं समझा सकूंगा । लेकिन मैं अपनी जगह पर सही हूं वह इस पर पुनः विचार कर लें ।

श्री बनारसीदास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यदि अध्यक्ष महोदय उचित समझेंगे तो वह अपने अधिकार से इसमें कर देंगे । यदि वह समझेंगे कि इसमें "जहां" उपयुक्त है तो वह कर देंगे । मैंने जैसा कि अर्ज किया, इसकी आवश्यकता मालूम नहीं होती है । लेकिन मैंने अर्ज किया कि इसकी आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती इसमें पहले शब्द "स्थान" दिया है उसके बाद लिखा है कि जो उसका स्थायी निवास स्थान न हो । तो इसकी आवश्यकता नहीं मालूम होती । फिर भी यदि अध्यक्ष महोदय स्वयं समझेंगे तो वे रामेश्वर लाल जी के संशोधन को मान ही लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति १ में शब्द "जो" के स्थान पर शब्द "जहां" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति १ में शब्द "स्थायी" निकाल दिया जाय।

श्रीमन् जी, धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (ग) में उन परिस्थितियों का उल्लेख है जिनमें किसी व्यक्ति के मृत शरीर पर उसके अनभियाचित होने की दशा में प्राधिकृत प्राधिकारी कब्जा कर लेगा। उनमें एक परिस्थिति यह है कि अगर कोई आदमी सार्वजनिक स्थान में मरे जो उसका स्थायी निवास स्थान न हो। तो शब्द "स्थायी" निवास स्थान के पूर्व जोड़ देने से एक बड़े झगड़े और वाद-विवाद की गुंजाइश हो जाती है। प्रश्न यह होगा कि यह उसका स्थायी, अस्थायी या वर्तमान निवास स्थान है। इससे बेकार का झगड़ा बढ़ेगा। जैसी व्यवस्था है उसमें तो यह होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मरे और वह उसका स्थायी निवास स्थान हो तो उस शव के अनभियाचित होने पर भी प्राधिकृत प्राधिकारी उस पर कब्जा नहीं करेगा। लेकिन अगर वह स्थान जहां वह मरता है उसका अस्थायी या वर्तमान निवास स्थान है तो उस शव के अनभियाचित होने पर प्राधिकृत प्राधिकारी उस पर कब्जा कर लेगा। ठीक तो यही होना चाहिये कि अगर उसका निवास स्थान वहां पर हो तो उस हालत में प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा उसके शव पर कब्जा नहीं होना चाहिये चाहे वह अभियाचित हो या अनभियाचित हो। उसमें स्थायी, अस्थायी या वर्तमान निवास स्थान का झगड़ा पैदा करना ठीक नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि शब्द "स्थायी" यहां से निकाल देना चाहिये जिससे झगड़े की गुंजाइश न रहे।

श्री बनारसीदास---यह संशोधन स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति १ में शब्द "स्थायी" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) का भाग (ख) निकाल दिया जाय। वह भाग इस प्रकार है---

"किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान में मरे जो उसका स्थायी निवास स्थान न हो अब रह गया है, जो उसका निवास स्थान न हो।"

मैं समझता हूं कि अगर यह बाकी रहा तो उसका दुरुपयोग किये जाने की बहुत अधिक आशंका है, क्योंकि हिन्दुओं में यह धार्मिक भावना प्रचलित है कि बहुत से लोग वृद्धावस्था प्राप्त होने पर या वाणप्रस्थ आश्रम लेने पर यह ठीक समझते हैं कि मरने से पहले और बीमारी की दशा में भी जब निराश हो जाते हैं, तीर्थ स्थानों में चले जाते हैं या खासतौर पर काशी करवट और काशी वास लेने की बात तो हिन्दुओं में एक रूढ़वादिता हो गयी है। एक कहावत यहां यह भी है कि मरने से पहले या असाध्य बीमारी की हालत में "औषधि जाह्नवीतोयं, वैद्यो नारायणो हरिः।" इस प्रकार की भावना लेकर अगर कोई गंगातट पर जाता है और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे सद्गति प्राप्त होगी, उसको स्वर्ग प्राप्त होगा, उस दशा में उसका निवास स्थान स्थायी या अस्थायी कुछ भी नहीं हुआ। वह तो सार्वजनिक है उसका क्या होगा। उस हालत में यह भावना तो रहती ही है कि उसका दुरुपयोग होगा। हम यह जानते हैं कि ऐसे मामले सदन के सामने कई बार आ चुके हैं जबकि खास तौर से पुलिस अधिकारियों द्वारा शव के दिये जाने में आनाकानी की गई और उनके घरवालों को न देकर उनको जला दिया गया हो या कुछ भी किया गया हो तो जहां ऐसी बात हो सकती है वहां इस विधेयक के बन जाने पर और वहां यह बात रहने पर और दुरुपयोग किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता है और आशंका हो जाती है। इसी विधेयक में खंड ९ में यह भी व्यवस्था सरकार ने की है कि "इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से किये गये अथवा

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी बात के संबंध में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।" इससे आप देख सकते हैं कि कोई गैर जिम्मेदार आदमी अगर किसी भी वजह से उसका दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध भी कोई बात नहीं हो सकेगी। इसी तरह की और भी व्यवस्थायें हैं। तो इस तरह से दुरुपयोग की बहुत आशंका है। मैं समझता हूं कि धार्मिक भावनाओं का ख्याल करके इस खंड को निकाल दिया जाय तो उससे धार्मिक लोगों के मन में जो आशंकायें पैदा हो सकती हैं वह नहीं होंगी।

श्री बनारसीदास—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि पालीवाल जी ने कहा कि धार्मिक भावना से बहुत से काशी करवट या वृन्दावन में वास करने के लिये चले जाते हैं लेकिन यहां तो केवल उन्हीं व्यक्तियों का मृतक शरीर से संबंध है जिनका कोई वारिस न हो और उसमें लिखा है कि जो इस भावना से जायगा। यदि धारा ५ की उपधारा २ के अनुसार पहले से वह अपनी इच्छा प्रकट कर दे कि उनके शरीर को परीक्षण के लिये न भेजा जाय तो भी नहीं भेजा जा सकेगा। तो जो व्यक्ति वहां मरने के लिये जायगा यह ऐक्ट बन जायगा और अगर वह अपनी इच्छा घोषित कर देगा तो किसी प्रकार से उसका शरीर परीक्षण के लिये नहीं जायगा। फिर हमने इसमें मित्र मान लिया है, परिचारक मान लिया है। यानी अगर साधू भी हो और अगर उसका परिचारक मांगेगा तो उसका शरीर नहीं जायेगा।

अब अगर सार्वजनिक स्थान इसमें से निकाल देते हैं तो बहुत कम स्थान ऐसे रह जायेंगे जैसे अस्पताल या जेल जहां से इस प्रकार के शव प्राप्त हो सकते हैं। धर्मशालाओं में बहुत से लोग मरते हैं, गंगातट पर बहुत से लोग मरते हैं, सार्वजनिक रास्तों पर लोग मर जाते हैं और वह अनक्लेम्ड बाडी भी है। अब यदि इस धारा को निकाल देते हैं तो यह विधेयक बहुत हद तक पंगु हो जायगा और उससे मतलब भी पूरा नहीं होगा। इसलिये मुझे खेद है कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि इस भाषण से जो अभी दिया गया है उससे मेरा समाधान नहीं हुआ। जो बात अन्त में कही गई कि अगर सार्वजनिक स्थान को निकाल देंगे तो और जगहों से बहुत कम शव मिलेंगे। तो केवल शव प्राप्ति के लिये इस प्रकार के दुरुपयोग किये जाने की सुविधा दे देना मुझे किसी भी तरह से उचित नहीं मालूम होता है। मैं समझता हूं कि अस्पताल या कारावास में मरने वालों की संख्या बहुत काफी हो सकती है। धारा २ का जो उल्लेख किया गया है और इस बात का खास तौर पर किया गया है कि जो लोग यह लिखकर दे देंगे और पहले ही इस बात की विज्ञप्ति कर देंगे कि वह अपना शव परीक्षण के लिये, चीड़फाड़ के लिये देना नहीं चाहता वह इस से बच जायेंगे। तो असल में यह प्रैक्टिस में व्यवहार में कोई अच्छा संरक्षण नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं कि कितने हमारे देश में साक्षर हैं और साक्षरों में कितने कानून का ज्ञान रखते हैं। कानून कितने हैं और यह जो हजारों की संख्या में दिन रात कानून बनाये जाते हैं उनका ज्ञान आम जनता को कितना होता है, किस हद तक हो सकता है और उससे वह कितना लाभ उठा सकती है और धारा की इस बात को वह कहां तक समझ कर काम करेंगे यह हमारे समझने की बात है। जो तीर्थ यात्रा पर गये हैं उनके वारिसों को क्या मालूम कि वह कहां हैं? कई बार ऐसे लोग घर पर सूचना भी नहीं देते। कोई घूमते-घूमते मर गया, घर वालों को पता नहीं। लिख कर भी उन्होंने दे दिया है तो वह प्राधिकारी कैसे पता चलायेगा कि उसने लिख कर दिया था या नहीं दिया था और हम इस शव का उपयोग करें या न करें। इसके अलावा उसके बचाव का प्रबन्ध पहले से ही कर दिया गया है कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। तो इन सब बातों के होते हुये यह आवश्यक मालूम होता है कि इस प्रकार के अनियंत्रित अधिकार, जिनका इतना

दुरुपयोग किया जा सकता है, नहीं होना चाहिये। और मैं यही उचित समझता हूं कि इस खंड को निकाल देना चाहिये। अगर सरकार समझती है कि इन प्रतियंत्रित अधिकारों को लेने में कोई बुराई नहीं है और जनता का असंतोष उसको नहीं भुगतना पड़ेगा तो उनको जो इच्छा हो वह करें। उनका बहुमत है और वह उसका उपयोग कर सकते हैं।

श्री बनारसीदास--उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता हूं कि उसका कोई दुरुपयोग होगा और मैं आशा करता हूं कि जो इस प्रकार के शव सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त होंगे उस में पूरी सतर्कता से काम लिया जायगा। माननीय पालीवाल जी ने जो यह कहा कि धारा ९ में सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण दे दिया गया है, तो उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि हर विधेयक में इस प्रकार का विधान होता है। इसमें यह कोई नयी बात नहीं है। यदि किसी अधिकारी को इस बात की गारन्टी न हो कि यदि वह सद्भाव से कार्य करेगा तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी तो वह अपना कर्तव्य पालन कर ही नहीं सकता है। यह तो हर विधेयक में होता है। हां, अगर यह साबित हो जाता है कि उसने मैलिस से काम किया है तो उसको सजा मिल सकती है। तो सार्वजनिक स्थानों से जो शव इस प्रकार मिलेंगे उनमें इसके अलावा और कोई मतलब नहीं हो सकता है और सार्वजनिक हित इस बात की मांग करता है कि इसको यहां रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) का भाग (ख) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (ग) को भाग (घ) कर दिया जाय और नया भाग (ग) निम्न प्रकार रख दिया जाय--

"(ग) सार्वजनिक स्थान से परे किसी भी स्थान में लावारिस मरे"।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं इस विधेयक के उद्देश्य और कारण का एक वाक्य पढ़ देना चाहता हूं। "राज्य के मेडिकल कालेजों के प्राधिकारी मनुष्यों के मृत शरीरों को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन संस्थाओं में शरीर-रचना शास्त्र की शिक्षा नियत प्रतिमान के अनुसार नहीं दी जा रही है।" इस विधेयक की आवश्यकता सरकार ने इस लिए महसूस की कि शरीर रचना शास्त्र की शिक्षा देने के लिए मृत शरीर की पूर्ति जितनी चाहिए वह नहीं हो रही है और इसके अभाव में प्रशिक्षण का काम बहुत कठिनता से चल रहा है। इसलिए इस विधेयक की आवश्यकता सरकार ने महसूस की। मैं भी यह चाहता हूं अपने इस संशोधन द्वारा कि इस प्रकार की कोई भी असुविधा प्रशिक्षण केन्द्र के या सरकार के कार्य में न आये। इसीलिए मैंने अपना यह संशोधन रखा है।

इस संशोधन का तात्पर्य यह निकाला जायगा कि यदि किसी क्षेत्र में या उस क्षेत्र के किसी भी म्युनिसिपैलिटी में या टाउन एरिया में अगर लावारिस आदमी मरता है जिसका कोई पूछने वाला नहीं मिलता, तो उस लाश को प्राधिकारी अपने कब्जे में कर लेगा। नवजीवन अखबार में एक समाचार प्रकाशित हुआ था और वह म्युनिसिपल कमिश्नर, गोरखपुर की तरफ से सम्पादक के नाम पत्र लिखा गया था कि रेलवे स्टेशन पर डिब्बे में मरे हुए आदमी की लाश २, ३ दिन तक पड़ी रही और उसका कोई पूछने वाला नहीं था। म्युनिसिपैलिटी में या टाउन एरिया में उस लाश से सड़ान फैलती है और बीमारी पैदा होती है। तो हम चाहते हैं कि उसका प्रयोग हो। बोड़काड़ के केन्द्रों में उनमें उपयोग किया जाय इन म्युनिसिपैलिटी या टाउन एरिया में जो आदमी लावारिस मरे उसको प्राधिकारी अपने कब्जे में कर ले। इसलिए मैंने इस खंड ५ में (ग) एक नया उपखंड रखा है। मुझे आशा है, माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे। इससे उनका मन्शा और भी पूरा होता है। जेल और अस्पताल के अलावा भी उनको शव प्राप्त हो सकेंगे और म्युनि-

[श्री रामेश्वरलाल]

सिपैलिटी और टाउन एरिया में सार्वजनिक स्थानों में जो लावारिस मरेंगे, उनको प्राधिकारी अपने कब्जे में कर लेगा। इसलिए मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है और इस संशोधन को स्वीकार करने के बाद बहुत बड़ी समस्या हल हो जायगी ।

श्री बनारसीदास—अभी माननीय पालीवाल जी ने यह संशोधन रखा था कि सार्वजनिक स्थान को निकाल दिया जाय। रामेश्वर लाल जी चाहते हैं कि सार्वजनिक स्थानों के अलावा भी जहां पर कोई लावारिस आदमी मरे उसके शव को ले लिया जाय। इससे क्षेत्र बड़ा व्यापक हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं है कि कुछ शव और भी प्राप्त हो जाते हैं। किसी बाग में कोई मरा पड़ा है, किसी खेत में कोई मरा पड़ा है, तो उन सब शवों को लिए प्राप्त करने में यह बड़ा व्यापक क्षेत्र हो जाता है। इससे बड़ी कठिनाई पैदा हो सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि शिक्षण संस्थाओं के लिए प्राप्त करने के हेतु हमें जेल और अस्पताल से ही प्राप्त हो जायगी इन तक ही हमने इसको सीमित रखा है। यदि कभी बाद में इसकी आवश्यकता प्रतीत होगी, तो फिर संशोधन लाया जा सकता है। इसलिए मैं यह नहीं चाहता हूं कि इस विधेयक के क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाया जाय।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, आपने भी माननीय मन्त्री जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना होगा और आप भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि माननीय मन्त्री जी हमारे इस संशोधन की उपयोगिता को कबूल करते हैं। मजबूरी उनके सामने यह है कि अपने सलाहकारों से उन्होंने सलाह नहीं ली है। श्रीमन्, इस विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर प्राधिकारी लाश पर कब्जा न करे तो उसके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया जायगा और न किसी विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। मैं समझता हूं कि इसका क्षेत्र व्यापक भी हो जाय तो क्या हानि है। वह सीमित भी हो सकता है। लखनऊ मेडिकल कालिज है और लखनऊ में म्युनिसिपैलिटी भी है। लखनऊ मेडिकल कालेज को चीरफाड़ की शिक्षा के लिए लाशों की आवश्यकता है। लखनऊ में मरने वाले लावारिस भी मेडिकल कालेज में पीछे गोमती की सीढ़ियों पर पड़े रहते हैं। जो लोग वहां पर रहते हैं वह पटरियों पर दिखाई पड़ते हैं। म्युनिसिपल बोर्ड उनकी व्यवस्था करती है। अगर उन को भी मेडिकल कालेज ले ले तो इसमें क्या हानि हो सकती है। इस विधेयक को सीमित और व्यापक भी बनाया जा सकता है। इसमें प्राधिकारी की कोई बात नहीं है। माननीय मन्त्री जी को इस पर विचार करना चाहिए जिस से उनको और सुविधा हो जाय। अगर माननीय मन्त्री जी हमारे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे, तो इससे काफी मामला हल हो जायगा।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, मैं निवेदन कर चुका हूं। मैं इसमें बड़ी कठिनाई देखता हूं। "सार्वजनिक स्थान से परे" का अर्थ बड़ा व्यापक हो सकता है। हो सकता है कि इसके अन्त में बहुत सी कठिनाइयां और शिकायतें हों। इसमें कुछ अपराध भी छिप सकते हैं। पूर्ण विचार के बाद हम चाहते हैं कि केवल सार्वजनिक स्थान तक ही अपने को सीमित रखें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (ग) को (घ) कर दिया जाय और नया भाग (ग) निम्न प्रकार रख दिया जाय—

"(ग) सार्वजनिक स्थान से परे किसी भी स्थान में लावारिस मरे हों"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (ग) की पंक्ति १ में शब्द "शरीर-रचना" के स्थान पर शब्द "शरीर-रचना-शास्त्र" रख दिया

जाय। इन्हीं शब्दों का प्रयोग खंड ५ में भी हुआ है और वहां पर "शरीर-रचना शास्त्र सम्बन्धी परीक्षण या चीरफाड़" लिखा हुआ है। वही यहां होना चाहिए। "शास्त्र" शब्द यहां पर जोड़कर इसे ठीक करना चाहिए।

श्री बनारसीदास——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें "शरीर-रचना सम्बन्धी" के बाद में "परीक्षण" लिखा है। इससे मतलब पूरा हो जाता है और इसमें "शास्त्र" की कोई आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती है। अगर कोई शाब्दिक बात होगी, तो अध्यक्ष महोदय स्वयं ठीक कर लेंगे।

श्री जयराम वर्मा——पंक्ति ५ में भी यही है। या तो एक जगह से शास्त्र निकाल दिया जाय या दूसरी जगह जोड़ दिया जाय, दोनों एक ही चीज हैं। एनाटोमी के लिए दोनों जगह एक ही शब्द इस्तेमाल होने चाहिए।

श्री बनारसीदास——यदि आवश्यक हो तो शाब्दिक परिवर्तन अध्यक्ष महोदय स्वयं कर सकते हैं लेकिन इसे मैं स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (ग) की पंक्ति १ में शब्द "शरीर-रचना" के स्थान पर शब्द "शरीर-रचना-शास्त्र" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (ग) की पंक्ति ७ के शब्द "जब कि मालूम हो" के स्थान पर शब्द "यदि उसे यह मालूम हो जाय" रख दिये जायं।

श्रीमान जी, इसमें एक व्याकरण की अशुद्धि रह गयी है, उसे शुद्ध करके मैंने यह लिख दिया है कि "यदि उसे यह मालूम हो जाय"। इससे भाषा ठीक हो जाती है और मैं आशा करता हूं कि यह स्वीकार किया जायगा।

श्री बनारसीदास——यह शाब्दिक है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (ग) की पंक्ति ७ के शब्द "जब कि मालूम हो" के स्थान पर शब्द "यदि उसे यह मालूम हो जाय" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)——श्रीमान जी, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामेश्वरलाल——श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (३) के भाग (ख) के बाद नया भाग (ग) निम्नप्रकार रख दिया जाय:——

"(ग) ऐसी दशा में जब मृत व्यक्ति जेल अथवा अस्पताल में मरे और लोकप्रिय धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक नेता हो, प्राधिकृत अधिकारी सम्बन्धियों से परे जनता की मांग पर उसके मृत शरीर को उन्हें सौंप सकता है और इस ऐक्ट का कोई प्रभाव उस पर नहीं होगा।"

जैसा कि अभी माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने अपने भाषण में इस बात की चर्चा की थी कि यदि कोई सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक नेता हो, जिसका कुटुम्ब सारे देश या प्रदेश का या जनपदीय हो तो इसके लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि वह जेल या अस्पताल में मरे तो उसका परिवार देश का समझा जाय और उन्हें मृत शरीर मिल जाय। मैं समझता हूं कि इस पर काफी चर्चा पहले भी जनरल डिस्कशन के समय मैंने की थी। माननीय मन्त्रीजी के मस्तिष्क में मेरी और तेजप्रताप जी की बातें हैं और इस संशोधन की अहमियत को देखते हुए वह इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री शिवनारायण काटजू—मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। माननीय रामेश्वरलाल जी ने यह नयी बात रखी है। अभी तक मित्र के लिए व्यवस्था कर दी गयी है। लेकिन अब वह एक और तीसरी बात उपस्थित करते हैं। वह चाहते हैं कि अगर कोई लोकप्रिय नेता हो तो उसके सम्बन्धियों को भी दूर कर दिया जाय, अगर उसके सम्बन्धी शव को चीरफाड़ के लिए विरोध करते हैं और अगर लोकप्रिय नेता के माननेवाले हैं और उनकी सेना कहे कि वे उसके अधिकारी हैं और जैसा वे कहें, वैसी बात मानी जाय और उनके आगे सम्बन्धियों की भी न चले, रामेश्वरलाल जी यह चाहते हैं। यह बराबर मान्यता रही है कि जहां तक किसी की जायदाद या सम्पत्ति का सम्बन्ध है, चाहे वह लोकप्रिय नेता हो या कोई हो, उसके वारिस उसके सम्बन्धी होते हैं। लेकिन अगर श्री रामेश्वरलाल जी की बात मान ली जायगी, तो उसके सम्बन्धी सब दूर फेंक दिये जायेंगे और जनता जनार्दन कहेगी कि हम अनुयायी हैं, हमारी बात मानी जाय। फिर यह सवाल भी पैदा होता है कि लोकप्रिय कौन है। क्योंकि दूसरे दस आदमी ऐसे हो सकते हैं जो यह कहते हों कि यह लोकप्रिय नहीं है। यह कोई राजनैतिक मंच पर भाषण की चीज नहीं है। आपको हर एक शब्द के अर्थ को निर्धारित करना होगा। यह बड़े झगड़े की बात है जहां सिद्धांत की बात आती है वहीं सम्बन्ध की बात भी आ जाती है। इसलिए यह बात नहीं हो सकती कि रिश्तेदार और सम्बन्धी एक ओर खड़े हुए हैं लेकिन लोकप्रिय नेता कहने वाले लोग झंडा लिये हुए खड़े हैं कि वह हमारा नेता है, हमारी बात मानी जाय। इसका अर्थ यह होगा कि वे लोग कहेंगे कि सम्बन्धियों को अलग कर दिया जाय और उसके शव का निर्णय वे लोग करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री तेजप्रतापसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय काटजू साहब ने जो बात कही है, वह सही प्रतीत होती है, लेकिन जिस भावना से माननीय रामेश्वर लाल जी ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया है उसको भी समझने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि जो संशोधन उन्होंने रखा है उसमें कुछ इस प्रकार से संशोधन कर दिया जाय कि जो शरीर अनक्लेम्ड हो अगर वह व्यक्ति लोकप्रिय नेता हो, चाहे वह राजनैतिक नेता हो अथवा आध्यात्मिक नेता हो, तो ऐसे व्यक्ति का मृत शरीर जनता ले सकती है, उसके अनुयायी अगर रिक्वेस्ट करें, तो ले सकते हैं। ऐसा ही अभिप्राय माननीय रामेश्वर लाल जी का है, लेकिन शब्दों में जरूर कुछ गड़बड़ी है और उससे जो तात्पर्य माननीय रामेश्वरलाल जी का है वह सिद्ध नहीं होता। इसलिए मैं माननीय रामेश्वरलाल जी से यह कहूंगा कि वह अपने इस संशोधन में ऐसी तरमीम कर लें, जिससे उनका लक्ष्य पूरा हो सके और अनभियाचित शरीर अगर लोकप्रिय नेता का हो तो उसके अनुयायी उसको पा सकें।

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। जब घर वाले लोगों को अधिकार है, रिश्तेदारों को अधिकार है कि वह क्लेम करें तो शरीर उनको मिल सकता है। लेकिन अगर कहीं कल को माननीय रामेश्वरलाल जी गत हो जायं या मैं गत हो जाऊं और वह शरीर हमारे बालबच्चों को न मिले और जनता को मिल जाय, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। जनता में इतना कोई हमदर्द नहीं होता। बहुत से लोग मर जाते हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता। मान्यवर, ऐसे समय में बेटा ही पूछता है और कोई पूछने वाला नहीं होता। मैं अपने मित्र से कहना चाहूंगा कि इनको सोच समझ कर ऐसी चीज रखनी चाहिए कि जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी कहे कि हमारे बाप दादे ने जो कानून में चीज रक्खी है वह सोच समझ कर तो रक्खी थी। लेकिन मैं जानता हूं कि इतनी जिम्मेदारी ओढ़ने के लिए समाज तैयार नहीं है। जो निहायत गरीबहाल हैं जिनका दूसरा कोई नहीं है, उन्हीं के लिए यह है। इसलिए मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी चीज वे न रखें। सरकार ने इस बिल में अच्छी व्यवस्था की है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे उसे वापस ले लें तो अच्छा है, क्योंकि यह बड़ी भद्दी बात मालूम होती है। और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामसुभग वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामेश्वरलाल जी ने जो संशोधन रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। अभी-अभी माननीय शिवनारायण जी ने बतलाया कि अगर मैं मर जाऊं तो हमारी लाश का कौन प्राधिकारी होगा? लेकिन, श्रीमन्, श्री रामेश्वरलाल जी के संशोधन का अभिप्राय यह है कि यदि कोई प्रिय नेता है और जिसकी लाश पर किसी का क्लेम न हो कि हमको लाश मिलनी चाहिए तो सार्वजनिक नेता होने के नाते अगर जनता चाहती है कि वह लाश हम को मिल जाय तो उसको वह दी जाय। इनके संशोधन का यही मंशा है। मुझे आशा है कि इस मंशा को मानते हुए माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री बनारसीदास—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री रामेश्वरलाल जी ने पेश किया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। धारा २ की उपधारा (२) में मित्र अथवा परिचारक शब्द के बढ़ जाने के बाद जो मंशा आपका है वह अपने आप ही पूरा हो जाता है। यदि कोई लोकप्रिय नेता है तो उसके भी मित्र हो सकते हैं, फिर जनता मांग करे कि उसकी लाश उसे मिलनी चाहिए तो आखिर वह किस हैसियत से लाश मांगेगी क्योंकि लोकप्रिय नेता के तो बहुत से मित्र हो सकते हैं। उसके लड़के भी हो सकते हैं। महात्मा गांधी जी जब मरे तो उनका दाह संस्कार उनके लड़के ने ही किया हालांकि वे राष्ट्रपिता कहे जाते थे। पंडित मोतीलाल जी का दाह संस्कार उनके लड़के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही किया। फिर लोकप्रिय नेता के माने जनता भी समझती है तो फिर लाश के लिए झगड़ा कैसे होगा। यदि उसका कोई सम्बन्धी नहीं है, तो लाश का कुछ न कुछ तो प्रबन्ध किया ही जायगा। इसलिए इस मंशा को देखते हुए इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि श्री रामेश्वरलाल जी को इसकी आशंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यदि कोई ऐसा नेता हुआ तो उसके शव को लावारिस समझा जायगा जब तक कि वे स्वयं न चाहते हों कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शव से भी शिक्षण संस्थाओं द्वारा लोगों को लाभ हो।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, एक परिपाटी सी है कि विरोधी पार्टियों द्वारा रखे हुए संशोधन सीधे नहीं बल्कि घुमा फिरा कर स्वीकार किये जाते हैं। आप देखेंगे, श्रीमन्, कि जो संशोधन स्वीकार हुए हैं और इस संशोधन का जो मंशा है उसे एक नये ढंग से स्वीकार किया गया है। हमने रखा है धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक नेता। धार्मिक मामले में "गुरु चेले" का परिवर्द्धन हुआ है और वह स्वीकार किया गया है। यह मान लिया गया है मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी क्या समझते हैं लेकिन मैं भाष्य करता हूं कि एक मठाधीश बिना शादी ब्याह वाला, बिना जाति-पांति वाला है या उसका शिष्य है उसको तो अपने नियम के अनुसार अधिकार प्राप्त है कि तीन पुश्त तक चेला अपने गुरु का या गुरु अपने चेले का शव प्राप्त कर सकता है यानी दोनों को अधिकार प्राप्त होगा एक दूसरे को शव प्राप्त करने का। लेकिन जहां तक राजनैतिक मामला है उसमें अड़चन हो रही है। माननीय मंत्री जी के पास इस तरह का कोई संशोधन आया नहीं है जिस तरह का धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक गुरुओं और मठाधीशों के लिये संशोधन हुआ है। आज जो राजनैतिक पार्टियां हैं उनके भी राजनैतिक गुरु या राजनैतिक मठाधीश हैं और बहुत से मामले में मिलते-जुलते आचरण भी हैं कुछ चीजों को छोड़कर। तो फिर मैं पूछ सकता हूं कि यह कहां तक न्यायसंगत है कि चेला और चेली, गुरु और चेला के मामले में तो आप वही चीज कर रहे हैं लेकिन जहां तक सामाजिक और राजनैतिक मामला है उसमें आप आनाकानी कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि यह सरकार जो श्री सम्पूर्णानन्द की सरकार है या दूसरे शब्दों में कांग्रेस की सरकार है उसे मैं अप्रिय कहने को तैयार नहीं हूं, अप्रजातांत्रिक कहने को तैयार नहीं हूं और न फासिस्ट सरकार ही कहने को तैयार हूं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि कल आने वाली हुकूमत चाहे वह कांग्रेस बहुमत की ही क्यों न हो, हो सकता है कि वह हिटलर की तरह अप्रजातांत्रिक और तानाशाही हुकूमत हो और यह भी हो

[श्री रामेश्वरलाल]

सकता है कि आज डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके पर महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल कर सत्याग्रह करने के....

श्री बनारसीदास---प्वाइंट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह विषयांतर हो रहा है, इस समय क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन हो रहा है। यहां जो गांधी जी के सिद्धान्त और डेमोक्रेसी की बात हो रही है उसका संशोधन से सम्बन्ध नहीं है और वह असंगत हो रहा है। विरोध तो यह होना चाहिये कि संशोधन के विरोध में जो राय व्यक्त की गई है उसका वह उत्तर दें और उनको असंगत न होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--- मैं समझता हूं माननीय सदस्य असंगत न बोलें।

श्री रामेश्वरलाल---मैं वही कह रहा हूं, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो विरोध में जाय। मैं तो एक बातें व्यक्त करना चाहता था और इजाजत हो तो मैं कहूं। मैं यह कह रहा था कि आज की जो सरकार है या जो कल आने वाली सरकार है चाहे वह किसी की सरकार हो कम्यूनिस्टों की हो, सोशलिस्टों की हो, चाहे एक व्यक्ति की हो या कांग्रेस की ही ऐसी हुकूमत आये जो डेमोक्रेटिक तरीके पर विश्वास न करे, उस समय भी यह बात रहे और ऐसा न हो कि किस तरह से अंग्रेजों के जमाने में भगत सिंह जैसे देश-भक्तों को फांसी पर चढ़ा दिया गया और जनता को शव नहीं दिया गया और अनेक क्रान्तिकारियों की लाशों का पता न लगा और अपहरण किया गया वह बात न हो। मैं समझता हूं कि ऐसे समय किसी का साहस नहीं होता कि लाश पा सके। तो इस बिल में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इस तरह की चीजों की रोक-थाम हो सके। यदि इस संशोधन को मान लिया जाय तो मेडिकल अथारिटी या जेल अथारिटी के लिये लाजमी होगा कि मरे हुये आदमी के बारे में समय से उचित प्राधिकारी को सूचना दें और खंड ४ और ५ के अनुसार वह अधिकारी उसका नियंत्रण और अन्त में वितरण करे। इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे संशोधन को माना जाय और अगर एक आध शब्द के हेरफेर की आवश्यकता हो तो मैं मंत्री जी को इसकी इजाजत दे सकता हूं परन्तु उन्होंने तो उसको अस्वीकार कर दिया परन्तु मैं अपने संशोधन पर दृढ़ हूं और मैं मंत्री जी से फिर अनुरोध करूंगा कि वह इसे स्वीकार कर लें।

श्री बनारसीदास---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना है कोई भी कानून किसी राजनैतिक दल विशेष के लिये नहीं होता, यह कानून तो सभी के लिये लागू होगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है यदि वह इसका श्रेय स्वयं लेना चाहें तो लें। किन्हीं शब्दों में जो संशोधन हमने माने हैं उनका श्रेय भी उन्हीं को और उनके दल को दिया जा सकता है और वह चाहें तो सब श्रेय स्वयं ले लें, मुझे कोई आपत्ति इसमें नहीं है लेकिन इतना तो मानना चाहिये कि 'गुरु' के माने क्या? कोई धार्मिक गुरु होता है, कोई सामाजिक गुरु हो सकता है, कोई राजनैतिक गुरु हो सकता है तो वह सब तो जो संशोधन स्वीकार हुआ है आ जाते हैं लेकिन वह उसमें भी विशेषण लगाना चाहते हैं। जैसा कि उन्होंने भगत सिंह की लाश के बारे में कहा तो मैं कहूंगा कि इतने दिन हो गये अभी तक तो कोई नेता की लाश गायब नहीं हुई है और मैं नहीं समझता कि कोई जनतांत्रिक सरकार ऐसा साहस कर सकती है या ऐसी बात होने दे सकती है। जरा सहनशीलता के साथ विचार करना चाहिये और मैं समझता हूं इस तरह की कोई सम्भावना नहीं हो सकती और यह जो संशोधन आपने पेश किया मैं समझता हूं यह अनावश्यक है। यह कहना कि विरोधी दल के संशोधन नहीं स्वीकार किये जाते तो जो आपके संशोधन आगे आयेंगे उनको मैं स्वीकार करूंगा और जो श्री पालीवाल जी के संशोधन भी उचित लगेंगे मैं उनको भी स्वीकार करूंगा। इसलिये यह कहना गलत है कि आपके संशोधन नहीं मानते। आप जिद की वजह से अगर संशोधन वापस लेना नहीं चाहते तो मुझे शिकायत नहीं है। लेकिन यह

जो संशोधन जिस रूप में आपने पेश किया है वह बिल्कुल अनावश्यक है और जो आपका मकसद है वह इस विधेयक में दूसरी जगह पूरी तरह पूरा हो जाता है। निरर्थक इस संशोधन को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (३) के भाग (ख) के बाद नया भाग (ग) निम्न प्रकार रख दिया जाय:---

"(ग) ऐसी दशा में जब मृत व्यक्ति जेल अथवा अस्पताल में मरे और लोकप्रिय धार्मिक, समाजिक, राजनैतिक नेता हो, प्राधिकृत अधिकारी संबंधियों से परे जनता की मांग पर उसके मृत-शरीर को उन्हें सौंप सकता है और इस ऐक्ट का कोई प्रभाव उस पर नहीं होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

सम्बन्धी होने के विषय में शंका या विवाद।

६---जब इस विषय में कोई शंका या विवाद उत्पन्न हो कि कोई व्यक्ति मृतक का सम्बन्धी है या नहीं तो यह मामला किसी ऐसे पदाधिकारी को अभिदिष्ट कर दिया जायगा जिसे राज्य सरकार एतदर्थ नियुक्त करे तथा इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा, तथा ऐसा निर्णय होने तक, मृत व्यक्ति का शरीर सड़ने से उस रीति से रक्षित रखा जायगा जो नियत की जाय।

श्री रामेश्वरलाल---श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ की पंक्ति २ के शब्द "किसी ऐसे पदाधिकारी" के स्थान पर शब्द "मृतक के निवास-स्थान से संबंधित जिलाधीश" रख दिये जायं और पंक्ति ३ के शब्द "जिसे राज्य सरकार एतदर्थ नियुक्त करे" निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, खंड ६ आप देखेंगे जो इस प्रकार है ---

"जब इस विषय में कोई शंका या विवाद उत्पन्न हो कि कोई व्यक्ति मृतक का संबंधी है या नहीं तो यह मामला किसी ऐसे पदाधिकारी को अभिदिष्ट कर दिया जाय जिसे राज्य सरकार एतदर्थ नियुक्त करे तथा इस संबंध में उसका निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा, तथा ऐसा निर्णय होने तक, मृत व्यक्ति का शरीर सड़ने से उस रीति से रक्षित रखा जायगा जो नियत की जाय।"

श्रीमन्, मैं यह देखता हूं कि यह जो फैसला अधिकारी करेगा वह अंतिम फैसला होगा और इस बात का फैसला और इस विवाद का फैसला कि मृतक का संबंधी कोई व्यक्ति है या नहीं इसके लिये सरकार एक पदाधिकारी जिसे वह उचित समझेगी अभिदिष्ट करेगी। मैं चाहता हूं कि मृतक व्यक्ति जहां का रहने वाला हो उस जिले के जिलाधीश को ही यह कार्य अभिदिष्ट किया जाय। इससे खर्चे की भी बचत होगी और साथ ही साथ सुविधा भी होगी, क्योंकि जो प्राधिकारी नियुक्त होने वाला है उसका फैसला अंतिम फैसला होगा। उस फैसले के बाद फिर उसकी वकालत करने की गुंजायश नहीं है और होना भी यही चाहिये कि इसका निर्णय शीघ्रता में हो और न्यायसंगत तरीकों से निश्चयात्मक हो। मैं समझता हूं कि इस पर माननीय मंत्री जी गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और इसे स्वीकार करेंगे।

(इस समय ४ बजकर २३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री रामसुभग वर्मा---अध्यक्ष महोदय, माननीय रामेश्वरलाल जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इसमें यह है "जब इस विषय में कोई शंका या विवाद उत्पन्न हो कि कोई व्यक्ति मृतक का सम्बन्धी है या नहीं तो यह मामला किसी ऐसे पदाधिकारी को अभिदिष्ट कर दिया जायगा जिसे राज्य सरकार एतदर्थ नियुक्त करे।" श्रीमन्, जब ऐसा मामला उपस्थित होगा तो सरकार कोई अधिकारी नियुक्त करेगी कि वह इस बात का निर्णय करे कि यह सही है या नहीं। माननीय रामेश्वरलाल जी का कहना यह है कि जिस जिले से सम्बन्धित मृतक व्यक्ति है उस जिले के जिलाधीश को यह अधिकार दे दिया जाय कि वह इस बात का फैसला करे क्योंकि जिलाधीश उस जिले के रहने वाले व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी रखता है कि वह आदमी कहां का है। उसके सम्बन्धी हैं या नहीं। सारी चीजों की जानकारी करके फैसला कर दे। वह मान्य होगा। लेकिन अगर कोई अधिकारी नियुक्त किया जाय तो वह अधिकारी दूसरी जगह का रहने वाला हो सकता है, जिसको उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी न हो, इसलिए यह आवश्यक है कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय। इससे यह जानकारी करने के लिए कि उस व्यक्ति का कोई सम्बन्धी है या नहीं, यह सारा विवाद समाप्त हो जायगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू---मैं संशोधन का विरोध करता हूं। मुझे दुख है कि मुझे बार-बार श्री रामेश्वरलाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधनों का विरोध करना पड़ता है। किन्तु मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो संशोधन उन्होंने रखा है यह इतना अनुचित है कि अगर रख दिया जायगा तो इससे काफी उलझनें पैदा होंगी। इस खंड का आशय यह है कि अगर इस प्रकार की कोई शंका उपस्थित हो कि मृतक का कोई सम्बन्धी है या नहीं तो सरकार द्वारा जो अधिकारी नियत किया जाय वह इसको देखेगा, निर्णय करेगा कि इसके सम्बन्ध में क्या करना चाहिये। अगर यह पता लग गया कि वह मृतक किसी खास जिले का है तो उस जिले के जिलाधीश से पूछेगा। लेकिन अगर आप संशोधन में जिलाधीश को ही अधिकार देंगे तो पहले तो आप यह मान लेंगे कि मृतक के बारे में इतना निश्चित हो गया कि अमुक जिले का है। लेकिन ऐसे भी मृतक होंगे जिनका पता ही नहीं चलेगा कि किस जिले के हैं। अगर यह संशोधन रख दिया गया तो ऐसी सूरत में यह परिभाषा ही बेकार हो जायगी, क्योंकि बहुत से ऐसे अनक्लेम्ड मृतक होंगे जिनका कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए यह कि उसी जिले के जिलाधीश को रखेंगे तो सारा मामला वहीं खत्म हो जायगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह संशोधन अनुचित है और मेरे मित्र इसको वापस ले लें।

श्री जगजीवनदास---अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि रामेश्वरलाल जी ने फिर ऐसा ही संशोधन पेश किया है, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। धारा ११ की उपधारा (६) में लिखा है---"धारा ६ के अधीन कार्यवाही करने की प्रक्रिया"। इसमें नियम बनाये जायंगे। पहली बात तो यह है कि हर काम के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगा। उसके सिपुर्द इतने काम होते हैं कि हर काम को जिला मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। आखिर वहां एस० डी० एम० और दूसरे अधिकारी रहते हैं। वह भी कार्य कर सकते हैं। यह तो गवर्नमेंट धारा ६ के अनुसार निश्चय करेगी कि कौन आदमी इस कार्य को करेगा। और जैसा कि माननीय काटजू जी ने कहा देवरिया का आदमी देहरादून में मरा तो देवरिया का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्राधिकारी नियुक्त किया जायगा। लेकिन पहले तो यही तय करना होगा कि उसका प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी कौन है। इसका अमल में लाना बिल्कुल ही असम्भव है। इसलिये इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री रामेश्वरलाल---मान्यवर, मैंने माननीय काटजू जी के भाषण को सुना। श्रीमन्, मुझे विश्वास है कि काटजू जी एक योग्य व्यक्ति हैं। कानूनदां भी हैं। किन्तु जब वह किसी पहलू पर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो अपने विचार की पुष्टि के लिए कभी-कभी कुछ बातें जो वहां रहती हैं उनको दबा ले जाते हैं। आपने शंका की बात तो कही कि शंका होने पर प्रेस्क्राइब्ड

आथारिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो ऐसा रामेश्वरलाल जी ने संशोधन रखा है। लेकिन वहां शंका और विवाद दोनों शब्द हैं। ६ में है कि जब इस विषय में कोई शंका या विवाद उत्पन्न हो। दोनों शब्द हैं । शंका तो किसी को कैसे भी हो सकती है ? लेकिन विवाद का तात्पर्य न हमको सदन को समझाना है न काटजू जी को समझाना है कि विवाद कब होगा। जब कोई क्लेम करेगा। जब तक कोई अनक्लेम्ड लाश को क्लेम नहीं करता तब तक विवाद नहीं हो सकता। क्लेम करने वाला आदमी वह है जो उसका उत्तराधिकारी है या जो व्याख्या की गई है इस अधिनियम में जिसकी परिभाषा कुटुम्बियों में है। यदि आप लखनऊ में किसी को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नियुक्त कर दें तो मैं जानता हूं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, देवरिया की अनुमति के बिना लखनऊ की प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती। तो मैं चाहता हूं कि यह सारा भार सीधे बिल्कुल देवरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर ही छोड़ दिया जाय। जहां आजकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के ऊपर इतने भार हैं वहां एक यह भी सही कि वह यह तय करें। इसमें कोई झगड़ा नहीं होगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर काटजू जी तथा मंत्री जी पुनः विचार करके इसको स्वीकार करेंगे।

श्री बनारसीदास—अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा धारा ११ के अनुसार नियम बनाये जायेंगे उस वक्त जैसा माननीय रामेश्वरलाल जी ने कहा किसी जिले के जिलाधिकारी को नियुक्त करना आवश्यक होगा तो नियमों में रखा जायगा और नियम सदन के सामने आयेंगे। लेकिन अभी से यह कह दें कि हर एक सम्बन्धित जिले का जिलाधिकारी ही इस काम को करेगा यह मेरी समझ में उचित नहीं है। इसलिये मैं इस संशोधन को इस समय स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ की पंक्ति २ के शब्द "किसी ऐसे पदाधिकारी" के स्थान पर शब्द "मृतक के निवास-स्थान से सम्बन्धित जिलाधीश" रख दिये जायं और पंक्ति ३ के शब्द "जिसे राज्य सरकार एतदर्थ नियुक्त करे" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बसन्तलाल शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड की पंक्ति ५ में शब्द "मृत व्यक्ति का शरीर" के स्थान पर शब्द "शव" रख दिया जाय और आगे का शाब्दिक है वह नहीं रखूंगा।

श्री बनारसीदास—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ की पंक्ति ५ में शब्द "मृत व्यक्ति का शरीर" के स्थान पर शब्द "शव" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

७—यदि कोई व्यक्ति किसी अनभियाचित शरीर को इस अधिनियम में की गई व्यवस्था के सिवाय अन्य किसी रीति से निस्तारित करता है या उसके निस्तारण में सहायक होता है (abets) अथवा किसी चिकित्सा संस्था के अवधायक प्राधिकारी (authority in-charge) अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी को इस अधिनियम में निर्दिष्ट प्रयोजनों के निमित्त ऐसा मृत-शरीर सौंपने, दंड

उसका कब्जा लेने या उसे हटाने या उसका उपयोग करने में बाधा डालता है तो वह दोष सिद्ध होने पर अर्थ-दंड का भागी होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ की पंक्ति ७ में शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "पचास" रख दिया जाय।

इस संशोधन का उद्देश्य केवल इतना है कि प्रारम्भ में ही दंड इतना अधिक नहीं होना चाहिये। इस विधेयक में कितने संबंधी ऐसे हो सकते हैं कि जो विशेष भावनाओं से प्रेरित होकर के यह अंजान में कोई बाधा डालें और यदि उन पर अधिक से अधिक दंड लागू किया जाय तो यह बड़ा अन्याय होगा। उदाहरण के लिये खंड ५ के (ग) में कहा गया है कि "अपने शरीर को शरीर रचना संबंधी परीक्षण तथा चीरफाड़ के निमित्त निर्वाचित रूप से समर्पित करने के पश्चात् मरे"। ऐसी दशा हो सकती है, कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन साथ में यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के ऐसा लिखकर देने पर भी उसकी पत्नी यदि जीवित है, उसकी माता यदि जीवित है तो वह अपनी भावनाओं के अनुसार, उनसे प्रेरित होकर थोड़ी सी बाधा डालना चाहेगी। तो उसको न मानकर ५०० रुपये का दंड रखना अनुचित होगा और वह बहुत अधिक है। ५० रुपये से काम चल सकता है अगर आवश्यक ही पाया जाय। ५०० रुपये का दंड तो अन्याय है। इसी तरह से हम यह जानते ही हैं कि हमारे देश में अभी तक कोटि-कोटि जनता में कितने अन्ध विश्वास और मूढ़ विश्वास भरे हुये हैं। ऐसा हो सकता है कि जो लावारिस हों, जिनको ले जाने वाला कोई भी न हो, लेकिन उनके कोई अनुयायी, जैसे कि पीर और दड़े बाज होते हैं गली गली में ऐसे लोग बनकर बैठे रहते हैं जिनके १०—२० आदमी अन्ध भक्त हो सकते हैं। उनमें से कोई भावना से प्रेरित होकर बाधा डाले और उन पर ५०० रुपया जुरमाना अगर किया जाता है तो उससे उपद्रव बढ़ेंगे और असंतोष बढ़ेगा। इसलिये दंड पहले कम रखा जाय तो अच्छा है।

श्री अनारसीदास—अध्यक्ष महोदय, ५०० रुपया जो दंड इसमें रखा गया है वह ठीक ही है। अनुभव से देखा गया है कि ऐसा नहीं होता कि प्रायः मैजिस्ट्रेट पूरे ही जुरमाने करते हों। सारी परिस्थितियों के विषय में अध्ययन करना पड़ता है निर्णय के पूर्व। इसलिये प्रायः देखा गया है कि कम ही जुर्माना होता है। इसी तरह से मंदिर मस्जिद के नाम पर कहीं किसी और साम्प्रदायिक भावना से लोग समाज में अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं ऐसे भी कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जो साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करने के लिये इसी प्रकार की गड़बड़ी डाल सकते हैं। इसलिये यह व्यवस्था की गयी है। लेकिन जैसा कि हमको आज भी अनुभव है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट है, और बहुत से हैं, तो उसमें काफी संयम और विवेक से काम लिया जाता है तब जुर्माना किया जाता है। तो ५०० तो मैं नहीं समझता हूं कि आम तौर से किया जायगा। बहुत साधारण केसेज हो सकते हैं। तो अमल के बाद में अगर यह देखा जाय कि इसका दुरुपयोग किया गया है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि पालीवाल जी सहमत होंगे और इसको इसी प्रकार स्वीकार करेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय यह बात तो सही है बिलकुल कि ५०० रुपया दंड की बात ऐसी नहीं है, वह मैजिस्ट्रेट के अपने विवेक पर होगा कि वह ५०० दंड दे या कम दे। मेरा निवेदन केवल इतना था कि उसको इतने दंड देने का अधिकार ही क्यों दिया जाय। अगर माननीय मंत्री जी यह समझते हैं कि प्रारम्भ में ऐसे ही चलने दें, फिर संशोधन लाकर कम किया जा सकेगा तो संशोधन लाने से तो यह बेहतर है कि इसी समय इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या आप इसको वापस लेना चाहते हैं, या नहीं ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—वापस भी लेने को तैयार हूं, कोई खास बात नहीं है।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

८—इस अधिनियम के अधीन अधिकृत किसी प्राधिकारी अथवा पदाधिकारी को उसके कर्त्तव्य-पालन में ऐसी सहायता और सहयोग दिया जायगा जैसा कि वह पुलिस, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों और स्थानीय निकायों (local bodies) के समस्त पदाधिकारियों और सेवकों से उचित रूप में अपेक्षा करेगा।

अनभियाचित मृत शरीरों पर कब्जा पाने में सहायता देने के संबंध में पुलिस तथा अन्य पदाधिकारियों के कर्त्तव्य।

श्री बसन्तलाल शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ८ की पंक्ति ४ में शब्द "निकायों (local bodies)" तथा शब्द "के" के बीच में शब्द "ग्राम सभाओं" रख दिया जाय।

इससे मेरा तात्पर्य यह है कि जो शहर के अन्दर नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, उसके बाहर मरने के बाद उनकी हद्द खत्म हो जाती है और वहां कोई ऐसी लावारिश लाश पाई जाती है तो ग्राम सभाओं के प्रधानों से जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है कि उसका क्लेम करने वाला कोई है या नहीं, सही है या गलत है, तो इस प्रकार की सहायता का अभिप्राय है ग्राम सभाओं के सम्मिलित करने से। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री बनारसीदास—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि वह इस रूप में इसको स्वीकार कर लें तो ज्यादा उचित होगा कि "निकायों तथा लोकल बाडीज" के बाद बढ़ा दिया जाय कि "जिसमें ग्राम सभायें भी सम्मिलित हों।" इस रूप में वह इसको स्वीकार कर लें।

श्री बसन्तलाल शर्मा—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ की पंक्ति ४ में शब्द "निकायों (local bodies)" के पश्चात् शब्द "जिनमें ग्राम सभायें भी सम्मिलित हैं" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

९—इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से की गई अथवा की जाने के लिये अभिप्रेत किसी बात के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यावाही न की जा सकेगी।

इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की रक्षा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ निकाल दिया जाय। इसका कारण स्पष्ट है कि इस तरह का पूरा संरक्षण किसी भी अधिकारी को देना उचित नहीं है और जो व्यवस्था की गई है उसको देखते हुये यह कुछ माने नहीं रखता है। उदाहरण के लिये मैं कहता हूं कि खंड ५ में जो प्रतिबन्ध है उसमें कहा गया है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में प्राधिकृत पदाधिकारी, जब कि यह मालूम हो कि मृतक का कोई संबंधी जीवित है और वह नियत अवधि के भीतर ऐसे कारणों से शरीर की अभियाचना नहीं कर सका है जो उसके वश में न थे, मृत शरीर को मृतक के धर्म से संबद्ध ऐसी धार्मिक अथवा सार्वजनिक संस्था को सौंप देगा जो नियत की जाय।"

अब अगर प्राधिकृत पदाधिकारी को मालूम हो और उसने ऐसा कर दिया तो फिर ऐसी बात हो जायगी कि वह अदालत में सबूत दे कि उस अधिकारी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इसके सिवाय शिकायत करने वाले के पास और कोई रास्ता नहीं रह गया है। अदालत में साबित करना, ओथ अगेन्स्ट ओथ हो जायगी और अधिकारी के सामने एक साधारण आदमी की बात को कौन मानेगा? यह हो सकता है।

इसी तरह से इसके क्लाज (३२) में है कि "किसी ऐसे व्यक्ति का अभियाचित शरीर, जिसने अपनी मृत्यु से पूर्व यह घोषित कर दिया हो कि उसका शरीर शरीर रचना संबंधी परीक्षण अथवा चीर-फाड़, अथवा दोनों के काम में न लाया जाय, प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा मृतक के धर्म से संबद्ध ऐसी धार्मिक अथवा सार्वजनिक संस्था को सौंप देगा जो नियत की जाय।"

इसमें यह स्पष्ट नहीं है सिर्फ शब्द है कि घोषित कर दिया हो। इसके क्या माने हैं? मुंह जबानी कह दिया हो, लिखकर दिया हो, समाचार-पत्रों में छपाया हो या गजट में छपाया हो, कोई बात साफ नहीं है। इसलिये इसका लाभ अधिकारी उठा लेंगे और उनको पूरा संरक्षण मिल जाता है और शिकायत करने वाले के पास कोई चारा नहीं रहता है।

इन बातों के अलावा जहां तक सद्भावना का संबंध है यह कानून में एक मिटिगेटिंग या एक्सिटयूनिटिंग सरकमस्टैन्सेज जैसा कि हमारे कानून के पंडित या अन्य मित्र कहते हैं, वह हो सकता है कि उसके विचार करते समय कोई मामला चले तो जो न्यायाधीश उस पर विचार करे वह यह देख ले कि सद्भावना से गलती हुई है या जानबूझ कर हुई है। लेकिन उनको संरक्षण देने से सद्भावना से न रहने पर भी इसमें गड़बड़ी हो सकती है और यह संरक्षण इतना निरंकुश हो जाता है कि फिर उसके खिलाफ कोई कार्यवाही हो नहीं सकती और वह इसका दुरुपयोग अनजाने में भी कर सकता है और जानबूझ कर भी कर सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह खंड निकाल दिया जाय।

श्री बनारसीदास—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई नियम बनता है और कोई भी सत्ता किसी अधिकारी के अन्दर निहित हुआ करती है तो इस प्रिजम्प्शन पर चलना पड़ता है कि वह सद्भावना से उसका इस्तेमाल करेगा। जब हम यह मान लेते हैं तो वह अपना कर्तव्य-पालन निर्भीकता और तत्परता के साथ कर सके उसके लिये सरकार की तरफ से संरक्षण देना भी आवश्यक हो जाता है। वर्ना कोई अधिकारी अपने कर्तव्य पालन नहीं कर सकता है और यही व्यवस्था जो इस विधेयक के खंड ९ के अन्दर की गयी है वह कोई नयी नहीं है। जितने भी अधिनियम इस वक्त प्रचलित हैं उन सब में सरकारी अधिकारियों को इस प्रकार का संरक्षण दिया गया है। तो कोई कारण नहीं मालूम पड़ता कि इसको क्यों निकाल दिया जाय। इसलिये मुझे खेद है कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०

१०—इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अथवा प्राधिकृत समस्त पदाधिकारी इंडियन पैनल कोड, १८६० की धारा २१ के अर्थ में "पब्लिक सर्वेंट" समझे जायेंगे। पदाधिकारी 'पब्लिक सर्वेंट' समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

११—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के निमित्त नियम बना सकती है। नियम बनाने का अधिकार।

(२) विशेष रूप से, तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये, इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) वह अवधि, जिसके भीतर कोई संबंधी मृत व्यक्ति का शरीर अभियाचित कर सकेगा;

(ख) वह अवधि, जिसके पश्चात् मृत व्यक्ति का शरीर अनभियाचित समझा जायगा;

(ग) धारा ५ के अधीन अनभियाचित शरीर के निस्तारण की प्रक्रिया;

(घ) वे शर्तें, जिनके अधीन धारा ५ (२) (३) के प्रयोजनों के निमित्त संस्थाओं को अभिज्ञात किया जायगा;

(ङ) वह रीति, जिससे अनभियाचित शरीर सड़ने से रक्षित रखा जायगा;

(च) धारा ६ के अधीन कार्यवाहियां करने की प्रक्रियां; और

(छ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

श्री जयराम वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड (२) के भाग (घ) में शब्द और अंक "धारा ५(२)" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा ५ की उपधारा (१) और (२)" रख दिये जायं।

श्रीमान् जी, धारा ५ की उपधारा (१) और (२), दोनों के अन्तर्गत उन सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं को नियत करना है जिन्हें शव सौंपा जायगा। इसके लिये मैं माननीय सदन का ध्यान उपधारा (१) और (२) की अंतिम दो पंक्तियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसलिये यह संशोधन रखा गया है। मैं समझता हूं कि यह स्वीकृत हो जायगा।

श्री बनारसीदास—अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (२) के भाग (घ) में शब्द और अंक "धारा ५(२)" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा ५ की उपधारा (१) और (२)" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड (२) के भाग (घ) के पश्चात् एक नया भाग (घघ) निम्न रूप में बढ़ा दिया जाय---

"(घघ)---वह रीति जिससे अनभियाचित शव का किसी चिकित्सा संस्था के अवधायक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित न होने पर निस्तारण किया जाय।"

मैं इसके लिये माननीय सदन का ध्यान धारा ५ की उपधारा (३) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां इस बात का उल्लेख है कि "किसी चिकित्सा संस्था के अवधायक प्राधिकारी को शरीर रचना संबंधी परीक्षण या चीरफाड़ या इन दोनों कार्यों के निमित्त अनभियाचित शरीर की अपेक्षा न हो तो, उस शरीर का निस्तारण ऐसी रीति से कर देगा जो नियत की जाय।" और नियम में इस रीति की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसका होना आवश्यक है इसीलिये यह संशोधन मैंने पेश किया है।

श्री बनारसीदास---अध्यक्ष महोदय, इसकी धारा ११ के अन्दर यह लिखा है कि "विशेष रूप से" यानी थोड़ा सा संकेत कर दिया गया है लेकिन धारा ५ की उपधारा के अन्दर तो लिखा है कि "ऐसी दशा में जब किसी चिकित्सा संस्था के अवधायक प्राधिकारी को शरीर रचना संबंधी परीक्षण या चीरफाड़ या इन दोनों कार्यों के निमित्त अनभियाचित शरीर की अपेक्षा न हो तो, उस शरीर का निस्तारण ऐसी रीति से कर देगा जो नियत की जाय।" तो इस तरह से तो इस बात की व्यवस्था है कि उसका निस्तारण नियत विधि के अनुसार किया जायगा। तो यहां विशेष रूप से (घघ) के जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, बात तो ऐसी नहीं है। जहां पर यह उल्लेख है कि रीति का नियत होना आवश्यक है वहां-वहां पर नियम में उसकी व्यवस्था की गई है। चूंकि यहां पर यह उल्लेख है कि वह रीति नियत की जायगी जिसके द्वारा वह शरीर शव का निस्तारण होगा इसलिये आवश्यक हो गया है कि नियमावली में उसकी व्यवस्था होनी चाहिये। यह जनरल बातों में चीज नहीं होती। यह प्रतिबन्ध दिया हुआ है निश्चित रूप से इसलिये नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था होना मैं जरूरी समझता हूं। जो मैंने संशोधन उपस्थित किया है उसमें इसी प्रकार की चीज है।

श्री बनारसीदास---अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी निवेदन किया था कि जहां-जहां शब्द नियत लिखा है उसके लिये थोड़ा सा "विशेष रूप से" दिया गया है। इसमें शब्द हैं, "इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के निमित्त नियम बना सकती है" और "विशेष रूप से, तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये"। तो "विशेष रूप से" लिखा है। धारा ५ की उपधारा (ख) में इसका निर्देश कर दिया गया है और पर्टीक्यूलरली कर दिया गया है तो यह रिडंडेंट हो जायगा और इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

श्री अध्यक्ष---(श्री जयराम वर्मा से) क्या आप वापस ले रहे हैं?

श्री जयराम वर्मा---जी नहीं, वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (२) के भाग (घ) के पश्चात् एक नया भाग (घघ) निम्न रूप में बढ़ा दिया जाय---

"(घघ) वह रीति जिससे अनभियाचित शव का किसी चिकित्सा संस्था के अवधायक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित न होने पर निस्तारण किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के अन्त में उपखंड (३) निम्न रूप से जोड़ दिया जाय:—

"(३) (अ) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और यदि कोई दूसरा दिनांक नियत न किया गया तो जिस दिन प्रकाशित होंगे उसी दिन से लागू हो जायेंगे ।

(ब) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम यथाशीघ्र चौदह दिन के लिये विधान-मंडल के समक्ष रखे जायेंगे और उन परिष्कारों के अधीन होंगे जो विधान मंडल उनमें करे ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह सिद्धान्त ऐसा है कि जिसमें किसी को विरोध नहीं होगा और सब लोग इसे स्वीकार करेंगे । इसलिये मैं इस पर अधिक समय न लेकर आशा करता हूं कि माननीय सदन और मन्त्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री बनारसीदास—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ के अन्त में उपखंड (३) निम्न रूप से जोड़ दिया जाय—

"(३) (अ) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और यदि कोई दूसरा दिनांक नियत न किया गया तो जिस दिन प्रकाशित होंगे उसी दिन से लागू हो जायेंगे ।

(ब) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम यथाशीघ्र चौदह दिन के लिये विधान-मंडल के समक्ष रखे जायेंगे और उन परिष्कारों के अधीन होंगे जो विधान-मंडल उनमें करें ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारंभ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शरीर-रचना अधिनियम, १९५६ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त हो जायगी तथा इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस दिनांक को तथा उस क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके तदर्थ निर्दिष्ट करे ।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (१) के शब्द "शरीर-रचना" के पश्चात् शब्द "परीक्षण" रख दिया जाय ।

मैं आशा करता हूं कि यह माननीय मंत्री जी को स्वीकार होगा ।

श्री बनारसीदास—अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "शरीर रचना" के पश्चात् शब्द 'परीक्षण' रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक

उत्तर प्रदेश शरीर रचना विधेयक, १९५६

शरीर-रचना शास्त्र संबंधी परीक्षण तथा चीरफाड़ (dissection) के निमित्त चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के लिये अनभियाचित मृत शरीरों के संभरण (Supply of unclaimed bodies) की व्यवस्था करने का

विधेयक

श्री जयराम वर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार का एक संशोधन जो इसके विपरीत है, आपके पास हो चुका है । अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसको उपस्थित कर दूं ।

श्री अध्यक्ष---आप यह रख सकते हैं, कि शरीर-रचना परीक्षण के स्थान पर यह रख दिया जाय ।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शीर्षक और विधेयक में जहां कहीं भी "शरीर-रचना" शब्द के स्थान पर "शरीर-रचना परीक्षण" शब्द रखे गये हैं वहां पर "शरीर-रचना शास्त्र" रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा । जो स्वीकार हो चुका है उसके विपरीत तो आप अपना संशोधन नहीं ला सकते । मैं तो समझता था कि आप सिर्फ शीर्षक को ही बदलना चाहते हैं तो आप कर दें ।

श्री जयराम वर्मा---"परीक्षण" शब्द तो उसका एक जुज हो गया । इसलिये यह शीर्षक ठीक नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष---अगर ठीक नहीं होगा तो आप उपस्थित नहीं कर सकते । यहां तो यह हो गया कि जो यह अधिनियम बनेगा वह "उत्तर प्रदेश शरीर-रचना परीक्षण अधिनियम, १९५६" कहलायेगा । यह तो पास हो गया । तो जब यह हो गया तो इसके विपरीत कोई संशोधन नहीं लाया जा सकता ।

श्री बनारसीदास---मैं समझता हूं कि शीर्षक में परीक्षण शब्द बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि शीर्षक के शब्द "शरीर-रचना" के स्थान पर शब्द "शरीर-रचना परीक्षण" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रस्तावना

यह इष्टकर है कि शरीर-रचना-शास्त्र संबंधी परीक्षण तथा चीरफाड़ के निमित्त चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के लिये अनभियाचित मृत शरीरों के संभरण की व्यवस्था की जाय ।

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग मानी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री व्रजभूषण मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १० मिनट या जब तक विधेयक पारित न हो जाय तब तक और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १० मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बनारसीदास—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शरीर-रचना परीक्षण विधेयक, १९५६ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शरीर-रचना परीक्षण विधेयक, १९५६ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बज कर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ;
१० अक्तूबर, १९५६ ।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३८८ पर)

कोआपरेटिव सोसाइटीज (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, १९५६

ऐक्ट २, १९१२ । कुछ प्रयोजनों के निमित्त कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ को, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में, संशोधित करने का

विधेयक

ऐक्ट २, १९१२ । यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२, को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित किया जाय—

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम कोआपरेटिव सोसाइटीज (उ० प्र० संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस संबंध में निश्चित करे ।

ऐक्ट सं० २, १९१२ में धारा ११—ए से ११—ई तक का बढ़ाया जाना ।

२—कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ जिसे आगे में मूल अधिनियम कहा गया है, की वर्तमान धारा ११ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ११ ए, ११ बी, ११ सी, ११ डी, ११ ई, तथा ११ एफ के रूप में बढ़ा दिया जाय ।

Powers to Registrars Co-operative Societies to compel Societies to change bye-laws.

"11-A. (1) Where the Registrar is of the opinion, whether on the representation of the society or any of its members or otherwise, that an amendment of the bye-laws of the society is necessary or desirable in the interest of the society or in public interest, he may, by order in writing to be issued to the society by registered post, require the society to make the amendment within such time as he may specify in such order.

(2) On the failure of the society to make any such amendment within the time specified the Registrar may, after giving the society an opportunity of being heard, register such amendment and issue to the society by registered post a copy of the amendment so certified by him, which shall be conclusive evidence that the amendment has been duly made and registered. A bye-law so amended by the Registrar shall be a bye-law of the society.

(3) An appeal shall lie to the State Government from any order of the Registrar passed under sub-section (2) within two months from the date of the issue of such order. The order of the State Government on appeal and subject to the result of an appeal, if any, the decision of the Registrar shall be final."

"11-B. A Society may, by amending its bye-laws, change its name and such change shall in no case effect any right or obligation of the society or any of its members or past-members or the heirs of the deceased members and any legal proceedings may be continued by or against the society under its new name."

Change of names of societies and its effects.

"11-C. (1) A Society may by amending its bye-laws and subject to the provisions of section 4 and section 11 change its liability from, 'limited' to 'unlimited' or *vice versa*.

Change of liabilities.

(2) No amendment of a bye-law relating to the change of liability of a society shall be registered by a Registrar, unless he is satisfied that—

(i) sufficient notice has been given to every member of the society and all persons whose interests are in his opinion likely to be affected by the proposed change of liability ; and

(ii) with respect to every such member or person who, in the opinion of the Registrar, is entitled to object—

(*a*) either his assent has been obtained to the change, or

(*b*) if he signified his objection—

(i) he is allowed to withdraw his share, if he is a member, or

(ii) his debt or claim has been discharged or determined and secured to the satisfaction of the Registrar within three months from the date of the motice."

"11-D. (1) Subject to the approval of the Registrar, any two or more societies may, by a resolution passed by a majority of the members present at a general meeting of each such society held for the purpose, amalgamate as a single society ; and the resolutions of the societies concerned shall, on such amalgamation and subject to compliance of the provisions below, vest the assets and transfer the liabilities of the amalgamating societies in the amalgamated society, which shall be deemed to be duly registered under the Act :

Amalgamation and transfer of assets and liabilities of societies.

Provided that before the passing of such a resolution each member of the societies concerned shall be given fifteen days clear notice of such a resolution together with the date and the place of the meeting.

(2) The amalgamating societies shall, by resolutions passed in accordance with the procedure laid down in sub-section (1) transfer all their assets and liabilities to the amalgamated society: Provided that when any such amalgamation involves the transfer of liabilities by any society, it shall be subject to three months' prior notice to creditors of such societies, whose liabilities are proposed to be transferred :

Provided further that if a creditor of any of the society concerned objects to such amalgamation by thirty days' notice in writing prior to the date of amalgamation, to the societies concerned, the amalgamation shall not be made, unless the dues of such creditor have been satisfied."

Splitting of division of societies.

"11-E. (1) Subject to the approval of the Registrar, any society may, by a resolution passed by a majority of the members present at a general meeting of the society held for the purpose, resolve to divide itself into two or more societies : Provided that before the passing of such a resolution each member of the society, and all persons whose interests are likely to be affected by the resolution, shall be given thirty days' clear notice of such a resolution specifying the area of operation of, and the names of members of each of the new societies together with the date and the place of meeting.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1)—

(*a*) any member of the society may, on receipt of a notice of a resolution for the division of the society, intimate his intention of not becoming a member of any or all of the societies ; and

(*b*) any person whose interest is likely to be affected by the resolution, may, on receipt of notice of the resolution for the division of the society, demand satisfaction of his claim.

(3) After the expiry of three months from the date of despatch of a copy of the preliminary resolution to all the members and persons likely to be affected by the resolution, another special general meeting of the society, of which at least fifteen days' clear notice shall be given to its members, shall be convened for considering the preliminary resolution, and if at such meeting the preliminary resolution is confirmed by a resolution passed by a majority of the members present, either without changes or with such changes as in the opinion of the Registrar are not material to the subject matter of the preliminary resolution, the Registrar may, subject to the provisions of sub-sections (4) and (6), register the new societies and the bye-laws thereof, after cancelling the registration of the old society, which shall be deemed to be dissolved from the date of such cancellation.

Explanation—The opinion of the Registrar as to whether the changes made in the preliminary resolution are or are not material shall be final.

(4) At a special general meeting referred to in sub-section (3) a special resolution shall also be passed for—

(i) the repayment of the share capital of all the members who have given notice under sub-section (2); and

(ii) satisfaction of the claim of the persons whose interests are likely to be affected by the resolution of division of the society and who have given notice under sub-section (2).

(5) Where, within such time as the Registrar may consider reasonable, the share capital of the members or the claims of the persons likely to be affected by the resolution for the division of the society referred to in sub-section (4) is not secured or satisfied, the Registrar shall refuse to register the new societies.

(6) Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882, or the Indian Registration Act, 1908, the registration of the new societies shall be sufficient to vest the assets and transfer the liabilities of the original society in, and to the new societies in the manner specified in the preliminary resolution as confirmed under sub-section (3)."

"11-F. (1) The final authority of a society shall vest in the general body of its members in general meeting:

Provided that, in such circumstances, as may be prescribed by the Registrar, the final authority may vest in the delegates of such members, elected in the manner prescribed by the Registrar and assembled in the meeting of the general body.

(2) The meeting of the general body of the members of a society, or of the delegates of such members, shall be summoned, and shall exercise its authority, in such manner as may be prescribed."

ऐक्ट २, १९१२ की धारा १९ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

Charge created in favour of Societies.

"19. Notwithstanding anything contained in the Provincial Insolvency Act, 1920, or in the Code of Civil Procedure, 1908, or in any other enactment relating to land tenure for the time being in force, any debt or outstanding demand due to a society by any member past or present, or standing against the estate of any deceased member, shall, subject to any claim of the State Government arising from a loan granted by it before, but not after, the grant of the loan by the society and in respect of land revenue, or any sum recoverable as arrears of land revenue be a first charge—

(*a*) if such debt or demand is due in respect of the supply of, or any loans to provide the means for, seed, manure, labour, subsistence, fodder for cattle or any other thing incidental to the conduct of agricultural operations, upon the crops or agricultural produce of such member;

(*b*) if such debt or demand is due in respect of any loan to provide the means of paying the rent or revenue of the land, or for irrigation facilities, upon the land whose rent or revenue has been so paid, or, as the case may be, the irrigation facilities provided;

(*c*) if such debt or demand is due in respect of supply of, or, any loan to provide the means for the purchase of, cattle, agricultural implements or warehouse for the storage of agricultural produce,—upon the

crops and agricultural produce of such member and also upon the cattle, agricultural implements or warehouse so supplied or purchased wholly or in part from any such loan, at any time within three years from the date on which the last instalment of such loan becomes repayable;

(*d*) if such debt or demand is due in respect of the supply of or, any loan for the purchase of raw material, industrial implements, plant and machinery, work-shops ware-house or business premises,—upon the raw material or other things so supplied or purchased by such member and in the case of a debt or demand in respect of the supply or for the purchase of raw materials, also upon articles manufactured from such raw material;

(*e*) if such debt or demand is due in respect of any loan for the purchase or redemption of land purchased or redeemed,—upon the land purchased or redeemed by such member, past-member, or deceased member: and

(*f*) if such debt or demand is due in respect of any loan for the pruchase or construction of any house or building or any portion thereof or in respect of the supply of materials for such constructions,—upon the house or building or material so purchased or constructed by such member:

Provided that along with the "charge" created under sub-section (1) all the property including any amount payable by a society to the indebted member shall be liable to attachment and sale in execution of a decree in favour of the society irrespective of the object of the loan or the set-off of sums due on the member of the society towards the payment of such debt:"

४—मूल अधिनियम की धारा २१ के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा २१-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय। ऐक्ट, १९१२ में नई धारा २१-ए का बढ़ाया जाना।

Sale of the Holding of a sirdar in execution of decree for money due to a Society.

"21-A. (1) Notwithstanding anything in section 153 of the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the interest of a *sirdar* in his holding may, on the application of the society concerned, be sold in execution of any decree or order for payment of money, being money due to such society in respect of a debt or demand referred to in clauses (*a*) to (*f*) of section 19, as though it were land revenue payable in respect of the holding within the meaning of section 284 of the said Act.

(2) The expressions "holding" and "Sirdar" in this section shall have the meaning assigned to them in the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950."

५—मूल अधिनियम की धारा ४२ के पश्चात् निम्नलिखित एक नयी धारा ४२–ए के रूप में बढ़ा दिया जाय। ऐक्ट २, १९१२ में नई धारा ४२–ए का बढ़ाया जाना।

"42-A. Notwithstanding any provision in the Indian Limitation Act, 1908, the period of limitation for the institution of suits to recover any sum including interest thereon due to a society by a member thereof shall be computed from the date on which such member dies or ceases to be a member of the society."

Exemption form Indian Limitation Act.

६—(१) मूल अधिनियम की धारा ४४ के पश्चात् निम्नलिखित एक नयी धारा ४४–ए के रूप में रख दिया जाय— ऐक्ट २, १९१२ में नई धारा ४४–ए का बढ़ाया जाना।

"44-A. Where, as a result of an audit under section 17, or any inquiry under section 35, or an inspection under section 36, or the winding up of a society under section 42, it appears to the Registrar that any person, who has taken part in the organization or management of the society, or any past or present officer of the society, has—

(*a*) made any payment which is contrary to law or to the rules or bye-laws of the society or instructions of any authority empowered by the Act to issue the instruction, or

(*b*) by reason of his culpable negligence or misconduct, involved the society in any loss or deficiency, or

(*c*) failed to bring into account any sum which ought to have been credited in the account of the society, or

(*d*) misapplied, misappropriated or fraudulently retained any funds or property of the society or has otherwise become liable or accountable therefor, or

(*e*) is guilty of misfeasance or breach of trust in relation to the society,

the Registrar may, notwithstanding that the act is one for which the defaulter may be criminally liable, on his own motion or on the application of the officer conducting the audit or holding the inspection or inquiry or the liquidator, inquire into the conduct of such person or officer, and, after giving such person or officer an opportunity of being heard, make an order requiring him to contribute such sum to the assets of the society by way of compensation in respect of such payment or loss or sum, or to restore such property, as the Registrar thinks fit, together with such sum as the Registrar may fix to meet the cost of proceedings under this section :

Provided that, before any order requiring such person or officer to contribute it passed in respect of a payment referred to in clause (*a*), reasonable time shall be given to such person or officer to recover the amount from the payee and to credit it to the funds of the society:

Provided further that no order shall be passed under this sub-section in respect of any act or omission mentioned in clauses (*a*) to (*e*) except within three years of the date on which such act or omission occurred.

(2) An appeal shall lie from the Order of the Registrar under sub-section (1) to the State Government on application made by the person or officer against whom such order was passed within three months from the date of the communication to him of such order. The order of the State Government on appeal, and, subject to the result of such appeal, if any, the order of the Registrar shall be final."

उद्देश्य और कारण

आर्थिक कार्य कलापों के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता के प्रसार से एवं जमींदारी प्रथा के विनाश के फलस्वरूप कृषि अर्थ-व्यवस्था में क्रान्ति आ जाने के कारण कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ में संशोधन करना नितान्त आवश्यक हो गया है। राज्य सरकार ने सहकारिता आन्दोलन के पुनस्संगठन के निमित्त १९४८ में एक समिति नियुक्त की थी। केन्द्रीय सरकार ने भी एक कोआपरेटिव प्लानिंग कमेटी नियुक्त की थी। इन समितियों ने सहकारिता सम्बन्धी अनेकानेक विषयों पर सिफारिशें की हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त समिति की रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट ने कृषकों को सस्ते और पर्याप्त ऋण देने तथा ग्रामीण जनता के निमित्त क्रय-विक्रय की सुविधाओं के श्रेष्ठतर संघटन की व्यवस्था पर जोर दिया है। प्रस्तुत विधेयक द्वारा कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट में इन सिफारिशों में से अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों के कार्यान्वित की व्यवस्था की गई है। बाद में इस सम्बन्ध में वृहत्तर उपाय करना भी आवश्यक हो सकता है।

२—इस राज्य के निवासियों का बहुलांश कृषक है। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार और विशेषत: कम ब्याज पर उधार लेने और क्रय-विक्रय की अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था प्रारम्भिक महत्व की है। सामान्यत: कोई भी सीरदार १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपनी जोत की जमानत पर कर्ज नहीं ले सकता है। सरकार चाहती है कि सीरदार अपनी जोत की उन्नति अथवा अन्य किसी प्रकार के कार्य के निमित्त धन एकत्र कर सके। इस दृष्टि कोण से तथा साथ ही साथ अति-लोभी महाजनों द्वारा अन्धाधुन्ध हस्तान्तरणों को बचाने के लक्ष्य से सरकार ने यह निश्चय किया है कि सीरदार सहकारी समिति से अपने जोत की जमानत पर धन एकत्र कर सके। विधेयक की धारा ४ में इस सम्बन्ध में आवश्यक उपबन्ध की व्यवस्था है।

३—ग्रामीण क्षेत्र में सर्वांगीण उन्नति होने के कारण तथा आर्थिक कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता के अपनाये जाने के कारण छोटी-छोटी सहकारी समितियों का समन्वय तथा उन पर दृढ़तर नियंत्रण रखना अति आवश्यक हो गया है। इस विधेयक में इन विषयों की व्यवस्था भी की गई है।

४—यह भी आवश्यक प्रतीत हुआ है कि उपयुक्त मामलों में रजिस्ट्रार को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिये कि वह सहकारी समितियों के प्रबन्ध से सम्बद्ध व्यक्तियों से उनकी लापरवाही या दोषपूर्ण कार्यों के कारण हुई हानियों की पूर्ति करवा सके। सहकारी संस्थायों के कुशल एवम् सफल परिचालन के दृष्टिकोण से ऐसा करना आवश्यक समझा गया है। विधेयक की धारा ६ में इस बात की व्यवस्था की गई है।

५—अन्य भी कुछ ऐसे परिणामिक एवम् आनुषंगिक विषय हैं जिनकी व्यवस्था विधेयक में की गई है। तदनुसार विधेयक पुर:स्थापित किया जा रहा है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २३४ एल० ए०—१९५६—७९६।